# लोक-सभा
# वाद-विवाद

(द्वितीय माला)

खण्ड २९, १९५९/१८८१ (शक)

[६ अप्रैल से २० अप्रैल, १९५९/ १६ चैत्र से ३० चैत्र, १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

सातवां सत्र १९५९/१८८१ (शक)
(खण्ड २९ में अंक ४१ से ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

79 (Ai) LSD—9.

# विषय-सूची

पृष्ठ

[द्वितीय माला, खण्ड २९, अंक ४१ से ५०—६ अप्रैल से २० अप्रैल १९५९/१६ चैत्र से ३० चैत्र १८८१ (शक)]


**अंक ४१ सोमवार, ६ अप्रैल, १९५९/१६ चैत्र १८८१ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६५ से १६६८, १६७०, १६७१, १६७४, १६७५ और १६७८ से १६८३ . . ४७९३—४८१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६६९, १६७२, १६७३, १६७६, १६७७ और १६८४ से १६९० . . . ४८१७—२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २७०८ से २७६१ ४८२३—४२

स्थगन प्रस्तावों के बारे में ४८४३

लोक-लेखा समिति—

बारहवां प्रतिवेदन. ४८४३

याचिकायें . . . . ४३४३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नहरी पानी के सम्बन्ध में भारत-पाकिस्तान अन्तरिम करार. ४८४३—४४

तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ के उत्तर की शुद्धि ४८४५

अनुदानों की मांगें—

श्रम और रोजगार मंत्रालय ४८४५—९७

दैनिक संक्षेपिका. . . . . ४७९८—४९०२

**अंक ४२, मंगलवार, ७ अप्रैल, १९५९/१७ चैत्र, १८८१ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६९३, १६९६ से १७०१, १७०३, १७०७, १७११ से १७१५ और १७१८ से १७२० ४९०३—२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६९१, १६९२, १६९४, १६९५, १७०२, १७०४ से १७०६, १७०८ से १७१०, १७१६ और १७१७ ४९२५—३०

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या २७६२ से २८०६ और २८११ से २८१४ ४६३०—५०

स्थगन प्रस्ताव

दलाई लामा के भारत पहुंचने के समाचार की नई दिल्ली से पहले पीकिंग द्वारा घोषणा . . . . ४६५०–५१

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ४६५१–५२

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही-सारांश . . ४६५२

तारांकित प्रश्न संख्या ६३३ के उत्तर की शुद्धि . . ४६५३

अनुदानों की मांगें . . . . ४६५३—५७, ४६५८—५०२०

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . ४६५३—५७, ४६५ —५०२०

सभा का कार्य . . . . . ४६५७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५०२१—२५

**अंक ४३, बुधवार, ८ अप्रैल, १९५९/१८ चैत्र, १८८१ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२१ से १७२६, १७२८ से १७३२, १७३४, १७३५, १७३७ से १७३९ और १७४१ से १७४३ . . ५०२७—५३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९ . . ५०५३—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७२७, १७३३, १७३६, १७४० और १७४४ से १७४८ . . . . . ५०५५—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या २८१५ से २८६७ . . ५०५९—८२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ५०८३

अनुदानों की मांगें . . . . . ५०८३—५१३५

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . ५० ३—५१०३

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . ५१०४—३५

दैनिक संक्षेपिका . . . ५१३६—३९

**अंक ४४, बृहस्पतिवार, ९ अप्रैल, १९५९/१९ चैत्र, १८८१ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १७४९ से १७५४, १७५६ से १७६२, १७६४, १७६६, १७६७, १७६९ से १७७१, १७७३ और १७६५ ५१४१—६७

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७५५, १७६३, १७६८ और १७७२ . ५१७—६८

अतारांकित प्रश्न संख्या २८६८ से २९१७ . ५१६८—९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २० . . . ५१९०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ५१९१

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ के उत्तर की शुद्धि ५१९१

विधेयक पर राय . . . . . ५१९१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
इकतालीसवां प्रतिवेदन . . . . ५१९२

प्राक्कलन समिति
पचासवां प्रतिवेदन . . . ५१९२

अनुदानों की मांगें . . . ५१९२—५२४६

प्रतिरक्षा मंत्रालय . . ५१९२—५२३०

पुनर्वास मंत्रालय ५२३०—४६

दैनिक संक्षेपिका ५२४७—५०

**अंक ४५, शनिवार, ११ अप्रैल, १९५९/२१ चैत्र, १८८१ (शक)**

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . ५२५१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७४ से १७७६, १७७८, १७७९, १७८१, १७८३ से १७८५, १७८७, १७८८, १७९० से १७९३, १७९५, १७९६, १७९८, १८०० और १८०१, १७८२ ५२५१—७५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २१ . ५२७६—७७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७८०, १७८६, १७८९, १७९४, १७९७ और १७९९ . . . ५२७७—७९

अतारांकित प्रश्न संख्या २९१८ से २९३० और २९३२ से २९६६ ५२८९—९७

स्थगन प्रस्ताव . ५२९७—९८

सभा-पटल् पर रखा गया पत्र . ५२९८

सभा का कार्य . . . . . ५२९८—९९

सरकारी भाषा के सम्बन्ध में संसद् की समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा के बारे में . . ५२९९

अनुदानों की मांगें . . . . ५२९९—५३३५

पृष्ठ

पुनर्वास मंत्रालय . . . ५२९९—५३२८

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय . . ५३२८—३५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन . . . . . ५३३५

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कदाचार की जांच करने के लिये संसद् सदस्यों की एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प . ५३३५—४३

बन्दरों के निर्यात के बारे में संकल्प . . ५३४३—४७, ५३५०—५२

पाकिस्तान में भारतीय वायु सेना के एक विमान को गोली मार कर गिरा देने के बारे में वक्तव्य ५३४७—५०

दैनिक संक्षेपिका ५३५३—५७

**अंक ४६, मंगलवार, १४ अप्रैल, १९५९/२४ चैत्र, १८८१ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८०२ से १८०६, १८०८, १८१३, १८१६, १८१७, १८१९ से १८२१ और १८२४ से १८२७ ५३५९—८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २२ ५३८२—८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८०७, १८०९ से १८१२, १८१४, १८१५, १८१८, १८२२, १८२३ और १८२८ . . . ५३८४—८९

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६७ से ३०२१ और ३०२३ से ३०३१ . ५३८९—५४२०

स्थगन प्रस्ताव—

सीमा घटना ५४ १—२२

सभा-पटल पर रखा गया पत्र . ५४२२

प्राक्कलन समिति—

बावनवां प्रतिवेदन . . . . ५४२३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक—पुर:स्थापित ५४ ३

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया के निलम्बन काल के परिहार के बारे में . ५४२३

अनुदानों की मांगें . . . ५४ ३—७२

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय ५४२३—७२

दैनिक संक्षेपिका . ५४७३—७७

**अंक ४७, बुधवार, १५ अप्रैल, १९५९/२५ चैत्र, १८८१ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८२९ से १८३५, १८३७, १८३८, १८४० से १८४३, १८४५ से १८४७ और १८४९ से १८५२ ५४७९—५५ ४

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८३६, १८३९, १८४४, १८४८ और १८५३ . ५५०४—०६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०३२ से ३०८१ और ३०८३ से ३११३ . ५५०६—३८

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया के निलम्बन काल के परिहार के बारे में . ५५३९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ५५३९

सभा-पटल पर रखा गया पत्र . . ५५३९

प्राक्कलन समिति

सैंतालीसवां प्रतिवेदन . . ५५३९

अनुदानों की मांगें . . . ५५३९—६३, ५५६४—८६

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय . . ५५३९—५५

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . ५५५५—६३, ५५६४—८६

याचिकायें . . . . ५५६३–६४

अनुदानों की मांगों पर मुखबन्ध के बारे में . ५५८७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५५८८—९२

**अंक ४८, गुरुवार, १६ अप्रैल, १९५९/२६ चैत्र, १८८१ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८५४ से १८५७, १८५९, १८६०, १८६३, १८६५, १८६७, १८६९, १८७०, १८७२, १८७३, १८७६ से १८७८ और १८८० . . . . ५५९५—५६१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८५८, १८६१, १८६२, १८६४, १८६६, १८६८, १८७१, १८७४, १८७५, १८७९, १८८१ से १८८३ और १७७७ . ५६१९—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३११४ से ३१९० . ५६२४—५४

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ५६५४–५५

प्राक्कलन समिति .

अड़तालीसवां प्रतिवेदन . . . . . ५६५५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बयालीसवां प्रतिवेदन . . . ५६५५

तारांकित प्रश्न संख्या ७७५ के उत्तर की शुद्धि ५६५५

अनुदानों की मांगें . . . . . ५६५६—५७०१

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . ५६५६—७७

पृष्ठ

वित्त मंत्रालय . . . . ५६७८—५७०१

कार्य मंत्रणा समिति

सैंतालीसवां प्रतिवेदन . . . . . ५७०१

दैनिक संक्षेपिका . . . . ५७०२—०७

**अंक ४६, शनिवार, १८ अप्रैल, १९५९/२८ चैत्र, १८८१ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८८४, १८८६, १८८७, १८८९, १८९१ से १८९७, १९०० से १९०३ और १९०५ . . ५७०९—२९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २३ . . . ५७२९—३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १८८५, १८८८, १८९०, १८९८, १८९९, १९०४ और १९०६ . . . . ५७३२—३५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१९१ से ३२४५ ५७३५—५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ५७५७

प्राक्कलन समिति

(१) कार्यवाही सारांश . . . . . ५७५७

(२) अड़तीसवां प्रतिवेदन . . . . ५७५७

कार्य मंत्रणा समिति

सैंतीसवां प्रतिवेदन . . . . ५७५७

सभा का कार्य . . . . . ५७५८

अनुदानों की मांगें . . . . . ५७५८—८०

वित्त मंत्रालय . . . . . ५७५८—८०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

बयालीसवां प्रतिवेदन . . . . . ५७८०

विधेयक पुरस्थापित . . . . . ५७८०—८१

(१) श्री काशीनाथ पाण्डे का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ३८३ क का रखा जाना) . . . ५७८०—८१

(२) श्री बाल्मीकी का अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक ५७८१

मध्यस्थता (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . ५७८१—८७

पृष्ठ

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक . . . . ५७८७—९६

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—वापस लिया गया

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५७९७—५८०१

**अंक ५०, सोमवार, २० अप्रैल, १९५९/३० चैत्र, १८८१ (शक)**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९०७ से १९११, १९१३ से १९१५, १९१७, १९२०, १९२२, १९२४, १९२५ और १९२७ से १९३१ . ५८०३—२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९१२, १९१६, १९१८, १९१९, १९२१, १९२३ और १९२६ . . . . . ५८२७—२९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२४६ से ३३१६ . . . ५८३०—५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५५ के उत्तर की शुद्धि . . ५८५८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . ५८५८—५९

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . ५८५९

प्राक्कलन समिति

उनचासवां प्रतिवेदन . . . ५८६०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

१६ अप्रैल, १९५९ को इरोड पर कोचीन एक्सप्रेस की दुर्घटना ५८६०—६१

अनुदानों की मांगें . ५८६१—८२

वित्त मंत्रालय . ५८६१—८२

वित्त विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ५८८२—५९०४, ५९०५—१६

विनियोग (संख्या २) विधेयक पारित . . ५९०४—०५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ५९१७—२२

---

**नोट**: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

---

# लोक-सभा

बुधवार, ८ अप्रैल, १९५९

१८ चैत्र, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### कटनी की गन-फैक्टरी में विस्फोट

+

†*१७२१. श्री अ० मु० तारिक :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री केशव :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बोस :
श्रीमती मफीदा अहमद :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री खुशवक्त राय :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में कटनी की गन-फैक्टरी में दिसम्बर, १९५८ में एक विस्फोट हो गया था;

(ख) यह विस्फोट किन परिस्थितियों में हुआ था;

(ग) जान-माल का कितना नुकसान हुआ; और

(घ) क्या पीड़ित व्यक्तियों को कोई मुआवजा दिया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां। यह विस्फोट गन-फैक्टरी में नहीं, गनपाउडर फैक्टरी में हुआ था।

(ख) कटनी के परगना-मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच और नागपुर के सेन्ट्रल सर्किल के विफोटक पदार्थ निरीक्षक के प्रतिवेदन से ऐसा प्रतीत होता है कि यह विस्फोट बारूद जिन वस्तुओं को मिलाने से बनती है उनकी कुटाई के समय उन में कोई बाहरी पदार्थ पड़ जाने के कारण हुआ था।

(ग) नौ व्यक्तियों की जान चली गयी और पांच व्यक्ति घायल हुए। बारूद बनाने के काम आने वाले दो शेड विस्फोट में उड़ गये और कुछ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। सुखाने के काम आन वाले दो चबूतरों में दरारें पड़ गयीं।

(घ) मृत व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा देने के लिये इस फर्म ने नौ हज़ार रुपये जमा कर दिये हैं। घायल व्यक्तियों को भी मुआवज़ा दिलाने के सम्बन्ध में स्थानीय जिला-अधिकारी आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

†**श्री बी० चं० शर्मा** : यह बाहरी पदार्थ उन वस्तुओं में कहां से आये और क्या इसकी रोक-थाम का कोई तरीका नहीं है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जांच से पता चलता है कि इन को ऐसे शेड में मिलाया जा रहा था जिस में यह कार्य करने का अधिकार-प्राप्त नहीं था। जहां तक रोक-थाम का प्रश्न है, देश भर में बारूद बनाने वाली सैकड़ों फर्में हैं और प्रत्येक में निरीक्षक कर्मचारियों को रखना संभव नहीं है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इन को मिलाने के लिये जिम्मेदार अफसर के खिलाफ़ क्या कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : कोई अफसर जिम्मेदार नहीं है। हम ने उस फर्म का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया है क्योंकि लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन की कई घटनायें हो चुकी हैं।

†**श्री प्र० चं० बोस** : कौन सा बाहरी पदार्थ इस विस्फोटक चूर्ण में मिल गया था और क्या इस बात का पता लगाने के लिये, कि कहीं अन्य फक्टरियों में भी तो इस प्रकार की मिलावट नहीं हो रही, कोई रोक-थाम की गयी है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : ये बाहरी तत्व था बालू और लोहे का चूरा। चुम्बकीय परीक्षण से पता चला कि उस में लोहे का चूर्ण था। साथ ही जिस शेड में इसको मिलाया जा रहा था वहां की बालू भी उस में मिल गयी थी। मैं कह चुका हूं कि इस को ऐसे स्थान पर मिलाया जा रहा था जहां के लिये अधिकार उनके पास नहीं था।

†**श्री कासलीवाल** : मंत्री महोदय ने बताया कि कई बार लाइसेंस का उल्लंघन हो चुका है। क्या यह बात सरकार के ध्यान म इस विस्फोट के बाद आई है या पहले ही आ गई थी और यदि पहले ही आ गई थी तो क्या कार्यवाही की गयी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : जी नहीं। इस दुर्घटना के केवल तीन महीने पहले ही इस कारखाने का निरीक्षण किया गया था। लाइसेंस इसीलिये दिया गया था कि यह कारखाना लाइसेंस की सभी शर्तें पूरी करता था। लेकिन लाइसेंस मिलने के पश्चात् यह पाया गया कि वह कई शर्तों का उल्लंघन करते रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रजराज सिंह :** मुआवजा देने के सम्बन्ध मे यह ६००० रुपये किस आधार पर दिये गये हैं ? क्या सरकार नहीं समझती कि जो व्यक्ति मारे गये हैं उन के सम्बन्ध में और मुआवजा दिया जाना चाहिये ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** यह श्रमिक प्रतिकर अधिनियम के अधीन आता है और राज्य सरकार उस के सम्बन्ध में कार्यवाही करती है ।

†**श्री हेम बरुआ :** लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** उस का नाम शंकरलाल है ।

†**श्री त्यागी :** मंत्री महोदय ने कहा है कि बारूद अनधिकृत स्थान पर मिलाया जा रहा था । क्या फैक्टरी के सुपरिंटेंडेंट या कोई अन्य जिम्मेदार व्यक्ति प्रतिदिन कारखाने का चक्कर नहीं लगाता और क्या वह मिलाने का काम स्वयं नहीं देखते ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** यह बड़ी छोटी सी गर-सरकारी संस्था है । ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्घटना के समय लाइसेंसधारी स्वयं वहां मौजूद नहीं था । एक बिल्कुल बिना पढ़ा-लिखा श्रमिक इस पूरे कार्य की देखरेख कर रहा था ।

†**श्री वाजपेयी :** इस कठिन कार्य में लगे श्रमिकों का बीमा कराने की क्या कोई योजना है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** इस प्रश्न का उत्तर मुझे तो नहीं देना है ।

## राजस्थान में उर्वरक कारखाना

+

†१७२२. **श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री रा० च० माझी :**
**श्री राम कृष्ण गुप्त :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में उर्वरक कारखाने की स्थापना के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस के नक्शे और प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं ;

(ग) क्या कुछ कार्य आरम्भ किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) से (घ) अन्य उपयुक्त स्थानों पर उर्वरक कारखानों की स्थापना की योजना बनाते समय राजस्थान में उर्वरक कारखाने की स्थापना के प्रश्न पर भी विचार किया जायगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** इस उर्वरक कारखाने के लिय वित्त व्यवस्था अकेले राजस्थान सरकार ने की थी या केन्द्रीय सरकार ने की ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : इस कारखाने के सम्बन्ध में अभी तक निश्चय नहीं हुआ है। राजस्थान में किसी स्थान पर उर्वरक के कारखाने के प्रश्न की अभी छानबीन करनी शेष है। कौन सा स्थान होगा, किस चीज का उत्पादन किया जायगा, कितना उत्पादन होगा आदि ऐसी बातें हैं जिन पर विचार हो रहा है। अभी उस के लिये वित्त व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या और भी उर्वरक कारखानों की स्थापना का निश्चय द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कर लिया जायगा ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बम्बई में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव है। अन्य कारखानों के लिये स्थानों की अभी खोज करनी है और उन का कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किया जायगा।

†**श्री कासलीवाल** : मंत्री महोदय न कहा है कि इस के स्थान के प्रश्न पर बाद में विचार किया जायगा। क्या सरकार न सिद्धान्त रूप में राजस्थान में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना का निश्चय कर लिया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित की जाने वाली उर्वरक परियोजनाओं के सम्बन्ध में विचार करते समय राजस्थान में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के प्रश्न पर काफी विस्तारपूर्वक विचार कर लिया गया था। कठिनाई जल-संभरण और बिजली की उपलब्धि के बारे में थी। इस में सन्देह नहीं कि राजस्थान में अमोनियम सल्फेट के उत्पादन के लिये उपयुक्त कच्चा माल उपलब्ध है। लेकिन अन्तिम रूप से निर्णय करने से पहले सभी बातों पर ब्यौरेवार ढंग से विचार कर लेना पड़ता है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना दी है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : राजस्थान सरकार राजस्थान में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिये काफी अर्से—पांच-छः साल—से केन्द्रीय सरकार पर जोर डालती आ रही है। मैं बता चुका हूं कि कठिनाई जल-संभरण और बिजली के बारे में है। यदि ये सुविधायें उपलब्ध हों तो राजस्थान में कई स्थान ऐसे हैं जहां अमोनियम सल्फेट का उत्पादन किया जा सकता है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस उर्वरक के उत्पादन के लिये दो महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं—जिप्सम और कोयला। वहां कोयला तो नहीं है, लिग्नाइट है। क्या सरकार ने उर्वरक बनाने के लिय लिग्नाइट का उपयोग करन की संभावनाओं की जांच की है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : राजस्थान में लिग्नाइट और जिप्सम से निश्चय ही उर्वरक या अमोनियम सल्फेट का उत्पादन हो सकता है ; पर इस में अन्य कठिनाइयां हैं।

†**श्री प्र० गं० देब** : क्या उड़ीसा में किसी उर्वरक कारखाने की स्थापना की संभावना है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : कारखाना बन रहा है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सच नहीं है कि राजस्थान में उर्वरक के कारखाने की स्थापना के बारे में पूरा ब्यौरा तैयार कर लिया गया था और केवल भाखड़ा नंगल में भारी पानी लेने के प्रश्न के कारण इस पर विचार स्थगित कर दिया गया था और पहले भाखड़ा नंगल में इस की स्थापना का कार्य आरम्भ कर दिया गया और यह वादा किया गया कि अगली बारी राजस्थान की होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० श० चन्द्र : कोई वादा नहीं किया गया था। राजस्थान के विभिन्न स्थानों के विषय में विचार किया गया था। मैं कह चुका हूं कि यदि पानी और बिजली सम्बन्धी कठिनाइयां दूर हो जायें तो राजस्थान में उर्वरक कारखाने की स्थापना हो सकती है।

**उत्पादकता परियोजनायें**

+

†*१७२३. { **श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री सुबोध हंसदा :** }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में कौन-कौन सी उत्पादकता परियोजनायें आरम्भ की गयीं ;

(ख) इन का श्रीगणेश किस ने किया ;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता किस सीमा तक उपलब्ध थी ; और

(घ) क्या परिणामों का मूल्यांकन किया गया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) बम्बई में दो एडवांस कार्य-अध्ययन कोर्स चलाये गये थे।

(ख) श्रम और रोजगार-मंत्रालय के उत्पादकता केन्द्र ने।

(ग) पहले कोर्स की योजना बनाने और संगठन करने के कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तीन विशेषज्ञों ने सहायता की थी। दूसरा कोर्स पहले के आधार पर ही चलाया गया और उत्पादकता केन्द्र के कर्मचारियों ने ही इसे चलाया था।

(घ) राज्य सरकारों और उद्योगों दोनों ने इन कोर्सों की सराहना की थी लेकिन परिणामों का परिमाणसूचक मूल्यांकन करने की योजना अभी नहीं है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि १९५६ और १९५७ में उत्पादकता परियोजना प्रतिवेदन प्रकाशित हुए थे, और यदि हां, तो १९५८ में ये कितने सहायक सिद्ध हुए ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** ये प्रकाशित हुए थे और पुस्तकालय में भी रख दिये गये थे। उन से निश्चय ही मदद मिली है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या इंजीनियरिंग एसोसियेशनों के बारे में भी उत्पादकता परियोजना चलाने का विचार किया गया था ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** जी हां, पिछले वर्ष बम्बई में यह इंजीनियरिंग एसोसियेशनों के लिये ही हुआ था।

**अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री संघ**

†*१७२४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बहुत से बरसाती¹ अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री संघों की स्थापना की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन में से अधिकांश की स्थापना विदेशी उच्च पदधारियों के आगमन से ठीक पहले ही हुई थी ; और

†मूल अंग्रेजी में

¹Mushroom.

(ग) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने वाली है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां):** (क) हाल ही में कई अन्तर्राष्ट्रीय मंत्री संघों की स्थापना हुई है लेकिन यह अपनी अपनी राय की बात है कि ये संघ बरसाती हैं अथवा नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) सरकार कुछ भी कार्यवाही नहीं करने वाली है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या सरकार को इन संघों के कृत्यों और काम करने के ढंग के बारे में कोई जानकारी है ?

†**श्री सादत अली खां :** जी हां । हमें इस बात का कुछ अंदाज है कि वह किस प्रकार से कार्य करते हैं ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या यह सच है कि इन में से कुछ संघों को विदेशों से रुपया मिलता है ?

†**श्री सादत अली खां :** हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

†**श्री च० द० पांडे :** क्या यह सच है कि इन अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री संघों में से अनेक संघ विदेशों में शिष्टमण्डल ले जाते हैं और इस प्रकार वहां की सरकार की यह धारणा बन जाती है कि इन्हें किसी नकिसी प्रकार की मान्यता अवश्य प्राप्त है और जब वे वहां पर कोई वक्तव्य देते हैं तो इस से सरकार भी बंध जाती है और काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है । क्या सरकार इस बात के लिये कार्यवाही करेगी कि जाने की अनुमति देने से पहल इन शिष्टमण्डल के सदस्यों के विचारों का पता कर लिया जाये ?

†**श्री सादत अली खां :** शिष्टमण्डलों के बार में कुछ कठिनाइयां हैं । इस मसले पर विचार करना होगा ।

**श्री अ० मु० तारिक :** क्या सभा सचिव कृपा करके यह बतायेंगे कि इन मित्रता सभाओं के सम्मेलन के लिये भारत में बाहर के राजदूतों से धन लेकर खर्च किया जाता है, और क्या यह भी सच है कि हमारे कुछ मंत्रिगण इन मित्रता सभाओं से सम्बन्धित हैं ?

†**श्री सादत अली खां :** बाहर से धन लेकर खर्च करने का तो हमें कोई इल्म नहीं है, लेकिन इस में कोई शक नहीं कि बाज लोग इन एसोसियेशन्स के साथ ताल्लुक रखते हैं और इस के बारे में पिछली बार राज्य सभा....

**उपाध्यक्ष महोदय :** लोगों के बारे में नहीं मंत्रियों के बारे में पूछा जा रहा है ।

**श्री सादत अली खां :** जी हां, मंत्री भी, और इस के बारे में एक सरकुलर निकल चुका है और प्राइममिनिस्टर साहब ने भी राज्य सभा में इसी पर एक बयान भी दिया है ।

†**श्री त्यागी :** क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की है कि इन्हें रुपया कहां से मिलता है ?

†**श्री सादत अली खां :** मुझे पूर्व सूचना चाहिए ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या सरकार अपनी स्थिति को लोकप्रिय बनाने के लिये इन में से कुछ संघों की संरक्षक बन जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सादत अली खां :** सरकार इन में से किसी संघ का संरक्षकत्व नहीं करती।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** क्या सरकार इन संघों को विदेशों द्वारा वित्तीय सहायता दी जाने के प्रश्न की जांच कराने वाली है और क्या सरकार ने भी इन में से कुछ संघों की स्थापना में पहल की थी ?

†**श्री सादत अली खां :** यह गृह मंत्रालय का काम है ?

†**श्री वाजपेयी :** क्या सरकार ने विदेशी राजदूतों के इन बरसाती संघों से संबंध रखने के औचित्य पर विचार किया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** "उचित" संघों के साथ संबंध रखना राजदूतों के लिये बिल्कुल उचित ही है। यदि संघ ही ठीक नहीं है तो उस से संबंध रखना स्वाभाविक रूप में ही ठीक नहीं होगा। लेकिन यदि किसी संघ को अन्य देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध कायम करने हैं तो यह उचित ही है कि राजदूत स्वयं भी उन से संबंध रखें।

†**श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या ये संघ अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर भी अपना प्रभाव डालते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यदि मैत्री का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व हो तो मेरे ख्याल से ये प्रभाव डाल सकते हैं। अन्यथा सहायता का कोई प्रश्न नहीं उठता।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार को पता है कि इन मैत्री संघों से संबंधित कुछ लोग विदेशी दूतावासों से रुपया पाते हैं और वे विदेशी दूतावासों को खबरें देते हैं ? क्या सरकार ने इस संबंध में कार्यवाही की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यह प्रश्न कुछ अस्पष्ट सा है। ऐसा कोई मामला मेरी जानकारी में तो नहीं आया है लेकिन जब इतने सारे लोग संबंधित होते हैं तो मैं इस आरोप का पूर्णतः खन्डन नहीं कर सकता कि किसी को भी रुपया नहीं मिलता। लेकिन ऐसी कोई बात मेरी जानकारी में नहीं है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या यह सच है कि इन में से कई संघ राष्ट्र-विरोधी कार्य करते हैं और विदेशों की ओर से प्रचार करते हैं, और यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही करेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** ये सामान्य प्रकार के प्रश्न हैं। यदि कोई विशिष्ट उदाहरण की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराया जाय तो हम निश्चय ही कार्यवाही करेंगे। स्पष्ट है कि संघ का एक कार्य यह भी होता है कि वह जिस देश के संबंध में बनाया गया है उसकी अच्छाइयां बताये। इसलिये सकारात्मक प्रचार पर आपत्ति नहीं की जा सकती ; लेकिन यदि यह राष्ट्र विरोधी हो तो बात ही दूसरी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

**सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिक**

+

†*१७२५. **श्री स० म० बनर्जी :**
**श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**श्री तंगामणि :**
**पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
**श्री दामानी :**
**श्री हेम बरुआ :**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११८५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिकों की कुछ समस्याओं पर विचार करने के लिये कन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा श्रमिक-संगठनों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में श्रमिकों के किन-किन संगठनों के प्रतिनिधि आये थे ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां।

(ख) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीस, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी अन्डर्टेकिंग , दामोदर वैली कारपोरेशन , हिन्दुस्तान शिपयार्ड और एयर कारपोरेशन में काम करने वाले श्रमिकों के यूनियनों के प्रतिनिधियों ने और निम्नलिखित अखिल भारतीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था :—

१. भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रस।
२. अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस।
३. हिन्द मज़दूर सभा।
४. यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या निर्णय किये गये हैं और क्या अनुशासन के नियमों पर भी विचार किया गया था और क्या विभिन्न प्रतिनिधि उन से सहमत थे ?

†**श्री आबिद अली** : औद्योगिक संबंध और अनुशासन के नियमों पर चर्चा की गई थी। अनुशासन के नियमों को विभिन्न मंत्रालयों की आवश्यकतानुसार रूप भेद कर के सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या इन निगमों के अलावा सरकारी क्षेत्र के अन्य श्रमिकों के बारे में इसी प्रकार का सम्मेलन बुलाया जा रहा है , और यदि हां, तो क्या प्रतिरक्षा और रेलवे मंत्रालय इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये राजी हो गये हैं ?

†**श्री आबिद अली** : कार्यवाही सारांश के संक्षेप की एक प्रति संबंधित सभी लोगों के पास भेज दी गई थी और वे इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी** : मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरी जानकारी यह है कि केवल विभिन्न निगमों में काम करने वाले श्रमिकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिरक्षा, रेलवे, डाक तथा तार और अन्य औद्योगिक श्रमिकों के बारे में भी इसी प्रकार का सम्मेलन बुलाया जा रहा है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : यदि जरूरत पड़ी तो ऐसा सम्मेलन किया जा सकता है। लेकिन यदि सम्मेलन बुलाये बिना यह मसला संतोषप्रद ढंग से निबटाया जा सके तो हमें सम्मेलन बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो औद्योगिक श्रमिक इन में नहीं आते हो सकता है कि उनके बारे में हमें ऐसा सम्मेलन बुलाना पड़े।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि यह सम्मेलन बुलाया जा रहा है या नहीं।

†**श्री नन्दा** : अभी कुछ निश्चय नहीं हुआ है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या औद्योगिक श्रमिकों को ट्रेड यूनियनों की रीतियों के बारे में शिक्षा देने के लिये एक केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा मण्डल की स्थापना होने वाली है। और यदि हां, तो क्या इस सम्मेलन में इस प्रश्न पर चर्चा की गई थी और इस सम्मेलन में अब तक कितनी प्रगति हुई है।

†**श्री आबिद अली** : सम्मेलन में इस बारे में चर्चा नहीं हुई थी।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में औद्योगिक श्रमिकों के प्रभावपूर्ण सहयोग के प्रयोग का प्रयास करने वाली है ?

†**श्री आबिद अली** : जी हां, विचार यही है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या इस सम्मेलन के प्रबन्ध में श्रमिकों के सहयोग के प्रश्न पर भी विचार किया गया था।

†**श्री आबिद अली** : जी हां, इस मसले पर भी चर्चा हुई थी—लेकिन यह बाकायदा विचार का विषय नहीं था।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या अनुशासन के नियमों और औद्योगिक संबंधों के बारे में निर्णय सर्व-सम्मति से हुये थे या कम से कम सभी अखिल भारतीय संगठन स्वीकृत निश्चयों से सहमत थे ?

†**श्री आबिद अली** : जी हां, ये निर्णय सर्वसम्मति से हुए थे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : कई राज्यों की अपनी कम्पनियां या कारपोरेशन हैं। क्या राज्यों के स्तर पर इन लोगों—उन उद्योगों और निगमों के प्रतिनिधियों—का कोई पृथक सम्मेलन बुलाया जायगा ?

†**श्री नन्दा** : यदि इरादा इस बात का पता लगाने का है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में उन कारखानों के बारे में क्या हो रहा है जिन में श्रमिकों के संघ केन्द्रीय संगठनों से संबद्ध नहीं हैं, तो उसका उत्तर यह है कि हम पृथक रूप से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि उन कारखानों से इन नियमों को अपनाने की स्वीकृति प्राप्त कर लें।

†**श्री त्यागी** : यह सहयोग का प्रश्न केवल प्रबन्ध के ही बारे में है या मुनाफ़े पर भी लागू होता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा** : मुनाफ़े में हिस्सा बांटने का प्रश्न तो बिल्कुल दूसरा ही है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : पहले मैंने यह प्रश्न पूछा था कि क्या इस सम्मेलन में सरकारी क्षेत्र में श्रमिकों की भूमिका और द्वितीय पंजवर्षीय योजना में उनके योग के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा। उसका उत्तर यह दिया गया था कि इस प्रश्न पर चर्चा एक विशेष सम्मेलन में होने वाली है। क्या मैं जान सकता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में सरकारी क्षेत्र के श्रमिकों की भूमिका पर चर्चा के लिये विशेष सम्मेलन कब होगा ?

†**श्री नन्दा** : इस सारी चर्चा का प्रभाव द्वितीय पंचवर्षीय योजना की पूर्ति पर पड़ता है। योजना को क्रियान्वित करने के लिये अनुशासन और कुशलता दोनों ही अत्यावश्यक हैं।

## स्टेन्डर्ड वेकुअम कम्पनी

†*१७२९. { **श्री नागी रेड्डी** :
**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'स्टेन्डर्ड वेकुअम तेल शोधन समवाय, भारत' के १९५७ के लेखा विवरण में ५० लाख रु० से अधिक की राशि 'विविध व्यय' के रूप में दिखाई गई है एवं लेखा विवरण में इसका कोई कारण भी नहीं बताया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह धन भारत से बाहर भेज दिया गया है ;

(ग) यदि हां तो, सन्तुलन पत्र में इसका उल्लेख क्यों नहीं है ; और

(घ) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान।

(ख) नहीं—केवल लगभग २७ लाख रु० भेजे गये।

(ग) समवाय अधिनियम, १९५६ के अधीन इसका विशेष उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

(घ) किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री नागी रेड्डी** : ये २७ लाख रु० भारत से बाहर क्यों भेजे जा रहे हैं ?

†**श्री कानूनगो** : तेल समवायों के साथ करार में, जिसकी प्रति पुस्तकालय में उपलब्ध है, उपबन्ध है कि तीन मदें विदेश भेजी जा सकेंगी। यहां यह न्यूयार्क आफिस का गवेषणा और प्रशासन भाग है।

†**श्री नागी रेड्डी** : लेखा विवरण में वे इस व्यय को 'विविध व्यय' के अन्तर्गत रखने के बजाय अलग क्यों नहीं रख सके ?

†**श्री कानूनगो** : यह उनकी इच्छा है क्योंकि सन्तुलन पत्र समवाय अधिनियम की अनुसूची के अनुसार बनाई गई है। यह उन पर है कि वे इन बातों को इच्छानुसार दिखायें।

†**श्री साधन गुप्त** : यह 'विविध व्यय' किन मदों पर किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : हां, श्रीमान। इनका संबंध गवेशगा अंश और न्यूयार्क आफिस के लिए अंश से है। और इनका उपबन्ध उस करार से है जो सरकार ने समवाय के साथ किया है।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या यह सच है कि इस धन का कुछ कुछ भाग समाचारपत्रों को कुछ देशों का प्रचार करने के लिए दिया जाता है ?

†**श्री कानूनगो** : नहीं, श्रीमान।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या भारत से बाहर धन भेजन के लिये इस समवाय ने रिजर्व बेंक से अनुमति ली थी ?

†**श्री कानूनगो** : हां, रिजर्व बेंक की मंजूरी के बिना कोई राशि नहीं भेजी जा सकती।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : करार के अनुसार न्यूयार्क कार्यालय के प्रशासन व्यय के लिये २ प्रति शत कमीशन देय ह। परन्तु यह राशि न्यूयार्क कार्यालय की देय २ प्रतिशत कमीशन के अतिरिक्त है।

†**श्री कानूनगो** : नहीं, श्रीमान।

**शिशु दुग्ध खाद्य[1] का आयात**

+

†*१७२८. **श्री वी० चं० शर्मा** :
**श्री पांगरकर** :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २९ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिशु दुग्ध खाद्य का आयात को और भी अधिक ढीला कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो १९५८-५९ में कितना शिशु दुग्ध खाद्य आयात हुआ ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) नहीं, श्रीमान।

(ख) १८,३३३ हन्ड्रेडवेट दुग्ध खाद्य अप्रैल-दिसम्बर, १९५८ में आयात किया गया बाद के महीनों की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : क्या हमारे देश में शिशु दुग्ध खाद्य का निर्माण करने के लिये कोई प्रयत्न किया जा रहा है और यदि हां, तो, क्या ?

†**श्री कानूनगो** : हां, श्रीमान। अनेकों कारखानों को शिशु दुग्ध खाद्य व अनेकों अन्य खाद्य बनाने के लाइसेन्स दिये गये हैं। उनमें शीघ्र ही उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : ये कारखाने कहां-कहां स्थित हैं तथा विभिन्न खंडों को जो खाद्य मंत्रालय ने खाद्यान्न के वितरण के लिये बनाये हैं, इन कारखानों से शिशु दुग्ध खाद्य की पर्याप्त मात्रा प्राप्त होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Baby Milk Food.

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह :** हां, श्रीमान् । स्थानों का निर्णय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के परामर्श से किया गया है और चुने हुये क्षेत्र मोगा, नाभा और अलीगढ़ हैं। आनन्द के डेरी कारखाने में और इलाहाबाद के शिशु खाद्य कारखाने में भी विस्तार हो रहा है ।

†**श्री अरविंद घोषाल :** क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में इसका निर्धारित मूल्य चोर बाज़ार के मूल्य से कहीं अधिक है ?

†**श्री कानूनगो :** मूल्य का निर्णय राज्य सरकार करती है क्योंकि उसने ही खाद्य वितरण अपने हाथ में ले लिया है।

†**श्री बाजपेयी :** क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि शिशु दुग्ध खाद्य की मांग अधिकतर आयात की गई मात्रा से पूरी होती है ?

†**श्री कानूनगो :** निश्चय ही यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि और अधिक की आवश्यकता होगी। परन्तु हमारा विचार है कि परिस्थितियों की दृष्टि से यह कम नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार को विदित है कि शिशु खाद्य बाज़ार में, विशेषकर कलकत्ता में, चोर बाज़ार-मूल्य पर बेचा जाता है, और यदि हां, तो, इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** कुछ समय पूर्व हमें शिकायतें मिली थीं और हमने आवश्यक कार्यवाही की तथा शिशु खाद्य के आयात का कोटा बढ़ा दिया। तब से हमें कोई शिकायत नहीं मिली है। कम से कम बड़ी भारी शिकायत तो नहीं मिली है।

†**श्री अरविंद घोषाल :** पश्चिमी बंगाल में शिशु दुग्ध खाद्य के चोर बाज़ार की बड़ी भारी शिकायतें हैं और खाद्य परामर्शदात्री परिषद् ने इस पर विचार किया था।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** पश्चिमी बंगाल सरकार से हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यदि माननीय सदस्य मुझे लिखें या कुछ विशिष्ट मामले बतायें तो मैं उनकी जांच करूंगा ।

†**श्री रा० सी० अरुमुगम् :** उन शिशु दुग्ध कारखानों में उत्पादन कब आरम्भ होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** आशा है कि दो वर्ष में चारों कारखानों में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ।

**कर्म समितियां**[1]

+
†*१७२९. { **श्री अरविंद घोषाल :**
**श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री सुबोध हंसदा :** }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में ही कर्म समितियों के कार्य का पुनरीक्षण किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Works Committees.

(ग) उनके कार्य में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) से (ग). इस मामले पर भारतीय श्रम कान्फ्रेंस के आगामी सत्र में विचार किया जायेगा ।

†**श्री अरविंद घोषाल** : इस दृष्टि से कि कर्म समितियों को बहुमत से कोई निर्णय करने का अधिकार नहीं है क्या सरकार कार्य समितियों के कार्य में कोई परिवर्तन करने का विचार कर रही है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : सारी बात की जांच की जा रही है । आगामी श्रम कान्फ्रेंस में इस पर आगे विचार होगा ।

†**श्री अरविंद घोषाल** : क्या कर्म समितियों के परिणामस्वरूप औद्योगिक विवादों में हुई कमी को आंका गया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : कर्म समितियों से यह आशा करना अनुचित है कि औद्योगिक विवादों में इतनी जल्दी कोई कमी होगी ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या कर्म समितियों को अधिक अधिकार देने की दृष्टि से औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा ३ में संशोधन करने का विचार है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : अभी नहीं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या कर्म समितियों के बारे में विभिन्न मजदूर संघों से सुझाव मांगे हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : श्रम कान्फ्रेंस में विभिन्न मजदूर संघों के प्रतिनिधि होंगे अतः उनके मत उपलब्ध होंगे ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : कुछ समय पूर्व कर्म समितियों के कार्य व अधिकारों की जांच करना स्वीकार किया गया था । यह विचार क्यों छोड़ दिया गया ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

†**श्री प्र० चं० बोस** : कारखानों में कर्म समितियां रखने में क्या कठिनाइयां हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : अब तक कर्म समितियों का कार्य आज्ञानुसार नहीं रहा है । इसके अनेकों कारण हैं । मजदूर इससे अत्याधिक आशा करते हैं और प्रबन्धक भी इससे अत्याधिक आशा रखता है तथा अनेकों अन्य कठिनाइयां भी रही हैं ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इन कर्म समितियों के कार्य से क्या अनुभव हुआ है ? क्या मजदूर पूर्ण तथा सन्तुष्ट हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : इन समितियों के कार्य की जांच हो रही है और हमें शीघ्र ही इसके परिणाम प्राप्त होंगे । इन पर फिर आगामी भारतीय श्रम कान्फ्रेंस में विचार किया जायेगा । अतः अभी इस बारे में अधिक बताना संभव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## भविष्य निधि में कपड़ा मिलों का अंशदान

†१७३०. **श्री पांगरकर :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ दिसम्बर, १९५८ को भारत की कपड़ा मिलों द्वारा भविष्य निधि खाते में कितनी राशि देय थी; और

(ख) उसकी प्राप्ति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) २.०२ करोड़ रु० जिनमें से ३३ लाख रुपये प्राप्त हो गये हैं ।

(ख) प्राप्ति की कार्यवाही की गई है तथा अन्य उचित कार्यवाही भी की जा रही है ।

†**श्री पांगरकर :** १ अप्रैल, १९५९ को कर्मचारी भविष्य निधि में कितना धन शेष था और १९५८–५९ में इसमें से कितना व्यय किया गया ?

†**श्री आबिद अली :** शेष राशि संभवतया लगभग १३० करोड़ रुपये होगी । व्यय के बारे में मैं अभी नहीं बता सकूंगा ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** माननीय मंत्री ने कहा है कि निधि से लगभग २ करोड़ रु० का गबन हुआ है । भविष्य में इसे रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

†**श्री आबिद अली :** यह अनुचित प्रयोग नहीं हुआ है । राशि पर्याप्त समय से देय है और उसकी प्राप्ति के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** भुगतान कितने और किन-किन मिलों ने नहीं किया है और क्या उनके विरुद्ध प्राप्ति कार्यवाही की गई है ?

†**श्री आबिद अली :** यह संख्या २१७ है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** इन २१७ में से कितने मामलों में अभियोग चलाया गया है या प्राप्ति कार्यवाही आरम्भ हो गई है ?

†**श्री आबिद अली :** लगभग २५ मामलों में ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या मैं यह समझूं कि ४०० से अधिक एककों में से २१७ ने चन्दा नहीं दिया है अर्थात् ५० प्रति शत से अधिक ने नहीं दिया है ?

†**श्री आबिद अली :** नहीं यह 'कपड़ा' मद के अन्तर्गत है । कुछ संस्थापन १,२४६ हैं; ४०० नहीं ।

## तार निर्माण

†*१७३१. { **श्री विभूति मिश्र :** + **श्री रघुनाथ सिंह :** }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी जर्मनी की 'सीमेन' फर्म बम्बई के पास एक तार निर्माण परियोजना आरम्भ करेगी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा;

(ग) कारखाना कितने समय में तार बनाने लगेगा ; और

(घ) इससे कितने विदेशी विनिमय की बचत होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण पटल पर रखा जाता है ?

विवरण

(क) मैसर्स केबिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, बम्बई, ने मैसर्स सीमेन इंजिनियरिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी (इंडिया) प्राइवेट लि०, बम्बई के साथ एक करार किया है जिसने पश्चिमी जर्मनी के 'सीमेन ग्रुप' के अधीन सीमेन शुकर्ट वर्क ए० जी०, और फेल्टन एण्ड गिलाम ए० जी० नामक दो फर्मों के साथ निर्माण अधिकारों के लिये करार किया

(ख) समवाय की अधिकृत पूंजी २५० लाख रु० है और निगमित पूंजी १५० लाख रु० है जिसमें से १२० लाख रु० प्रदत्त पूंजी है ।

(ग) १९५९ के मध्य तक ।

(घ) पूर्ण उत्पादन होने पर १२० लाख रु० ।

**श्री विभूति मिश्र** : मैं जानना चाहता हूं कि बम्बई के कंजेशन को देखते हुये यह कारखाना क्या किसी दूसरी जगह पर नहीं लगाया जा सकता था ?

**श्री मनुभाई शाह** : जी, इसके लिये पूना के पास एक जगह ली गई है । बम्बई सिटी के अन्दर बम्बई सरकार आजकल कोई कारखाना एलाउ ही नहीं करती है । लेकिन महाराष्ट्र की तरफ को यह कारखाना गया है ।

**श्री विभूति मिश्र** : हिन्दुस्तान के और सूबों में जहां कारखाने नहीं हैं, वहां पर इस तरह के कारखानों को क्यों नहीं लगाया जा सकता है ताकि वहां के रहने वाले मजदूरों को भी सहूलियत हो सके और उनको भी काम करने के लिये मौका मिल सके ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर विचार करती है ?

**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक साइट को सिलैक्ट करने का सवाल है, जो प्रोपोज़ल देने वाला एंटरप्रेन्योर होता है, वह तय करता है । हमारी तो जरूर यह कोशिश रहती है कि जहां पर ज्यादा कारखाने हों, वहां पर और कारखाने न लगें और हम कहते भी हैं कि और जगह जाओ, अंडर डिवेलेप्ड एरियास के अन्दर जाओ । लेकिन हम किसी को डायरेकशन नहीं दे सकते हैं कि फलां जगह कारखाने को लगाओ ।

**श्री वाजपेयी** : वक्तव्य में कहा गया है कि यह फैक्ट्री जब पूरा उत्पादन प्रारम्भ कर देगी तो १५० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी । मैं जानना चाहता हूं कि इस फ़ैक्ट्री का पूरा उत्पादन कितना होगा और क्या उसके बाद हम इस दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जायेंगे ?

**श्री मनुभाई शाह** : यह बहुत हैवी केबल्स की फैक्ट्री है और उत्पादन ५०० मील हैवी पेपर कोटिड केबल्स का होगा और ३० मील प्रोट्रूड टाइप के जो केबल होते हैं, उसका होगा । उसके

---

†मूल अंग्रेजी में

बाद भी कंट्री को ५० परसेंट के करीब और प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिये दो तीन फ़ैक्ट्रियों के बारे में और सोचा जा रहा है।

†**श्री नानी रेड्डी :** इस समवाय में कितनी भारतीय पूंजी लगी है और भारतीय साझीदार कौन हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह लगभग ५५ प्रति शत है ; तीन या चार साझीदार हैं। जर्मनियों का हिस्सा ४५ प्रतिशत है।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या किसी अन्य राज्य से अपने प्रदेश में यह कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव या प्रार्थना केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुई है ?

†**श्री मनु भाई शाह :** ये प्रस्ताव राज्य सरकारों से नहीं आते। ये सारे औद्योगिक प्रस्ताव उद्योग संस्थापकों से आते हैं और वे विभिन्न राज्यों के होते हैं। राज्य सरकारें उन आवेदन पत्रों के लिये, जो उनके द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजे जाते हैं, उत्तरदायी होती हैं।

†**श्री स० च० सामन्त :** क्या डाक तथा तार विभाग के लिये, काक्सियल आवश्यक भी यहां बनेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह :** नहीं, काक्सियल तार और डाक तथा तार विभाग के तार हिन्दुस्तान तार लि० में बनेंगे। वास्तव में हिन्दुस्तान तार लि० डाक तथा तार विभाग की साधारण तारों की लगभग पूरी आवश्यकता पूर्ण कर रहा है। उस कारखाने का काक्सियल तारों के लिये विस्तार हो रहा है।

†**श्री सोनावाने :** यह कारखाना बम्बई राज्य में कहां होगा और इसमें कितने कर्मचारी होंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इसका पता कारखाना चालू होने पर लगेगा। अभी उन्होंने लगभग स्थान थाना और पूना के बीच बताया है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या ५५: ४५ का यह अनुपात औद्योगिक नीति संकल्प का खंडन नहीं करता ?

†**श्री मनुभाई शाह :** नहीं, बिल्कुल नहीं। यह गैर-सरकारी क्षेत्र का उद्योग है। इसमें भारतीय पूंजी अधिक और विदेशी पूंजी थोड़ी है। कुछ मामलों में अधिक विदेशी पूंजी की भी अनुमति दी गई है। इससे औद्योगिक नीति संकल्प के उपबन्धों का खंडन नहीं होता।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन :** क्या इस उपक्रम के प्रबन्ध में भारतीय किस अनुपात में हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह:** यह तो स्वतः ही होगा क्योंकि अधिकतर अंशधारी भारतीय है तथा प्रबन्धक बोर्ड में अंशधारीयों के अनुपात के अनुसार ही व्यक्ति होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

## छोटी सिंचाई परियोजनायें

†१७३२. **श्री संगण्णा :** क्या **योजना** मंत्री १२ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १२१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी सिंचाई परियोजनाओं के लिये उड़ीसा को कोई धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितना धन दिया गया है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) :** (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री संगण्णा :** क्या योजना आयोग के परामर्शदाता ने भारत सरकार से कुछ छोटी सिंचाई परियोजनाओं की सिफारिश की है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र:** श्री शिवरामन् १९५७ में या १९५८ के आरम्भ में उड़ीसा गये थे और उन्होंने कुछ सिफ़ारिशें की हैं। उनमें से अधिकतर राज्य सरकार को कार्यान्वित करनी हैं।

†**श्री संगण्णा :** क्या हाल में ही उड़ीसा सरकार ने कार्यान्विति के लिये भारत सरकार से कुछ सिंचाई सुविधाओं की सिफारिश की थी तथा वित्त की मंजूरी की भी प्रार्थना की थी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** मैं छोटी सिंचाई योजनाओं की तफसील नहीं बता सकता ।

†**श्री पाणिग्रही :** पिछले एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा था कि इन छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये २६ करोड़ रु० और मंजूर किये जा रहे हैं और उड़ीसा के बारे में निश्चय किया जा रहा है। क्या अब तक कोई निर्णय किया गया है ; और यदि नहीं तो, क्यों ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** यह सच है कि पूर्ण योजना के लिये आवंटन ६६ करोड़ से ९२ करोड़ हो गया। उड़ीसा के लिये भी आवंटन लगभग १३८ लाख रु० है, जिसमें १३१.२५ लाख रु० छोटी सिंचाई के लिये और ७.६७ लाख रु० नलकूपों के लिये हैं।

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** आजकल इस कार्य लिये उड़ीसा सरकार के पास धन है। अतः संभव है कि २६ करोड़ की इस अधिक राशि में से वे कुछ न लें। परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि २६ करोड़ रु० की इस राशि में से उड़ीसा को कुछ नहीं दिया जायेगा।

†**श्री पाणिग्रही :** मैं ६६ करोड़ रु० और २६ करोड़ रु० में से उड़ीसा का आवंटन जानना चाहता हूं ।

†**श्री श्या० नं० मिश्र :** यह सारी की सारी राशि खेत की नालियों सहित सिंचाई की छोटी योजनाओं के लिये है। १९५९-६० में भी सिंचाई की छोटी योजनाओं के लिये उपबन्ध किया गया है। इस बात पर कि उड़ीसा सरकार अपने पास को धनराशि से कितना अधिक व्यय करेगी ताकि उसे २६ करोड़ की इस राशि में से धन दिया जाये, बाद में विचार किया जायेगा—उन्हें २६ करोड़ रु० में से अवश्य धन मिलेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**'एमरी स्टोन मैनुफैक्चरिंग कम्पनी' की बनी चक्कियां**

+

†*१७३४. { **श्री गोरे :**
**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**

**क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग राजस्थान की 'ऐमरी स्टोन मैनेफैक्चरिंग कम्पनी' को प्रति चक्की कितनी छूट देती है ;

(ख) क्या भारत में खेल इसी 'एमेरी स्टोन मैनेफैक्चरिंग कम्पनी' को ऐसी रियायत दी जाती है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उपरोक्त कम्पनी की बनी चक्कियों की विशेषज्ञों ने जांच की है ;

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में उनका क्या प्रतिवेदन है; और

(च) इस मामले में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने क्या कार्यवाही की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) २१ नवम्बर, १९५८ तक 'एमरी स्टोन मैनुफैक्चरिंग कम्पनी' से आटा की चक्की लेने वाले को १० रु० प्रति चक्की छूट दी जाती थी। इसके बाद यह बन्द हो गया है ।

(ख) तथा (ग). भारत में और कोई कम्पनी 'एमरी स्टोन' चक्कियां नहीं बनाती। यदि अन्य फार्म यह कार्य आरम्भ करें तो आयोग उनके उत्पादन पर विशेषतानुसार विचार करेगा तथा उसे समान रियायत देगा।

(घ) तथा (ङ). हां, श्रीमान। इस सारे मामले की जांच करने के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति में "चक्की" की जांच करने के लिये एक खनिज विशेषज्ञ भी था। उसकी खोज संलग्न विवरण में दी हैं। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ५१]**

(च) विशेषज्ञ की खोजों सहित समिति के प्रतिवेदन पर आयोग विचार कर चुका है और इस सम्बन्ध में उसने जो निश्चय किये हैं वे संलग्न विवरण में दिये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५१]**

†**श्री गोरे :** इसके बावजूद भी कि 'एमरी' हमारे देश में नहीं पाया जाता इस कम्पनी को यह नाम रखने की अनुमति क्यों दी गई ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह सामान्य व्यापार नाम है। इसका रूप एमरी के समान है। यह काफी सस्त भी है। परन्तु प्रविधिक दृष्टि से यह एमरी नहीं है।

†**श्री गोरे :** इस कम्पनी को यह रियायत कितने समय तक मिली और कुल कितनी छूट दी गई ?

†**श्री मनुभाई शाह :** १९५५–५६ में ९००० रु०, १९५६–५७ में ६३,००० रु०, १९५७–५८ में ३९,००० रु० और १९५८–५९ में १७,००० रुपये।

---

†मूल अंग्रेजी में

**श्री वाजपेयी :** अभी मंत्री जी ने कहा कि इस कम्पनी ने नाम तो एमरी चक्की का रख लिया लेकिन एमरी पत्थर का प्रयोग नहीं किया फिर भी हजारों रुपये सरकार से रिबेट के रूप में प्राप्त किया। मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार ने कम्पनी को रिबेट देने का निर्णय किया तो क्या उस समय चक्की की जांच कराई गई थी कि उन्होंने एमरी पत्थर लगाया भी है या नहीं ?

**श्री मनुभाई शाह :** चक्की की जांच तो कराई गई और उसका उपयोग भी अच्छा हो रहा था। फिलहाल जो उसको बन्द किया गया उसका कारण यह है कि इस तरह की फरयादें आन लगीं कि उसके अन्दर से जो पत्थर निकलता है वह शायद आटे के लिये और तन्दूर के लिये अच्छा नहीं है। इसीलिये उसको बन्द किया गया है। ऐसा नहीं है कि उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था।

†**श्री जाधव :** क्या फर्म से ऐसी चक्कियां न बनाने को कहा गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हमने तो उन्हे बन्द कर दिया है। परन्तु बहुत सी ऐसी चक्कियां हैं जिनमें मैंगनेशियम या कैलसियम मिला होता है, अतः वास्तव में बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता। हम इसके लिये उन्हें प्रोत्साहन देना नहीं चाहते।

**श्री पा० ला० बारूपाल :** क्या मैं जान सकता हूं कि एमरी पत्थर की चक्की जो बनती है उसके उत्पादन पर कुल कितना खर्च होता है और उसको क्या सब्सिडी दी जाती है ?

**श्री मनुभाई शाह :** वह अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, और २० रु० से ले कर ७० रु० तक है। जहां तक सब्सिडी का सवाल है वह १० रु० चक्की दिया जाता है।

## भूतपूर्व राजाओं के लिये पारपत्र

†*१७३५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारपत्रों और विदेशों में यात्रा करने के सम्बन्ध में भूतपूर्व राजाओं को क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं ; और

(ख) क्या पिछले दो महीनों में इन विशेषाधिकारों के दुरुपयोग किये जाने की कोई जानकारी सरकार को प्राप्त हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां):** (क) रियासतों के राजाओं को विदेश यात्रा के बारे में कोई खास विशेषाधिकार नहीं दिये गये हैं किन्तु वे शासक जो स्थायी रूप से गवर्नर अथवा राजप्रमुख रह चुके हैं या जिन्हें २१ अथवा १९ बन्दूकों की सलामी दी जा चुकी है उन्हें कूटनीतिक पारपत्र दिये जाते हैं। अन्य राजाओं को सामान्य शुल्क दिये बिना साधारण पारपत्र दिय जाते हैं।

(ख) जी नहीं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** राजप्रमुखों को क्या क्या खास विशेषाधिकार दिये जाते हैं और क्या जामनगर, पटियाला और जयपुर के राजाओं को जो राजप्रमुख रह चुके हैं किन्तु अब जो राजप्रमुख नहीं हैं क्या उन्हें अब भी कूटनीतिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं ?

†**श्री सादत अली खां :** जी हां। मैं इस विषय में जो नया निर्णय किया गया है उसके बारे में सभा को जानकारी दूंगा। इससे पन्द्रह व्यक्ति प्रभावित होते हैं, सम्बन्धित एकक हैदराबाद,

---

†मूल अंग्रेजी में

मैसूर, बड़ौदा, ग्वालियर, काश्मीर, त्रावणकोर, कोल्हापुर, इन्दौर, भोपाल और उदयपुर हैं जिनके शासक २१ या १९ बन्दूकों की सलामी पाने के हकदार हैं। इसके साथ-साथ पटियाला, जयपुर, नवानगर, भावनगर और रीवां के विद्यमान महाराजाओं को भूतपूर्व गवर्नर अथवा राजप्रमुखों के रूप में ये विशेषाधिकार प्राप्त हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** मैं यह नहीं कहता कि २१ या १९ बन्दूकों की सलामी जिन राजाओं को मिलती है उन्हें ये विशेषाधिकार प्राप्त हैं किन्तु कुछ राजाओं को ये विशेषाधिकार केवल राजप्रमुख होने के नाते ही मिल गये थे। अब यदि वह राजप्रमुख नहीं रहते हैं तो क्या उनके लिये वे विशेषाधिकार बराबर जारी रहेंगे भले ही उन्हें १९ या २१ बन्दूकों की सलामी लेने का अधिकार न रहे, यदि ऐसा है तो उसके क्या कारण हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि वह राजप्रमुख रह चुके हैं तो वह विशेषाधिकार उन्हें मिलता रहेगा, ऐसा मंत्री महोदय ने बताया है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** तो क्या राजप्रमुख होने के नाते उन्हें ये विशेषाधिकार दिये गये थे ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** राजप्रमुख न रहने से उनके विशेषाधिकार समाप्त नहीं हो जाते।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** इन राजाओं के राजप्रमुख होने के नाते जो विशेषाधिकार मिलते हैं, राजप्रमुख न रहने पर क्यों जारी रखे जाते हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह तो तर्क करना होगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** इसके भी कुछ कारण होंगे ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** कारणों का निश्चय यहां नहीं किया जा सकता।

**श्री अ० मु० तारिक :** अभी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने जो लिस्ट दी उसमें उन्होंने काश्मीर का भी जिक्र किया है। मैं जानना चाहता हूं कि जब महाराज काश्मीर तख्त से दस्तबर्दार हो गये हैं तो उनको यह रियायत कैसे दी गई ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** यह फैसला हम बाद में करें।

**श्री अ० मु० तारिक :** डिप्टी स्पीकर साहब .....

**उपाध्यक्ष महोदय :** इन्फार्मेशन दी गई कि उन्हें यह हक हासिल है। यह कैसे है, क्यों है, इसका फैसला अलहदा हो सकता है, क्वेश्चन आवर में नहीं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या ये विशेषाधिकार ऐसे हैं जिनके बारे में राज्यों के विलयन के समय भारतीय राजाओं से प्रसंविदा किया गया था अथवा ये विशेषाधिकार बाद में दिये गये हैं ? यदि ऐसा है तो बाद मे ये विशेषाधिकार देने के कारण क्या हैं ?

†**श्री सादत अली खां :** हाल तक किसी भी भूतपूर्व राजे को कूटनीतिक पारपत्र नहीं दिये जाते थे। कि मैं बता चुका हूं कि प्रधान मंत्री ने यह निश्चय किया है कि जिन राजाओं को १९ या २१ बन्दूकों की सलामी मिलती रही है तथा जो स्थायी रू प से गवर्नर अथवा राजप्रमुख क पद पर रह चुके हों उन्हें यह विशेषाधिकार मिलने चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दासप्पा :** १९५८ से अब तक कितने भूतपूर्व राजाओं ने इस विशेषाधिकार का उपयोग किया है ? क्या १९५९ में भी कोई इस विशेषाधिकार का उपयोग करने जा रहा है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह कैसे पता लग सकता है कि भविष्य में कोई इस विशेषाधिकार का उपयोग करेगा ?

†**श्री सादत अली खां :** प्रश्न के प्रथम भाग के लिये मैं पूर्व-सूचना चाहूंगा । दूसरे भाग का उत्तर दे सकना कठिन है ।

†**श्री दासप्पा :** मैं विचाराधीन पारपत्र के आवेदनों के बारे में पूछ रहा हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या कोई आवेदनपत्र विचाराधीन है ?

†**श्री सादत अली खां :** मुझे पता नहीं है । मैं पूर्व-सूचना चाहूंगा ।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** जबकि भारत सरकार और राजाओं के बीच जो प्रसंविदा हुआ था उसमें खास विशेषाधिकारों के बारे में कोई उपबन्ध नहीं था तो बाद को विशेषाधिकार देने की क्या आवश्यकता महसूस की गई थी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैंने पहले से ही इस प्रश्न को पूछने की अनुमति नहीं दी थी ।

**श्री वाजपेयी :** क्या राजप्रमुखों में राजस्थान के महाराज जो कि महाराजप्रमुख थे और उनके उपराजप्रमुख भी शामिल हैं ?

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** महाराजप्रमुख एक ही थे । अब तो कोई नहीं है । वह शामिल थे जब तक वह थे । उपराजप्रमुख शामिल नहीं थे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** यह विशेषाधिकार भूतपूर्व राजप्रमुखों को भी देने के बारे में कब निर्णय किया गया था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) :** मुझे तारीख याद नहीं है । किन्तु हकीकत यह है कि बार-बार कहने के परिणामस्वरूप उनमें से काफी लोगों को पारपत्र मिल गये । दो-तीन राजे रह गये थे । उन दो-तीन को छोड़ देने का मतलब यह होता कि उनके साथ भेदभाव का बर्ताव किया जा रहा है । इसलिये हमने उन छूटे दो-तीन राजाओं को भी शामिल कर लिया ।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या ये विशेषाधिकार इन राजाओं को उन के निवेदन पर देने का निर्णय किया गया था अथवा भारत सरकार ने अपने आप इस बारे में निर्णय किया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमारे पास कोई सम्मिलित निवेदन नहीं किया गया था किन्तु व्यक्तिगत निवेदन हमें समय-समय पर मिला करते थे ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न । चूंकि अब राजे-महाराजे नहीं रहे हैं इसलिये इस बारे में हमें अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी

**फ़िज़ों का अमरीका जाना**

+

†*१७३७ { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्रीमती इला पालचौधरी :**
**श्री सं० अ० मेहदी :**

**क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान १९ मार्च, १९५९ के स्टेट्समैन में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि विद्रोही नागा नेता फिज़ो इस समय पाकिस्तान में न हो कर यदि अभी अमरीका नहीं पहुंचा है तो अमरीका के रास्ते में है ;

(ख) क्या इस बारे में भारत सरकार ने कोई जांच-पड़ताल की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) से (ग). हमें इस बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है कि फिज़ो अमरीका चला गया है। हमें इस बारे में कुछ अस्पष्ट समाचार मिले हैं किन्तु उसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकी है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या सरकार ने उनके आसाम से भागने के बारे में कोई जांच की है और यदि सरकार ने ऐसा किया है तो क्या पाकिस्तान सरकार से यह कहा गया है कि उस पर मुकदमा चलाने के लिये उसे वापिस भेज दिया जाये ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं प्रश्न नहीं सुन सका ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि क्या पाकिस्तान से इस बारे में कोई पूछताछ की गई है कि क्या वास्तव में फिज़ो पाकिस्तान को छोड़ कर और किसी देश चला गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हम पाकिस्तान सरकार से इसलिये पूछताछ नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि वह वहां है । जहां तक और बातों को पूछने का सम्बन्ध है हम अधिकाधिक जानने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या यह सच है कि शस्त्रों के संभरण के बारे में फिज़ो के दल और पाकिस्तान के बीच कुछ सौदा किया जा रहा है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** उसका इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ?

†**श्री रघुनाथ सिंह :** वह शस्त्रों के बारे में ही तो पाकिस्तान गये हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रयोजनों के बारे में यहां चर्चा नहीं की जा सकती ।

†**श्री ब्रज राज सिंह :** क्या अमरीका से, फिज़ो वहां है या नहीं, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह सब पूछताछ क्यों की जाये ? प्रश्न यह है कि क्या अमरीका से पूछताछ की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हम ऐसे मामलों के बारे में सरकारों से पूछताछ नहीं करते हैं अपितु जो कुछ सूत्र हमारे पास हैं उन्हीं से लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं ।

†**श्री हेम बरूआ :** क्या यह सच है कि कछार की सीमा पर यूरोप के बागान मालिकों की सहायता से फिज़ो का पाकिस्तान भागना संभव हो सका और क्या मनीपुर की पुलिस ने जो कागजात पकड़े थे उनसे इस बात की पुष्टि हुई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं कह सकता क्या प्रश्न यह है कि उनके पाकिस्तान जाने में किसी बागान मालिक का हाथ था ?

†**श्री हेम बरूआ :** यूरोपीय बागान के मालिक का ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं कह सकता ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या मनीपुर की पुलिस ने जो कागजात पकड़े हैं उनसे इस बात का सुराग मिलता है कि कुछ बागान मालिकों ने उनकी सहायता की थी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** वास्तविकता क्या है यह जब तक मालूम न हो जाय तब तक मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

†**श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या यह सच है कि क्या पाकिस्तान ने फिज़ो के पुन: नागा की पहाड़ियों में लौट आने की बात इसलिये कही है कि भारत गुमराह हो जाये ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** मैं प्रश्न नहीं समझ सका हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न तो स्वयं उन्होंने ही पूछा है और अब उत्तर देने के बाद फिर अपनी बात से मुकर रहे हैं, यह ठीक नहीं है ।

## झरिया की कोयला खानों को जल संभरण

†***१७३८. श्री प्र० चं० बोस :** क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झरिया का कोयला खानों के लिये जल संभरण में वृद्धि करने हेतु झरिया जल बोर्ड को कई साल हुई काफी धन राशि का भुगतान किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो जल संभरण के प्रबन्ध के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) कार्य को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) जल संभरण की कब तक आशा की जाती है ?

†**श्रम और रोज़गार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र):** (क) से (घ). प्रश्न का उत्तर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आगे की तारीख को दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## भारत-सिक्किम मार्ग

†*१७३९. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-सिक्किम मार्ग के बनाने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि तिब्बत में चीनी प्राधिकार सिक्किम और भारत से तिब्बत को मिलाने वाली सड़कें बनवा रही हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य गंगटोक-नाथुला मार्ग का निर्देश कर रहे हैं जो पहले ही पूरी बन चुकी है और जो औपचारिक रूप से १७ सितम्बर, १९५८ से खोल दी गई है।

(ख) भारत सरकार को निश्चित रूप से यह पता नहीं है कि चीन सरकार गंगटोक-नाथुला से मिलाने के लिये एक सड़क बनवा रही है। जहां तक पता है अभी इस प्रकार का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** इस सड़क के बनवाने पर कुल कितना व्यय हुआ है और क्या उसका कुछ हिस्सा सिक्किम ने भी दिया है ?

†**श्री सादत अली खां :** १९५८–५९ के अन्त तक कुल व्यय लगभग ५८ लाख रुपये होगा। संधारण प्रभार तथा हानि से बचने के लिये प्रतिवर्ष ५ लाख रुपये का अनुमान लगाया गया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या इसमें सिक्किम ने भी कुछ अंशदान दिया है ?

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या इस सड़क पर भारी मोटर गाड़ियों को आने-जाने की अनुमति है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं समझता हूं नहीं, किन्तु निश्चित रूप से मैं नहीं बता सकता।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री टांटिया अपना प्रश्न फिर से पूछें।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** मैंने पूछा था कि क्या इस सड़क पर भारी मोटर गाड़ियों के आने-जाने के लिये अनुमति है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यद्यपि सड़क बन कर तैयार हो गई है, कुछ छोटा मोटा काम शेष रह गया है, वह सड़क का नहीं बल्कि रेलिंगआसि का चूंकि यह बड़ी खतरनाक सड़क है, अतः सामान्य रूप से भारी मोटर गाड़ियां चलाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। मोटर गाड़ियां वहां जा सकती हैं, चूंकि सड़क वहीं पर समाप्त होती है, इस कारण वहां कोई निश्चित स्थान ऐसा नहीं है जहां तक हीं गाड़ियां जा सकती हैं। उससे आगे अवश्य नहीं ले जाई सकतीं।

†**श्री कमल सिंह :** क्या संधारण संबंधी ५ लाख रुपये का व्यय भारत सरकार ही क देगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** जी, हां। मैं ऐसा ही समझता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

## स्वीडन का व्यापार शिष्ट मंडल

+

†*१७४१. { श्री अय्याकण्णु :
श्री खीमजी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वीडन के व्यापार शिष्टमंडल ने भारत से कुछ प्रकार के उत्पादों का आयात करने की इच्छा प्रकट की है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर हमारी सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ; और

(ग) भारत से कौन-कौन से मुख्य उत्पादों का निर्यात होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). स्वीडन के शिष्ट-मंडल ने कुछ सामान जैसे औषधियों, खिलौनों, परचून का सामान, चमड़ा तथा वस्त्र आदि का भारत से काफी मात्रा में स्वीडन में आयात करने की संभाव्यताओं का पता लगाया है तथा हमारी सरकार ने शिष्टमंडल के सदस्यों को भारत की निर्यात एजेंसियों और संगठनों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की थी।

## बांडुग देशों का आर्थिक एवं सहकारिता सम्मेलन

†*१७४२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि लंका ने भारत, पाकिस्तान, बर्मा और इण्डोनेशिया—इन चार देशों के पदाधिकारियों को आगामी मई में बांडुग देशों के आर्थिक तथा सहकारिता सम्मेलन की तैयारी करने के लिये आमंत्रण दिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमाती लक्ष्मी मेनन)** : जी हां। भारत सरकार को लंका की सरकार के पास से एक पत्र मिला है जिसमें प्रस्ताव किया गया है कि १८ मई को लंका के पांच देशों के पदाधिकारियों की बैठक हो जो मिलकर लंका देशों के प्रधान मंत्रियों की बाद में होने वाली बैठक की तैयारी करे, जो बांडुग देशों के आर्थिक सम्मेलन के बारे में अन्तिम योजनाओं की व्यवस्था करेगी। पत्र में बताया गया है कि निमंत्रण बर्मा, इण्डोनेशिया और पाकिस्तान की सरकारो को भी भेजे गये हैं।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : बैठक कब होगी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह पहले ही बताया जा चुका है कि १८ मई को होगी।

†**श्री कासलीवाल** : क्या इस कार्य के लिये कोई अस्थायी कार्यावलि तैयार की गई है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : बैठक के लिये एक कार्यावलि है।

---

†मूल अंग्रेजी में

**प्रयोगात्मक टेलिविजन यूनिट**

†*१७४३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**श्री भक्त दर्शन :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**सरदार इकबाल सिंह :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ११ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२९५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी नई दिल्ली के गवेषणा विभाग में एक प्रयोगात्मक टेलिविजन यूनिट स्थापित करने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० जं० जोशी)** : पहले जो यंत्र लगाये जा चुके हैं उनके अतिरिक्त स्टूडियो के बाहर के कार्यक्रमों को शामिल करने के लिये माइक्रोवेव लिंक प्राप्त हो चुका है तथा जिसकी परीक्षा गण तन्त्र दिवस के जलूस तथा लोक नृत्य समारोहों पर की जा चुकी है। अन्य परीक्षण किये जा रहे हैं तथा नियमित प्रयोगात्मक सेवा की व्यवस्था की जा रही है ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : पिछले प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि यह सेवा आगामी वित्तीय वर्ष के आरम्भ में शुरू कर दी जायेगी। क्या यह शुरू कर दी गई है ?

†**डा० केसकर** : निश्चित तारीख बता सकना संभव नहीं है। प्रयोग चल रहे हैं और कुछ छोटे-मोटे यंत्र जो अभी-अभी आये हैं उनकी परीक्षा की जा रही है किन्तु मुझे पूरी आशा है कि एक दो मास में हम इस सेवा को आरम्भ कर सकेंगे।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इस सेवा को आरम्भ करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**डा० केसकर** : सभी इंजीनियरिंग एक टेक्निकल परीक्षणों के बारे में जो हो रहे हैं, विस्तार से बता सकना बड़ा कठिन काम है किन्तु माननीय सदस्य यह स्मरण रखें कि यह नये ढंग का कार्यक्रम है जिसका इस देश में अभी तक प्रयोग नहीं किया गया है। हम आरम्भ में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिसमें बार-बार खराबी पैदा हो ।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या यह सत्य है कि इस यंत्र के साथ अभी तक जो परीक्षण किया गया है वह ४ या ५ मील के दायरे तक ही सफल हो सका है और क्या उसको और अधिक व्यापक बनाने के बारे में सोचा जा रहा है या परीक्षण किये जा रहे हैं ?

†**डा० केसकर** : यह कहना सही नहीं होगा कि यह ४, ५ मील तक ही सफल हुये हैं। यह दूरी तो किसी यंत्र की शक्ति पर निर्भर है और मुमकिन है कि जो हमारे यहां एक्सपेरीमेंट्ल यूनिट लग रहे हैं वह १० या १५ मील की दूरी से अधिक न जायें। उस दायरे में जो स्कूल या स्कूल यूनिट्स होगीं उनमें ही यह सर्विस हम जारी कर सकेंगे ।

†**श्री दासप्पा** : क्या टेलिविजन रिसीवर सेटों का निर्माण करने के लिये किसी फर्म ने प्रस्ताव किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० केसकर** : जी नहीं ।

†**श्री आचार** : इस प्रयोग को करने पर कितना व्यय हुआ है ?

†**डा० केसकर** : इसका उत्तर पहले दो-तीन बार दिया जा चुका है किन्तु मैं पुनः बताना चाहूंगा कि यंत्रों आदि पर हमने २ १/२ लाख रुपया खर्च किया है। अन्य सामान या तो ऋण के रूप में या उपहार के रूप में मिला है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : माननीय मंत्री ने कहा है कि गणतन्त्र दिवस पर तथा लोक नृत्य समारोह पर इसकी परीक्षा की गई थी । यह परीक्षण किस प्रकार का है और क्या वैज्ञानिक कसौटी के आधार पर यह प्रयोग सफल हुआ है अथवा नहीं ?

†**डा० केसकर** : इन दोनों अवसरों पर इनकी जांच की गई थी कि यह यंत्र पर्याप्त हैं अथवा नहीं । यह प्रयोग बिल्कुल सफल सिद्ध हुआ था ।

---

## अल्प-सूचना प्रश्न और उत्तर

### पुराना किला में विस्थापित व्यक्ति

**अल्प-सूचना प्रश्न सं० १६ श्री वाजपेयी : क्या पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुराने किले में रहने वाले बहुत से विस्थापित व्यक्ति रविवार २६ मार्च, १६५६ को आंधी के कारण बेघर-बार हो गये थे ;

(ख) यदि ऐसा है तो ऐसे मकानों की संख्या कितनी है जिनकी नालीदार चादरों की छतें उड़ गई थीं ;

(ग) उड़ने वाले टुकड़ों से कितने व्यक्तियों के चोटें लगीं ; और

(घ) प्रभावित व्यक्तियों की सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). पुराने किले में रहने वाले ६०० परिवारों में से ३१ परिवार जो उन्तालीस क्वार्टरों में रहते हैं तूफान से प्रभावित हुए। ८७ अन्य मकानों को थोड़ी बहुत क्षति पहुंची थी।

(ग) दो ।

(घ) सभी प्रभावित परिवारों को यह विकल्प दिया गया था कि वे पुराने किले के मकानों को छोड़ दें। २२ परिवारों ने इस प्रस्ताव से लाभ उठाया जबकि ६ परिवारों ने उन्हीं में रहना अच्छा समझा । ३० मार्च, १६५६ को १०० रुपये प्रति परिवार की सहायता उन दो व्यक्तियों के परिवार वालों को दी गई जिनके चोटें लगी थीं। निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय जो इस मामले का निबटारा करता है उससे आवश्यक मरम्मत करने के लिये निवेदन किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वाजपेयी :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि ये मकान जितने समान के लिये बनाये गये थे वह समाप्त हो जाने के कारण अब असुरक्षित हो गये हैं, इन शरणार्थियों को कहीं और बसाने के बारे में सरकार की क्या योजना है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** यह बड़ी पुरानी चीज है जो सदन के सामने कई बार रखी जा चुकी है। पहले-पहल हमने पुराने किले में ७०० परिवार बसाये थे। १९५५ में हमने यह निर्णय किया था कि इस पुराने किले को प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक के रूप में रखा जाय इसलिये उसकी सफाई करवाकर कुछ रहने के स्थान की व्यवस्था की थी तथा परिवार वालों के लिये प्लाटों का प्रस्ताव किया था। जिसमें से लगभग २५० परिवारों ने इस प्रस्ताव से लाभ उठाया। अन्य परिवारों ने हमें सहयोग नहीं दिया और न हमारे सहायक सिद्ध हुये।

†**श्री वाजपेयी :** इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पुराने किले में जितने परिवार रहते हैं उनमें से अधिकांश परिवार ऐसे हैं जो सरकार द्वारा आंवंटित प्लाटों पर मकान नहीं बनवा सकते हैं, क्या उनके लिये अन्य शरणार्थियों की भांति उन्हीं शर्तों पर बने-बनाये मकान देने का कोई विचार है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** मैं माननीय सदस्य का तर्क मानने के लिये तैयार नहीं हूं। जहां तक पुनर्वास मंत्रालय का संबंध है हमने विस्थापित व्यक्तियों को १०० करोड़ रुपयों का भुगतान किया है और उससे अधिक इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता।

†**श्री स० म० बनर्जी :** ३० मार्च, १९५९ को तूफान के परिणामस्वरूप पुराने किले के लोगों ने मंत्रालय को सहायता के लिये एक तार भेजा था। मंत्रालय ने जिसके उत्तर में कहा था—"यह मंत्रालय जितनी भी सहायता कर सकता है वह पहले ही की जा चुकी है। अब यह कार्य वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।" मुझे मालूम है कि वैज्ञानिक गवेषणा और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय से इसका कितना संबंध है। क्या ये विस्थापित व्यक्ति अब स्मारक बन गये हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** ऐतिहासिक स्मारक हो जाने से यह इस मंत्रालय के अधीन आ गया है। हमने संबंधित मंत्रालय से कुछ समय के लिये लिया था। इस ऐतिहासिक स्मारक को खाली करना होगा, जिसके बारे में यह कार्यवाही की जा रही है।

†**श्री स० म० बनर्जी :** क्या पुराने किले के रहने वालों ने जंगपुरा में प्लाट के लिये आवेदन किया था, जो प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन है और बेकार पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो उस प्लाट को प्रतिरक्षा मंत्रालय से लेने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** हमने उन्हें लाजपतनगर में एक बार नहीं दो बार भूमि देने का प्रस्ताव किया। जिस भूमि का माननीय मंत्री उल्लेख कर रहे हैं वह आयुध सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है जो पुराने किले के निवासियों को नहीं दी जा सकती है।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या यह सच है कि जंगपुरा की भूमि अथवा उसके बहुत से हिस्से पर शरणार्थी जबर्दस्ती कब्जा किये हुये हैं ? यदि ऐसा है तो क्या मंत्री महोदय ने प्रतिरक्षा मंत्रालय से इस बात का सुनिश्चय किया है कि क्या जबर्दस्ती कब्जा करने वालों के स्थान पर पुराने किले के निवासियों द्वारा कब्जा करना आयुध दृष्टि से हानिकारक होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : जिस भूमि के लिये कहा गया है और जिस भूमि का मैं उल्लेख कर रहा हूं उनमें केवल कुछ फर्लांगों का अन्तर है। लाजपतनगर काफी विकसित बस्तियों में से एक है जहां स्कूल, कालेज और अस्पताल आदि सभी कुछ हैं। लगभग एक लाख लोग वहां रहते हैं। जिस भूमि का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है वह न तो पुराने किले के निवासियों को और न किसी और को ही दी जा सकती है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या लाजपतनगर में भूमि देने का प्रस्ताव अभी भी है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैंने यह प्रस्ताव किया था किन्तु जहां तक मेरा अपना संबंध है वह प्रस्ताव अब समाप्त हो चुका है क्योंकि मुझे उनके पास से कोई उत्तर नहीं मिला था।

†**डा० मेलकोटे** : क्या शरणार्थियों की दयनीय दशा पर मंत्रालय ने तरस नहीं खाया है और क्या सरकार थोड़ी सी और सहानुभूति नहीं दिखा सकती ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मुझे खेद है वह एक स्वयं विस्थापित व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसके हृदय में शरणार्थियों के लिये अपार सहानुभूति है क्योंकि वह स्वयं एक शरणार्थी हैं।

†**श्री हेम बरूआ** : वह तो सुव्यवस्थित हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पुराने किले में कुछ सौ परिवार हैं। उनमें से कुछ ने लाजपतनगर में आवंटित प्लाटों के लिये अपनी सहमति दे दी थी। पुराने किले में ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है जो अब भी लाजपतनगर के प्लाटों को लेने को तैयार नहीं हैं और क्या उन्होंने इस बारे में मंत्री महोदय के पास अभ्यावेदन नहीं किया है कि उन्हें लाजपतनगर या उसके आस-पास भूमि दे दी जाये ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं बता चुका हूं कि इस समय पुराने किले में ६०० परिवार रह रहे हैं। अतः लगभग ७०० परिवार प्रभावित हुये थे—अनुमानित संख्या ६०० परिवार है, जिसमें से लगभग १५० या २०० परिवार अन्य स्थानों को चले गये हैं।

†**श्री वाजपेयी** : क्या सरकार ने पुराने किले को शरणार्थियों से खाली करवाने के लिये कोई तारीख निश्चित की है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : जहां तक मेरा व्यक्तिगत संबंध है, मैंने जो अन्तिम तारीख रखी थी वह कुछ महीने पहले समाप्त हो गई है और मैंने माननीय सदस्य को अभी बताया है कि हम पुराने किले को साफ कराने की कार्यवाही कर रहे हैं।

---

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## सरकारी क्षेत्र में धन विनियोग

†*१७२७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में सरकारी क्षेत्र में जो धन विनियोग किया गया था, वह विभिन्न राज्यों के औद्योगिक पिछड़ेपन के अनुपात से किया गया था; और

(ख) १९५८ के अन्त तक सरकार द्वारा मद्रास, मैसूर आन्ध्र और केरल के औद्योगिक यूनिटों और सिंचाई बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गयी थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**उपमंत्री (श्री श्या० न० मिश्र)** : (क) सरकारी क्षेत्र में उद्योगों के लिये धन विनियोग करते समय अप्रैल, १९५६ के औद्योगिक नीति संकल्प में निर्धारित बातों को ध्यान में रखा गया है ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ५२]**

**बिजली के मोटरों का निर्माण**

†*१७३३. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्लांट एक्विपमेंट एण्ड कम्पलीट वर्क्स, वारसा, के निर्यातकर्ता मैसर्स सेकोप[1] नामक एक पोलिश फर्म के साथ बिजली के मीटर तैयार करने की एक फैक्टरी स्थापित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो कहां पर और कब ; और

(ग) उस पर कुल कितनी लागत आयेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सेकोप नामक फर्म के सहयोग से बम्बई में घरों के लिये बिजली के मीटर तैयार करने के लिये एक कारखाना स्थापित करने के लिये अगस्त, १९५८ में एक भारतीय फर्म को एक लाइसेंस दिया गया था । परन्तु हाल ही में उस फर्म ने सहयोग की मूल शर्तों में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दिया है और सरकार उन पर विचार कर रही है ।

(ग) उस पर लगभग २५ लाख रुपयों की लागत आयेगी ।

**भारत और चीन के बीच जानवरों का आदान-प्रदान**

†*१७३६. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से यह निवेदन किया गया है कि वह चीनी सरकार से भारत और चीन के बीच कुछ जानवरों के आदान-प्रदान के सम्बन्ध में बातचीत करे; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** :(क) जी, हां ।

(ख) यह मामला खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के विचाराधीन है ।

**पाकिस्तान के अधीन काश्मीरी क्षेत्र से विस्थापित व्यक्ति**

†*१७४०. **श्रीमती सुचेता कृपलानी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के अधीन काश्मीर क्षेत्र से आने वाले किसी विस्थापित व्यक्तियों में से कोई ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्हें अभी तक पुनर्वास सम्बन्धी सुविधायें नहीं दी गयी हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Messrs CEKOP

(ख) यदि हां, तो क्यों; और

(ग) क्या उन लोगों को भी पुनर्वास सम्बन्धी सुविधायें देने का कोई विचार है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) से (ग). प्रतिकर योजना तथा पुनर्वास वित्त प्रशासनीय ऋणों के अतिरिक्त पाकिस्तान के अधीन काश्मीरी क्षेत्र से आने वाले सभी विस्थापित व्यक्ति पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों के सामान ही पुनर्वास सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

## एथर्टन वैस्ट मिल्स लिमिटेड,[1] कानपुर

†*१७४४. **श्री स० म० बनर्जी :**
**श्री जगदीश अवस्थी :**
**श्री नागी रेड्डी :**
**श्री दे० वें० राव :**
**सरदार इकबाल सिंह :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एथर्टन वेस्ट मिल्स लिमिटेड, कानपुर, के कार्य के बारे में जांच करने के लिये नियुक्त की गयी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस रिपोर्ट पर विचार कर लिया है; और

(ग) उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). उस समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है । कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार से परामर्श करने के उपरान्त निर्णय किया जायेगा । उस सम्बन्ध में राज्य सरकार से उसकी राय मांगी गयी है ।

## केरल को रूसी सहायता

†*१७४३. **श्री राजेन्द्र सिंह :**
**श्री विभूति मिश्र :**
**श्रीमती इला पालचौधरी :**
**श्री वाजपेयी :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री कोडयार :**
**श्री ज० ब० सि० बिस्त :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि केरल के मुख्य मंत्री, श्री नम्बूद्रीपाद, ने यह ब्यान दिया था (जो कि हिन्दुस्तान टाइम्स दिनांक १६ जनवरी, १९५९ में छपा था) कि वे अपनी आगामी

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Atherton West Mills Ltd.

रूस की यात्रा के समय इस बात के लिये प्रयत्न करेंगे कि क्या रूस की ओर से भारत को जो इतनी अधिक राशि दी जा रही है, उसका केरल राज्य के आर्थिक विकास के लिये भी उपयोग किया जा सकता है; और

(ख) क्या भारत सरकार ने केरल राज्य के मुख्य मंत्री को उस सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये कोई हिदायत दी है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में हमने हिन्दुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट पढ़ी है, परन्तु उस के बाद दिल्ली में एक प्रैस सम्मेलन में मुख्य मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उस सम्बन्ध में उनका वास्तविक तात्पर्य यही था कि वे उस बारे में प्रयत्न करेंगे कि क्या केरल राज्य में बनी हुई वस्तुओं की रूस में अधिक बिक्री हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि इस बात की सम्भावना हुई तो वे केन्द्रीय सरकार से इस बारे में प्रार्थना करेंगे। हमारे पास इन बयानों का कोई प्रामाणिक पाठ तो है नहीं, परन्तु फिर भी उक्त बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें कोई विशेष हिदायतें देने का तो कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

## चाय गवेषणा संस्था

†*१७४६. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा दोआर्स, पश्चिमी बंगाल, में एक मूल चाय गवेषणा संस्था स्थापित की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) चाय बोर्ड एक संस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में विचार कर रहा है। संस्था के स्थान के सम्बन्ध में भी बोर्ड शीघ्र ही विचार कर लेगा।

(ख) प्रश्न फिलहाल उत्पन्न नहीं होता। योजना की मंजूरी मिल जाने के बाद भी संस्था का कार्य प्रारम्भ होने में दो तीन वर्ष लग जायेंगे।

## उड़ीसा में सीमेण्ट फैक्टरी

†*१७४७. **श्री संगण्णा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में सीमेन्ट फैक्टरी स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) आवेदन पत्र को नामंजूर कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

## दर्शन यन्त्रों के कांच का कारखाना

†*१७४८. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री तंगामणि :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री अ०क० गोपालन :
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अजीतसिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २९ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रूसी विशेषज्ञों की सिफारिश के अनुसार दर्शन यंत्रों के कांच के कारखाने की स्थापना की दिशा में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : अनुदेश ज्ञापन और कारोबार अग्रिम प्रतिवेदन तैयार करने के लिये आवश्यक प्रारम्भिक आंकड़े अगस्त, १९५८ में मास्को के मैसर्स टकनो-एक्सपोर्ट को भेज दिये गये थे । आशा है कि १९५९ के मध्य में ब्योरेवार अग्रिम प्रतिवेदन हमारे पास आ जायेगा ।

आशा है कि ब्योरेवार अग्रिम प्रतिवेदन की तैयारी में सहायता करने के लिये शीघ्र ही एक भारतीय विशेषज्ञ दल रूस जायेगा ।

## नमक का आवंटन

†२८१५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में प्रत्येक राज्य को कितना-कितना नमक आवंटित किया गया था ;

(ख) आवंटन की मात्रायें किस प्रकार से निर्धारित की गयी थीं;

(ग) क्या मात्राओं को बढ़ा देने के सम्बन्ध में कोई उपाय किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) विभिन्न राज्यों को नमक का वितरण करने के लिये प्रत्येक पत्रीवर्ष के लिये क्षेत्रीय योजना तैयार की जाती है। १९५८ में विभिन्न राज्यों को नमक का निम्नलिखित मात्राओं में आवंटन किया गया था :—

| राज्य का नाम | हजारो मनों में नमक |
|---|---|
| १. आन्ध्र | ६३३९ |
| २. आसाम | २४०० |
| ३. बिहार | ८१०५ |
| ४. बम्बई | ११७८७ |
| ५. दिल्ली | १०१६ |
| ६. भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियां | १०० |
| ७. हिमाचल प्रदेश | २०४ |
| ८. जम्मू तथा काश्मीर | ६१६ |
| ९. केरल | ३३८० |
| १०. मध्य प्रदेश | ४९७० |
| ११. मद्रास | ७३०० |
| १२. मनीपुर | १०० |
| १३. मैसूर | ३८९५ |
| १४. पूर्वोत्तर सीमान्त अभिकरण | ४० |
| १५. उड़ीसा | २६०० |
| १६. पंजाब | २७१० |
| १७. राजस्थान | ३४३५ |
| १८. त्रिपुरा | १५० |
| १९. उत्तर प्रदेश | १११९५ |
| २०. पश्चिमी बंगाल | ६३५३ |

(ख) नमक की वार्षिक आवश्यकता का हिसाब लगाते समय मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, केरल और मैसूर राज्यों के अतिरिक्त शेष सभी राज्यों के लिये प्रति व्यक्ति १४ पौंड नमक को आधार माना गया है। मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, केरल और मैसूर के लिये प्रति व्यक्ति २० पौंड नमक को आधार माना गया है। जहां तक औद्योगिक कार्यों के लिये नमक की खपत का सम्बन्ध है, वह मात्रा वास्तविक मांगों के आधार पर निर्धारित की जाती है।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). १९५९ के वर्ष के लिये सभी राज्यों के लिये कुल ८,८६,४८,००० मन नमक निर्धारित किया गया है और वह मात्रा १९५८ की तुलना में १,१९,५३,००० मन अधिक है।

**चीन के साथ व्यापार**

†२८१६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५८ में भारत से कितने मूल्य की वस्तुओं का चीन को निर्यात किया गया था; और

(ख) १९५८ में चीन से भारत को कितने मूल्य की वस्तुओं का आयात किया गया था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :(क) ३.४३ करोड़ रुपये।

(ख) ५.२८ करोड़ रुपये।

**अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार**

†२८१७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में भारत से कितने मूल्य की वस्तुएं अफ्रीका के विभिन्न देशों को भेजी गईं ; और

(ख) १९५८ में अफ्रीकी देशों से देशवार, कितनी कीमत की वस्तुएं मंगवायी गइ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि जनवरी से नवम्बर, १९५८ तक की अवधि में अफ्रीका को कितने मूल्य की वस्तुएं भेजी गयी थीं और वहां से कितने मूल्य की वस्तुएं मंगवायी गयी थीं। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५३ ]**

**उद्योगों के उत्पादन का लक्ष्य से आगे बढ़ जाना**

†२८१८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन उद्योगों के उत्पादन १९५८ में लक्ष्य से आगे बढ़ गये थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : विभिन्न उद्योगों के प्रतिवर्ष के लिये लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जा सकते। हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक के लिये विभिन्न उद्योगों के कुछ लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। क्योंकि योजना काल समाप्त होने में अभी दो वर्ष शेष हैं और निर्धारित क्षमता के अनुसार तो उत्पादन अभी प्रारम्भ हो रहा है, इसलिये उनकी प्रगति की जांच इसी समय कर लेना संभव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

## उद्योगों में उत्पादन

†२८१९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किस-किस उद्योग ने १९५८ में उत्पादन संबंधी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : विभिन्न उद्योगों के प्रतिवर्ष के लिये लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जा सकते । हां, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक के लिये विभिन्न उद्योगों के कुछ लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं । क्योंकि योजना काल की समाप्ति में अभी दो वर्ष रहते हैं और निर्धारित क्षमता के अनुसार तो उत्पादन अभी प्रारम्भ हुआ है, इसलिये उनकी प्रगति की जांच इसी समय कर लेना संभव नहीं है ।

## सिलाई की मशीनों का आयात

†२८२०. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में किस-किस देश से कितनी-कितनी सिलाई की मशीनें मंगवायी गयी थीं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि १९५८-५९ में विभिन्न देशों से कितनी-कितनी सिलाई की मशीनें मंगवायी गयी थीं । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५४]** । दिसम्बर, १९५८ के बाद के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

## बम्बई में कम्पनियां

†२८२१. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई राज्य की कौन-कौन से कम्पनियों के विरूद्ध १९५८-५९ में ये शिकायतें दायर की गयीं कि उन्होंने समवाय अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों का उल्लंघन किया है ; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख) . सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५५]** ।

## दियासलाई का उत्पादन

†२८२२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ की तुलना में १९५८-५९ में दियासलाई का उत्पादन कैसा रहा है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उक्त वर्षों में 'विमको' तथा 'आसाम मैच कम्पनी' द्वारा नियन्त्रित फैक्टरियों में कितना-कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) उक्त अवधि में 'ख', 'ग' और 'घ' श्रेणी की फैक्टरियों में कितना-कितना उत्पादन हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है। **[देखिय परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५६]** ।

**सक्षम पदाधिकारी**

†**२८२३. श्री मू० चं० जैन** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५२–५३, १९५३–५४, १९५५–५६, १९५६–५७, १९५७–५८, और १९५८–५९ में सक्षम पदाधिकारियों को (१) मिश्रित सम्पत्तियों की बिक्री से (२) गैर-निष्क्राम्य व्यक्तियों द्वारा दी गई मोचन राशियों; और (३) निष्क्राम्य सम्पत्ति के कस्टोडियन द्वारा दी गई मोचना राशियों के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई थी;

(ख) उक्त राशियों में से सक्षम पदाधिकारियों द्वारा (१) गैर-निष्क्राम्य व्यक्तियों को, (२) प्रतिकर पूल के लिये निष्क्राम्य सम्पत्ति के कस्टोडियन को (३) नीलामी करने वालों को नीलामी की फीस के रूप में और (४) नीलामी की फीस में सरकार के अंशों के रूप में सरकार को कितनी-कितनी राशि अदा की गयी है ;

(ग) १ अप्रैल, १९५८ और १ नवम्बर, १९५८ को सक्षम पदाधिकारियों के पास शेष कितनी राशि रहती थी ; और

(घ) गैर-निष्क्राम्य व्यक्तियों, निक्राम्य सम्पत्ति के कस्टोडियन तथा अन्य व्यक्तियों को शीघ्र ही शेष राशियां अदा कर देने के संबंध में क्या-क्या कार्यवाही की गयी है और बकाया राशियां कब तक अदा कर दी जायेंगी ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (घ). जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह जानकारी सभी राज्यों के सक्षम पदाधिकारियों से एकत्रित करनी पड़ेगी और सभी फाइलों का मुआयना करना पड़ेगा। इसे एकत्रित करने पर जितना समय और परिश्रम लगेगा वह प्राप्त होने वाले परिणाम के अनुरूप न होगा।

**सक्षम पदाधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपील**

†**२८२४. श्री मू० चं० जन** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में कोई हिदायतें दे दी गयी हैं, कि सक्षम पदाधिकारियों के निर्णयों के विरूद्ध निष्क्राम्य सम्पत्ति के कस्टोडियन द्वारा अथवा उसकी ओर से व्यर्थ में ही अपीलें दायर न की जायें और छोटे-छोटे मामलों के संबंध में भी अपीलें दायर न की जायें ;

(ख) ३१ अक्तूबर, १९५८ तक कस्टोडियन द्वारा इस प्रकार की कितनी अपीलें दायर की गयी थीं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कितनी अपीलें स्वीकार की गयीं ;

(घ) कितनी अपीलें अस्वीकार की गयीं ; और

(ङ) १ नवम्बर, १९५८ को इस प्रकार की कितनी अपीलें बकाया थीं ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) इस संबंध में कोई औपचारिक सिफारिशें तो नहीं जारी की गयी हैं। फिर भी राज्य कस्टोडियनों को यह ज्ञात है कि अपीलीय पदाधिकारियों के सामने व्यर्थ में ही अपीलें दायर नहीं करनी चाहियें।

(ख) ११९६ ।

(ग) ४८९ ।

(घ) ६८२ ।

(ङ) २५ ।

**अपीलीय पदाधिकारी**

†२८२५. **श्री मू० चं० जैन** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ अक्तूबर, १९५८ तक निष्क्राम्य हित (पृथक्करण) अधिनियम, १९५१ के अधीन काम करने वाले अपीलीय पदाधिकारियों के पास कितनी अपीलें अथवा प्रतिवाद दायर किये गये थे ;

(ख) ३१ अक्तूबर, १९५८ तक कितनी अपीलों और प्रतिवादों के संबंध में निर्णय कर दिया गया था ;

(ग) १९५३–५४, १९५४–५५, १९५६–५७, और १९५८ में (३१ अक्तूबर, १९५८ तक) कितनी अपीलों अथवा प्रतिवादों का निर्णय कर दिया गया था ; और

(घ) १ नवम्बर, १९५८ को कितनी अपीलें और प्रतिवाद बकाया बचे थे और कितने एक वर्ष से अधिक अवधि से अनिर्णीत पड़े थे ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) ६,११४ ।

(ख) ५,८५६ ।

(ग)

| | | |
|---|---|---|
| (१) | १९५३ . . . | २२० |
| (२) | १९५४ . | ९७० |
| (३) | १९५५ . . . . | ६८५ |
| (४) | १९५६ . . | १,८२७ |
| (५) | १९५७ . . . . . | १,५२० |
| (६) | १९५८ (३१ अक्तूबर, १९५८ तक) . . . | ६३४ |
| | | ५,८५६ |

†मूल अंग्रेजी में

(घ) १-११-५८ को बकाया . . . २५८

जो एक वर्ष से भी अधिक समय से पड़े हैं . . . १३

**सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर**

†२८२६. **श्री दामानी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा १९५७–५८ और १९५८–५९ में राज्यवार सरकारी कर्मचारियों के लिये कितने मकान बनवाये गये थे ;

(ख) १९५९–६० में कितने क्वार्टर तैयार किये जायेंगे ; और

(ग) १९५७–५८ और १९५८–५९ में इन क्वार्टर से राज्यवार किरायें के रूप में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई थी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) से (ग). मंत्रालय का संबंध मुख्यतया सामान्य पूल से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और नागपुर के क्वार्टर तैयार करने से है। अन्य मंत्रालयों जैसे, रेलवे, परिवहन तथा संचार मंत्रालय आदि के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये स्वयं क्वार्टर तैयार किये जाते हैं।

भाग (ग) में मांगी गई जानकारी को एकत्रित करने में इतना अधिक समय और इतना परिश्रम लगेगा कि वह प्राप्त होने वाले परिमाणों के अनुरूप नहीं होगा।

**दिल्ली में निष्काम्य सम्पत्ति की बिक्री**

†२८२७. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री सै० अ० मेहरी :**

क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिसम्बर, १९५८ से मार्च, १९५९ तक निष्काम्य सम्पत्ति की बिक्री से कितनी आय हुई ; और

(ख) नीलाम करने वाले व्यक्तियों को कमीशन के रूप में कितनी राशि दी गयी है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) १,०५,८६,८२५·०० रुपये।

(ख) ७२,९१९·७१ रुपये।

**नये उद्योग**

†२८२८. **श्री रा० च० माझी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना से सम्बन्ध रखने वाली अनुज्ञापन समिति द्वारा १९५७ और १९५८ में उद्योग (विवरण तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन कितने आवेदन पत्रों को स्वीकृति दी गयी थी ; और

(ख) स्वीकृत उद्योग में से कितने अब तक स्थापित हो चुके हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**श्रमिक अपीलें**

†२८२९ { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**श्री केशव :**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक अपीलों को शीघ्रता से निपटाने के लिये कोई योजना तैयार की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). यह काम तो न्यायालयों का है। विधि आयोग ने न्याय-सुधार सम्बन्धी अपनी १४वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ ही साथ 'अपीलों के न्यायाधिकरण' स्थापित करने का भी सुझाव दिया है। मामला विचाराधीन है।

**पंजाब में केन्द्रीय योजनायें**

†२८३०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **योजना** मंत्री १७ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में पंजाब में आरम्भ की गयी केन्द्रीय योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी राशि के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित कर ली गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). जी हां, सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५७]** ।

**प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिया जाना**

†२८३१. { **श्री स० म० बनर्जी :**
**श्री राम कृष्ण गुप्त :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिये जाने की योजना उनके मंत्रालय के अधीन चल रहे किसी और सरकारी उपक्रम में भी लागू की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो किस-किस उपक्रम में लागू की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). श्रमिकों के प्रबंध-कार्यों में भाग लेने की योजना को जुलाई, १९५८ में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में लागू किया गया था। हिन्दुस्तान इन्सेक्टेसाइड्स (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली, में भी संयुक्त श्रमिक प्रबन्ध परिषद् स्थापित

†मूल अंग्रेजी में

की जा रही है और उसके लिये कर्म समिति के कृत्यों का उपयुक्त ढंग से विस्तार किया जा रहा है। इस व्यवस्था का १३ अगस्त, १९५८ को कर्म समिति के कार्यकर्त्ताओं द्वारा अनुसमर्थन किया गया था।

उक्त दोनों प्रयोगों के परिणामों की बड़ी रूचि से प्रतीक्षा की जा रही है। इसका परिणाम नजर आते ही इस योजना को कुछ अन्य कारखानों में भी लागू कर दिया जायेगा।

**बन्द हो चुकी मिलों को राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा ऋण**

†२८३२. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बन्द हो चुकी इन मिलों के नाम जिन्हों ने १९५८ में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से ऋण मांगें ;

(ख) कितने ऋण के लिये आवेदन-पत्र भेजे गये ;

(ग) कितने ऋण स्वीकृत हुए ;

(घ) किन आधारों पर ऋण स्वीकृत हुए ; और

(ङ) क्या राशि मंजूर करने से पूर्व कोई पूछताछ की गई थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५८]**

(ग) कोई नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

**उत्तर प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग**

†२८३३. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५६–५७ और १९५७–५८ में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों और ऋणों की कोई राशि व्ययगत हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि व्ययगत हुई है और इसके क्या कारण है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५९]**

**उड़ीसा में योजना प्रचार परियोजनायें**

†२८३४. **श्री पाणिग्रही** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रथम और द्वितीय योजना काल में उड़ीसा में कोई योजना प्रचार परियोजना आरम्भ की थी

(ख) यदि हां, तो वे योजनायें और परियोजनायें क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) केन्द्रीय सरकार ने प्रथम और द्वितीय योजना में अब तक उन पर कुल कितनी राशि खर्च की ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने उड़ीसा में प्रचार के लिये कोई योजना विशेष आरम्भ नहीं की है। इस मंत्रालय का फील्ड पब्लिसिटी यूनिट राज्य सरकार के सहयोग से पंचवर्षीय योजना और इस के अन्य परियोजनाओं का अवश्य प्रचार करता है। इसके लिये कुछ 'मोबाइल यूनिट' भी हैं।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६०]**

(ग) खर्च का ब्यौरा राज्यवार नहीं रखा जाता है इसलिये यह बताना सम्भव नहीं कि उड़ीसा में इस के प्रचार पर कितना खर्च किया गया।

## शिवरामन् समिति

†**२८३५. श्री पाण्डियन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिवरामन् समिति ने उड़ीसा को १९५७–५८ में मच्छली पालने की विधि, अनाज गोलों और बाढ़ नियन्त्रण और राष्ट्रीय राजपथों के निर्माण के लिये ऋण देने की सिफारिश की है;

(ख) क्या समिति ने उड़ीसा को इन कामों के लिये ५७.७२ लाख रुपया ऋण देने की सिफारिश की ; और

(ग) यदि हां, तो इन सफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री इया० नं० मिश्र)** : (क) से (ग). १९५७–५८ में शिरामन् समिति ने कितनी राशियों की सिफारिश की और कितनी राशियों की मंजूरी दी गई यह जानकारी नीचे दी जाती है :—

| | सिफारिश की गई राशि | स्वीकृत राशि |
|---|---|---|
| (१) छोटी सिंचाई योजना . . | ४.०० | १३.८८ |
| (२) पम्पिग सेट . . . | ६.८४ | ६.८४ |
| (३) मच्छली पालने के लिये तालाबों की सफाई और मरम्मत . | ३.१० | ३.१० |
| (४) ग्रेन गोले . . . | ४.६२ | .. |
| (५) पीने के पानी की सप्लाई (ग्राम्प) . | | ५.७१ |
| (६) बाढ़ नियंत्रण | २०.०० | |
| (७) राष्ट्रीय राजपथ . . | २४.०० | .. |

(१) से (५) मदों के लिये उड़ीसा को व्यय के आधार पर सहायता स्वीकृत की गई थी। बाढ़ नियंन्त्र पर हुये खर्च को देखते हुये यह मुनासिब नहीं समझा गया कि और निधि उपलब्ध की जाये। राष्ट्रीय राजपथों के लिये १९५७–५८ के आयव्ययक में १९५७–५८ के लिये राशि आवंटित की जा चुकी थी इसलिये उड़ीसा को और अतिरिक्त राशि आवंटित नहीं की जा सकती थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

## सीमेंट के कारखाने

†२८३६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमेंट के कारखानों के निर्माण सम्बन्धी योजना लक्ष्यों की पूर्ति के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी ;

(ख) अभी तक कितनी राशि स्वीकृत की जा चुकी है; और

(ग) कितनी विदेशी मुद्रा के लिये अभी आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) द्वितीय योजना के आरम्भ में सीमेंट की जो उत्पादन क्षमता ४९ लाख टन थी उसे बढ़ा कर १६० लाख तक लाने के लिये ५६ करोड़ रुपये खर्च का अनुमान था ।

(ख) अभी तक २६ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा दी जा चुकी है । इस से सीमेंट उद्योग की क्षमता द्वितीय योजना काल की समाप्ति तक १ करोड़ टन हो जायेगी ।

(ग) ४६ लाख टन सीमेंट के उत्पादन की योजनाओं को पूरा करने के लिये २३.४ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की जरूरत होगी । क्योंकि मांग से अधिक उत्पादन किया जा रहा है इस लिये उत्पादन क्षमता बढ़ाने के बारे में पूरी तरह विचार किया जायेगा ।

## बिहार में शिक्षित बेरोजगार

†२८३७. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने १९५७–५८ और १९५८–५९ में शिक्षित लोगों की बेकारी को कम करने के लिये कोई प्रार्थना भेजी थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मांगी गई थी और कितनी स्वीकृत की गई ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) ऐसी कोई प्रार्थना नहीं मिली थी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## एशियाई अफ्रीकी वैधिक परामर्श समिति

†२८३८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस भारतीय शिष्टमंडल का प्रतिवेदन मिला है जिसने अक्तूबर १९५८ में काहिरा में हुये एशियाई-अफ्रीकी वैधिक परामर्श समिति के सत्र में भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसका अध्ययन किया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). यह प्रतिवेदन मिल चुका है और उसका अध्ययन किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

**चार्टर्ड एकाउण्टेंट संस्था का अध्ययन दल**

†२९३९. **श्री वी० चं० शर्मा :**
**श्री राम कृष्ण गुप्त :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दो चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्था के तीन व्यक्तियों के उस दल का प्रतिवेदन मिल गया है जिन्होंने हाल ही में अमरीका में प्रबन्ध लेखों के तरीकों का अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशें क्या थीं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) भारत की चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्था द्वारा भेजे गये तीन सदस्यों के दल ने संस्था की परिषद् को प्रतिवेदन भेज दिया है और एक प्रति सरकार को भी भेज दी गई है ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें इस दल की अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशें दी गई हैं । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६१]**

(ग) प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है ।

**भारतीय ऊनी कालीनों का निर्यात**

**२८४०. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से सन् १९५९ में अब तक कुल कितने मूल्य के भारतीय ऊनी कालीनों का निर्यात किया गया ; और

(ख) क्या भारत ने ऊनी कालीनों के निर्यात-व्यापार में कुछ और प्रगति की है ?

**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). भारत से सन् १९५९ में अब तक कुल कितने मूल्य के भारतीय ऊनी कालीनों का निर्यात किया गया, इसके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन ऊनी कालीनों के निर्यात में कुछ प्रगति हुई है जैसा कि नीचे के आंकड़े से विदित होता है :—

| वर्ष | मूल्य रु० में |
|---|---|
| १९५६ . . . . . | ४,०३,७९,९५६ |
| १९५७ . . . . . | ४,२४,५५,८५२ |
| १९५८ (जनवरी-नवम्बर) . . . | ४,२५,२४,१८९ |

†मूल अंग्रेजी में

## मालदीव

†२८४१. **श्री रघुनाथ सिंह :**
**श्री वारियर :**
**श्री कोडियान :**
**श्री वासुदेवन नायर :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मालदीव के साथ भारत सरकार के राजनीतिक सम्बन्ध कैसे हैं और हिन्द महासागर में होने के कारण उनकी स्थिति क्या है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मालद्वीप के साथ की गई विशेष सन्धि सम्बन्ध के अधीन वे ब्रिटेन के संरक्षित क्षेत्र हैं। इस द्वीप के साथ हमारा राजनीतिक सम्पर्क ब्रिटेन के जरिये है।

मालदीव सरकार ने हमारे साथ व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्पर्क स्थापित किये हैं। मालदीव के कुछ लोग भारत में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और हम उस से साधारण व्यापार भी कर रहे हैं।

## सीमा पर हमले

२८४२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ फरवरी, १९५९ की रात को पश्चिमी पाकिस्तान के बहावलपुर राज्य के समीप भारतीय क्षेत्र में तीन पाकिस्तानी घुस आये और जब पंजाब सशस्त्र पुलिस ने उन्हें चुनौती दी तो उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी; और

(ख) यदि हां, तो हताहतों की संख्या और घटना का विवरण क्या है ?

**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जी नहीं। लेकिन ६ और ७ फरवरी १९५९ की रात को, तीन पाकिस्तानी राष्ट्रिकों ने फ़ीरोज़पुर-बहावलपुर सीमा के निकट शहतीरवाला गांव से मवेशी उठा ले जाने की कोशिश की। पंजाब सशस्त्र पुलिस दल के ललकारने पर, पाकिस्तानियों ने गोली चलाई। पंजाब सशस्त्र पुलिस दल को अपने बचाव के लिये गोली चलानी पड़ी। इस मुठभेड़ में एक अपराधी के गोली लगी और बाक़ी बच निकले। हमारी तरफ़ कोई नहीं मरा।

## फोटो छापने और रोटरी की स्याहियां

†२८४३. **श्री जीनचन्द्रन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में फोटो छापने और रोटरी की स्याहियां बनती हैं ;

(ख) छपाई उद्योग के लिये इन स्याहियों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है; और

(ग) क्या इन में से किसी का आयात करने की अनुमति दी जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी हां। गत तीन वर्ष में हुये इन स्याहियों के उत्पादन के आंकड़े ये हैं :—

| किस्म | १९५६ | १९५७ | १९५८ |
|---|---|---|---|
| अखबार छापने और रोटरी की स्याही (मात्रा पौंडों में) . | ८,६६,२८२ | १०,१३,८१५ | १२,८१,४७४ |
| ग्रैव्योर इंक . . | ९,३९१ | १,४३,२७० | १,३३,५४२ |

(ख) (१) अखबार छापने और रोटरी की स्याही . लगभग २,२४०,००० पौंड प्रति वर्ष

(२) ग्रैव्योर इंक. . ठीक-ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) लाइसेंस देने की वर्तमान अवधि अर्थात् अप्रैल-सितम्बर, १९५९ के लिये छपाई की स्याही के बारे में आयात नीति यह है :—

| व्याख्या | पुराने आयातमदों के बारे में नीति | लाइसेंस की मान्यता | टिप्पणियां |
|---|---|---|---|
| छपाई की स्याही | ५ प्रतिशत सामान्य<br>५ प्रतिशत 'साफ्ट' | छः मास | (१) छपाई की सभी प्रकार की स्याहियों के आयात के आधार पर अभ्यंश निर्धारित किया जायेगा परन्तु केवल निम्नलिखित के आयात के लिये लाइसेंस मान्य होंगे :—<br>(१) 'डिवैलपिंग इंक'<br>(२) 'स्टोन टू स्टोन ट्रांस्फर इंक'<br>(३) 'स्टोन टू प्लेट ट्रांसफर इंक'<br>(४) 'फोटो ट्रास्फर इंक'; और<br>(५) 'वडाश्क इंक'<br>२. स्वीकृत लाइसेंस के प्रत्यक्ष मूल्य के साढ़े सात प्रतिशत का प्रयोग आफ संट इंक के प्रयोग के लिये किया जा सकता है। |

†मूल अंग्रेजी में

विशेष प्रकार की उन स्याहियों जो देश में तैयार नहीं की जातीं के लिये असल प्रयोक्ताओं के आवेदन पत्रों पर आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक तदर्थ रूप से विचार करेंगे। आवेदन पत्र भेजने वालों को पूरा औचित्य बताना पड़ेगा और १९५८ में प्रयुक्त मात्रा भी बतानी होगी।

**टेपियोका का निर्यात**

†२८४४. **श्री मनियगाडन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें यह जानकारी हो कि गत दो मास में भारत से किन-किन देशों को टेपियोका कितना-कितना निर्यात किया गया और यह भी बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन देशों को भारत से टेपियोका भेजा जाता है क्या उन देशों को और कोई देश भी टेपियोका भेजते हैं ;

(ख) क्या निर्यात करने वाले अन्य देशों और भारत से जहाजों का माल भाड़ा बराबर है ;

(ग) यदि नहीं, तो कितना अन्तर है ;

(घ) क्या माल भाड़े में अन्तर के कारण भारत से टेपियोका का निर्यात कम होता है; और

(ङ) यदि हां, तो टेपियोका का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जाती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, हां। एक विवरण (संख्या १) संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६२]**

(ख) जी नहीं।

(ग) एक विवरण (संख्या २) जिस में भारत, इंडोनेशिया और सिंगापुर से माल भाड़े के तुलनात्मक आंकड़े दिये गये हैं संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६२]**

(घ) टेपियोका और इसके उत्पादों या निर्यात १९५७ की अपेक्षा १९५८ में अधिक हुआ है। यदि और परिस्थितियां वैसी ही रहें तो माल भाड़ा कम करने से निर्यात बढ़ सकता है परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि केवल इसी कारण निर्यात कम हो गया है।

(ङ) एक विवरण (संख्या ३) संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६२]**

**श्रमिक सहकारी संस्थायें**

†२८४५. **श्री इलयापेरुमाल :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७–५८ और १९५८–५९ में मद्रास राज्य में श्रमिक सहकारी संस्थाओं की सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि आवंटित की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** १९५७–५८ और १९५८–५९ में मद्रास में अधिक सहकारी संस्थाओं की सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार ने कोई राशि अवंटित नहीं की है।

**मद्रास सरकार को पंचायती रेडियो सेट देना**

†२८४६. **श्री इलयापेरुमाल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे यक राजसहायता योजना के अन्तर्गत मद्रास सरकार को अब तक कितने पंचायती सेट दिये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : ३१ मार्च, १९५९ तक मद्रास सरकार को कुल १०१५ पंचायती रेडियो सेट राजसहायता योजना के अन्तर्गत दिये जा चुके हैं जिनका लगभग मूल्य २,७५,४०० रुपये (आनुषंगिक व्यय तथा विभागीय प्रभारों के अतिरिक्त) है और इसमें केन्द्रीय सरकार ने १,३३,६८८ रुपये राजसहायता दी है ।

**मध्यम आय वर्ग आवास योजना**

†**२८४७. श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत १९५९–६० के लिये कोई वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मांगी गई है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख). पंजाब सरकार ने १९५८–५९ के लिये १४ लाख रुपये प्राप्त किये हैं । चालू वित्तीय वर्ष के लिये केवल तीन राज्यों ने अपनी आवश्यकतायें बताई है : शेष जिन में पंजाब भी शामिल है अपनी आवश्यकतायें शीघ्र ही बता देंगे ।

**रज़ा टैक्सटाइल्ज़ लिमिटेड, रामपुर**

†**२८४८. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रज़ा टैक्सटाइल्ज़ लिमिटड, रामपुर के अंशधारियों ने सरकार से यह मांग की है कि वह रज़ा टैक्सटाइल्ज़ लिमिटेड के मामलों की जांच करे ;

(ख) यदि हां, तो क्या आरोप लगाये गये हैं ; और

(ग) जांच करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) एसा कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

**राष्ट्रपति की इण्डोनेशिया और मलाया की यात्रा**

२८४९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ मास पहले जब भारत के राष्ट्रपति ने इन्डोनेशिया और मलाया की यात्रा की थी, तो कुछ भारतीय समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि भी उनके साथ गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके और संबंधित समाचार-पत्रों के नाम, भाषा और प्रकाशन-स्थान आदि के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) उनके परिवहन और उन्हें अन्य सुविधायें देने पर भारत सरकार को कितना व्यय करना पड़ा ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण लोक-सभा की मेज पर रखा जा रहा है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६३]**

(ग) राष्ट्रपति की यात्रा के लिये जो हवाई जहाज थे उनमें से एक में समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को जगह दे दी गई थी, इस लिये उनके परिवहन पर क्या खर्च आया इसका अलग तौर पर विवरण नहीं दिया जा सकता। इन प्रतिनिधियों पर इसके अलावा अन्य किसी प्रकार का खर्चा नहीं किया गया।

## समवायों में प्रबन्ध अभिकर्ता

†२८५०. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समवाय अधिनियम की धारा ३२४ के अन्तर्गत यह अधिसूचित किया गया है कि कुछ निश्चित प्रकार के उद्योगों अथवा कारोबारों के प्रबन्ध अभिकर्त्ता नहीं होंगे ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसा करने का विचार है ; और

(ग) क्या इस दृष्टि से किसी उद्योग की जांच की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ग). नहीं है।

(ख) इस मामले पर विचार किया जा रहा।

## कारों का निर्माण

†२८५१. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही में सरकार ने जो वक्तव्य दिया कि कार बनाने के ५० लाख रुपये के पुर्जों का आयात करने की अनुमति दी जायेगी इसे देखते हुये 'डोज' 'प्लाइमाऊथ' और 'स्टडर्ड वानगार्ड' कार देश में तैयार होती रहेंगी और धीरे धीरे यहां बनने लगेंगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : विगत जुलाई में मोटर गाड़ी उत्पादकों के परामर्श से यह निश्चय किया गया था कि इस उद्देश्य से कि उपलब्ध विदेशी मुद्रा में अधिक से अधिक मोटर गाड़ियों के पुर्जों का आयात किया जा सके प्रत्येक निर्माता को एक प्रकार की कार के पुर्जे आयात करने की अनुमति दी जायेगी और चुनाव करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि उस पर कम से कम विदेशी मुद्रा खर्च हो। इस निर्णय का अनुसरण करते हुये 'डोज' 'प्लाइमाऊथ' और 'स्टेंडर्ड वानगाड' जैसी बड़ी गाड़ियों का आयात करना बन्द कर दिया गया था। क्योंकि अभी विदेशी मुद्रा की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है इसलिये सरकार अभी यह नीति जारी रखेगी।

छोटी कारों की कमी को दूर करने के लिय कारों के पुर्जों के आयात के लिये ५० लाख रुपय की विदेशी मुद्रा और दी गई थी जो कि बड़ी कारों के पुर्जों का आयात करने के लिये खर्च नहीं की जा सकी।

---

†मूल अंग्रेजी में

## मद्रास राज्य में औद्योगिक सरकारी संस्थायें

†२८५२. { श्री स० र० अरुमुगम्
श्री गणपति :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में कितनी औद्योगिक सहकारी संस्थायें चल रही हैं ;

(ख) ये संस्थायें किस प्रकार की है और उनके द्वारा कितना माल तैयार किया जाता है ; और

(ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के पास अथवा उसके जरिये बेचे गये माल का कितना मूल्य है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा तटल पर रख दी जायेगी।

## गोरखपुर श्रम संगठन

†२८५३. **श्री म० कु० घोष :** क्य **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर श्रम संगठन को जारी रखने के बारे में क्या फैसला किया गया है ;

(ख) वर्ष १९५६ और १९५८ में गोरखपुर के कितने श्रमिक, उद्योग-वार, काम पर लगे ;

(ग) क्या उनको बाकी श्रमिकों से अलग रखा जाता है ; और

(घ) क्या उनको श्रम संगठनों में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) कोयला खनन संबंधी औद्योगिक समिति की सिफारिश यह थी कि इस समय गोरखपुर श्रम संगठन को केवल भर्ती के प्रयोजन के लिये चालू रखा जाये परन्तु भर्ती के बाद गोरखपुर श्रमिकों पर उनका हर प्रकार का नियंत्रण और विनियम समाप्त हो जाये। एक संयुक्त सहकारी संगठन होना चाहिये जो सब श्रमिकों के भर्ती, प्रशिक्षण और कल्याण संबंधी विभिन्न पहलुओं पर विचार करे ताकि गोरखपुर श्रमिकों और अन्य श्रमिकों के बीच कोई भेद न हो।

(ख)

| उद्योग का नाम | गोरखपुर श्रमिकों की संख्या | |
|---|---|---|
| | १९५६ | १९५८ |
| १. कोयला क्षेत्र . . . | ११,४६७ | १३,३३० |
| २. चूने के पत्थर की खाने . . | ११७ | १७९ |
| ३. लौह-अयस्क की खाने . . | ६९४ | ७४० |

(ग) जी नहीं।

(घ) जी, हां।

†मल अंग्रेजी में

**भवानी सागर और मेत्तूर में कागज मिलें**

†२८५४. **श्री बाल कृष्णन्** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भवानी सागर और मेत्तूर में बांसों का प्रयोग करने वाली कागज मिलों स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का क्या ब्योरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) और (ख). भवानी सागर में एक कागज मिल स्थापित करने के लिये सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। तथापि, मेत्तूर डैम, जिला सेलम, में एक कागज मिल स्थापित करन के लिये नवम्बर, १९५६ में एक गर-सरकारी पक्ष (पार्टी) से एक योजना प्राप्त हुई थी। योजना पर विचार करने के पश्चात् उस पक्ष को अगस्त, १९५७ में यह सूचित कर दिया गया कि इस समय वर्तमान परिस्थितियों के कारण उनको इतनी राशि की विदेशी मुद्रा नहीं मिल सकती और उनसे कहा गया कि वह एक वर्ष बाद फिर आवेदनपत्र भेजें। उस फर्म ने अब मशीनों आदि के आयात के लिय पुनरीक्षित प्रस्ताव भेजा है और वह विचाराधीन है ।

**प्रलेखीय चलचित्रों की विदेशों में बिक्री**

†२८५५. **श्री शिवनंजप्पा**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आस्ट्रेलिया में कामनवेल्थ नेशनल लाइब्रेरी से भारतीय प्रलेखीय चलचित्रों की बिक्री के लिए बातचीत तै कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो बातचीत कब तक की जायेगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) और (ख). आस्ट्रेलिया में हमारी फिल्मों के गैर-वाणिज्यिक रूप में वितरण के लिये कामनवेल्थ नेशनल लाइब्रेरी, कैनबरा के साथ १८ अप्रैल, १९५५ को करार पर हस्ताक्षर हुए थे। इस करार की अवधि प्रतिवर्ष बढ़ती रही है। १ अप्रैल, १९५९ से चालू होने वाले वर्ष के लिये किये गये करार की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(१) विदेशी व्यापार के लिये उपलब्ध फिल्मों में से एक १६ मिलीमीटर डयूप नैगेटव फिल्म कामनवेल्थ नेशनल लाइब्रेरी को मुफ्त दी जायगी ।

(२) आस्ट्रलिया में बिक्री के लिये कामनवेल्थ नेशनल लाइब्रेरी डयूप नैगेटिव से अपनी लागत पर प्रिंट तैयार करेगी ।

(३) ये प्रिंट ४०० फुट वाले प्रति प्रिंट के हिसाब से पौंड (अ) ७–१०–० की दर पर बेचे जायेंगे जिसमें से पौंड (अ) ४ प्रति प्रिंट भारत सरकार को दिया जायेगा ।

(४) कामनवेल्थ नेशनल लाइब्रेरी चुनी हुई हर फिल्म के कम से कम चार प्रिंट बेचेगी ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

**पंचकुई रोड और जनपथ, नई दिल्ली के स्थायी स्टाल-होल्डर (दूकानदार)**

†२८५६. { **राजा महेन्द्र प्रताप :**
**श्री अमजद अली :**

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री २५ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७७१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचकुई रोड और जनपथ (क्वीन्सवे) नई दिल्ली के पात्र अस्थायी स्टाल-होल्डरों को बसाने की योजना का क्या ब्यौरा है ; और

(ख) पात्र स्टाल-होल्डर की क्या व्याख्या है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्यमंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) नई दिल्ली में विभिन्न सरकारी बस्तियों में ६२५ दुकानों के निर्माण की मंजूरी दी गयी है। इसके अतिरिक्त जनपथ और इर्विन रोड पर बाजार बनाने का प्रस्ताव है। इन बाजारों के पूरा हो जाने पर पंचकुई रोड और जनपथ समेत पात्र स्टाल-होल्डरों को दुकानों के आवंटन के लिये विचार किया जायेगा।

(ख) वैकल्पिक स्थान के लिये एक स्टाल-होल्डर की पात्रता की शर्तें निम्नलिखित हैं :

(१) वह विस्थापित व्यक्ति होना चाहिय ;

(२) संबंधित स्थानीय निकाय के स्टाल का आवंटन/लाइसेंस मूल रूप से उसी के नाम होना चाहिये ; और

(३) १५ अगस्त, १९५० से पहले वह उसी स्टाल में दिल्ली में लगातार व्यापार कर रहा होना चाहिये ।

**पाकिस्तान के लिये मूंगफली के बीज**

†२८५७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अगस्त, १९५८ में पाकिस्तान सरकार ने १०,००० मन मद्रासी शार्ट इरेक्ट किस्म के मूंगफली के बीज देने को कहा था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जी, हां। अगस्त, १९५८ में पाकिस्तान सरकार से पूर्वी पाकिस्तान में बोने के लिये १० हजार मन मद्रासी शार्ट इरेक्ट किस्म के मूंगफली के बीज देने की प्रार्थना प्राप्त हुई थी। सरकार ६,००० मन देने को राजी हो गयी है।

**सींग से बनी वस्तुओं का निर्यात**

†२८५८. **श्री पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या निर्यात की गैर-परम्परा वाली चीजों के रूप में उड़ीसा से सींग से बनी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: निर्यात की गैर-परम्परा वाली वस्तुओं के रूप में उड़ीसा के केवल सींग से बनी वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सामान्यतः जिन दस्तकारी की वस्तुओं के निर्यात के संवर्द्धन के लिये उपाय किये जा रहे हैं उन में सींग से बनी वस्तुएं भी शामिल हैं।

## निर्यात संवर्द्धन योजनायें

†२८५४. **श्री दामानी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि जुलाई-सितम्बर, १९५८, अक्तूबर-दिसम्बर, १९५८ और जनवरी-मार्च, १९५९ की अवधियों में विभिन्न देशों से कितना आयात हुआ और इसमें से कितना निर्यात संवर्द्धन योजनाओं के अधीन हुआ ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: एक विवरण संलग्न है जिसमें जुलाई-सितम्बर, १९५८, अक्तूबर-दिसम्बर, १९५८ की तिमाही और जनवरी १९५९ के महीने में जारी किये गये कुल लाइसेंसों का मूल्य और निर्यात संवर्द्धन योजना के अधीन जारी किये गये लाइसेंसों का मूल्य बताया गया है। (**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६४**) फरवरी और मार्च, १९५९ के लाइसेंसों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। लाइसेंस के आंकड़े देश-वार नहीं रखे जाते हैं।

## कच्चे माल का आयात

†२८६०. **श्री दामानी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्यात संवर्द्धन योजना के चालू होने के समय से पुराने निर्यातकर्ताओं ने जितना निर्यात किया है, उस पर वे कच्चे माल के आयात के लिये कितने मूल्य के आयात लाइसेंस प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: निर्यात-संवर्द्धन योजना सितम्बर, १९५० में लागू की गयी थी। इस योजना के अधीन जारी किये गये आयात लाइसेंसों के आंकड़े केवल जुलाई-दिसम्बर, १९५४ की अवधि के बाद से उपलब्ध हैं जो नीचे दिये गये हैं :

| लाइसेंस देने की अवधि | मूल्य हजार रुपयों में |
|---|---|
| जुलाई-दिसम्बर, १९५४ | ४९,९२ |
| जनवरी-जून, १९५५ | १७,४५ |
| जुलाई-दिसम्बर, १९५५ | १९,५२ |
| जनवरी-जून, १९५६ | १०,६४ |
| जुलाई-दिसम्बर, १९५६ | १४,९४ |
| जनवरी-जून, १९५७ | २६,६४ |
| जुलाई-सितम्बर, १९५७ | ४०,५३ |
| अक्तूबर, ५७-मार्च, १९५८ | २,७०,५२ |
| अप्रैल-सितम्बर, १९५८ | १०,२०,९७ |
| अक्तूबर, ५८ मार्च, १९५९ (७-२-५९ तक) | ४,३७,९७ |

†मूल अंग्रेजी में

योजना के अन्तर्गत जारी किये गये लाइसेंसों के बारे में पूरा विवरण आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण के साप्ताहिक बुलेटिन में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है जिस की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

## निर्यात संवर्द्धन योजनायें

†२८६१. **श्री दामानी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात संवर्द्धन योजनायें कपड़े और धागे के निर्यात के बदले कुछ किस्म के कोल-तार रंगों और टेक्सटाइल केमिकल्स के आयात करने के उद्देश्य के बारे में किस हद तक सफल हुई हैं;

(ख) इस योजना के अधीन अक्तूबर-दिसम्बर, १९५८ और जनवरी-मार्च, १९५९ की अवधि में जारी किये गये आयात लाइसेंसों का क्या ब्यौरा है; और

(ग) योजना को सुचारु रूप से चलाने के लिये क्या विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[देखिय परिशिष्ट ६, अनुबन्ध सख्या ६५]**

## कपड़ा मिलें

†२८६२. **श्री अरविन्द घोषाल :**
**श्री बि० दास गुप्त :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष के लये कितनी कपड़ा मिलों में क्रमश: हानि और शुद्ध लाभ बताया है; और

(ख) हानि और शुद्ध लाभ की क्रमश: क्या राशि है और उसकी अधिकतम प्रतिशतता क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) विभिन्न मिलें विभिन्न तारीखों को अपने लेखे बन्द करती हैं और आवश्यक रूप से ३१ दिसम्बर को ही नहीं। १९५७-५८ में २७७ कपड़ा मिलों द्वारा दिये गये संतुलन-पत्रों के फलस्वरूप यह कहा जा सकता है कि १०३ मिलों ने हानि बताई और १७४ ने लाभ बताया।

(ख) इन १०३ मिलों को लगभग ५१८.६२ लाख रुपये की हानि हुई और १७४ मिलों को लगभग १५६४.१७ लाख रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। माल की निकासी पर हानि की अधिकतम प्रतिशतता २४ प्रतिशत है और माल की निकासी पर अधिकतम लाभ २१.४ प्रतिशत है।

---

†मूल अंग्रेजी में

## 'भारत १९५८' प्रदर्शनी

†२८६३. { **श्री बि० दास गुप्त :**
**श्री अरविन्द घोषाल :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ मार्च, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १२३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत १९५८ प्रदर्शनी में गैर-सरकारी स्टालों के मालिकों और राज्य सरकारों पर लगाये गये और उनसे वसूल किये गये किराये की रकम का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रदर्शनी में सरकार द्वारा बनाये गये भवनों पर कुल कितना खर्च हुआ;

(ग) उनको गिराया जायेगा या रखा जायेगा;

(घ) क्या किसी निर्माण-कार्य के लिये किसी गैर-सरकारी ठेकेदार को कोई ठेका दिया गया;

(ङ) यदि हां, तो क्या टेंडर सार्वजनिक रूप से आमंत्रित किये गये थे; और

(च) इन ठेकों में कुल कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६६]**

(ख) और (घ) से (च). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

## प्रधान मंत्री की सहायता निधि

†२८६४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में प्रधान मंत्री की सहायता निधि में अंशदान के रूप में विदेशियों और विदेशों से कितना धन प्राप्त हुआ और उसका क्या ब्यौरा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में १ जनवरी, १९५८ से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक की अवधि में प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि में विदेशों से प्राप्त अंशदान बताया गया है । **[देखिये परिशिट ६ अनुबन्ध संख्या ६७]**

## गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रैस, नासिक

†२८६५. **श्री जाधव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया प्रेस, नासिक (बम्बई राज्य) में इस समय कुल कितने कर्मचारी हैं और प्रत्येक श्रेणी के कितने कर्मचारी हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : प्रेस में इस समय ११०० कर्मचारी हैं । श्रेणी-वार आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

| | |
|---|---|
| प्रथम श्रेणी . . . | १ |
| द्वितीय श्रेणी . . . . | ११ |
| तृतीय श्रेणी . . . . | ७१७ |
| चतुर्थ श्रेणी . . . . . | ३७१ |

†मूल अंग्रेजी में

## केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग

†२८६६. श्री ईश्वर अय्यर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री तंगामणि :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के 'ख' डिवीज़न का 'वर्क लोड' कितना है;

(ख) क्या इस 'वर्क लोड' को देखते हुए इस डिवीजन का अस्तित्व न्यायसंगत है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस डिवीज़न को किसी अन्य डिवीज़न में मिला देने का कोई प्रस्ताव है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) वर्ष १९५८-५९ के लिये इन संधारण डिवीज़न का 'वर्क लोड' लगभग १८ लाख रुपये है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## विदेशी चिड़ियाघरों के लिये भारतीय पशु-पक्षी

†२८६७. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में चिड़ियाघरों के लिये बहुत से पशु-पक्षी हाल ही में विदेश भेजे गये;

(ख) यदि हां, तो १९५७ और १९५८ में विदेशों को पृथक पृथक कितने कितने पशु तथा पक्षी भेजे गये;

(ग) उन देशों के क्या नाम हैं जिन को वे भेजे गये;

(घ) क्या पशु-पक्षी बेचे गये या उपहार रूप में भेजे गये; और

(ङ) यदि बेचे गये, तो प्रत्येक देश से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** (क) से (ङ). चिड़ियाघरों के लिये भेजे गये पशु तथा पक्षियों की संख्या पृथक् पृथक् नहीं रखी जाती। एक विवरण संलग्न है जिसमें १९५७ और १९५८ में पशु तथा पक्षियों के देश-वार निर्यात के आंकड़े बताये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६८]** ये पक्षी तथा पशु अधिकतर बेचे जाते हैं और केवल कुछ ही अदला-बदली के आधार पर भेजे जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र

### औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियमों में संशोधन

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)**: मैं श्री नन्दा की ओर से औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ की धारा ३८ की उपधारा (४) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ४ अप्रैल, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३९८, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई**] **देखिये एल० टी० १३४२/५९** ।

### तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं १० फरवरी, १९५८ के हथकरघा उद्योग के लिए रंगों सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या १२ पर श्री वें० प० नायर द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने वाले वक्तव्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिय संख्या एल० टी० १३४३/५९**]

---

## अनुदानों की मांगें

### खाद्य तथा कृषि मंत्रालय

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर चर्चा पुनः जारी होगी। माननीय कृषि मंत्री अपना भाषण जारी रखें।

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : समय कम रह जाने के कारण मैं कोई नई बात नहीं लूंगा वरन् कल उठाए गए कुछ प्रश्नों के सम्बन्ध में कुछ अधिक सूचना भर दूंगा।

प्रारम्भ में ही मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरा गणित का ज्ञान पंडित ठाकुरदास भार्गव के आकलन को समझने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि एक पौंड दूध कई मुर्गी के बच्चों के बराबर उपयोगी है और यह भी बताया कि गोबर का उचित प्रयोग न करने से हमें कितना नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूं कि जहां तक गोबर के मूल्य का सम्बन्ध है उनके आंकड़े सही हो सकते हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा : (गुरुदासपुर)** : कल यह मालूम हुआ था कि एक सेर दूध ९ अण्डों के बराबर होता है। मैं जानना चाहता हूं कि कितने मुर्गी के बच्चे उसकी बराबरी कर सकते हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं यह सूचना प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं और आशा है भाषण समाप्त करने के पूर्व उन्हें दे सकूंगा।

जहां तक गोबर का परिरक्षण और कम्पोस्ट खाद बनाने का सम्बन्ध है सरकार की बहुत बड़ी योजना है और हम कुछ परिणामों पर पहुंचने में सफल भी रहे हैं। १९४४–४५ में कम्पोस्ट खाद

---

†मूल अंग्रेजी में

बनाने की योजनायें केवल २६० स्थानों में चल रही थी जिनकी संख्या १९५७–५८ के अन्त तक २२५२ हो गई है। भारतीय संघ में मल-मूत्र संग्रह करने के लगभग ३००० नागरिक केन्द्र हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम नागरिक कम्पोस्ट योजना के अन्तर्गत ऐसे समस्त शहरों को लेना चाहते हैं जिससे कम्पोस्ट खाद का उत्पादन जो अभी २२ लाख टन है ३०लाख टन वार्षिक हो जाए और जो कम्पोस्ट खाद बने उसकी किस्म भी अधिक अच्छी हो सके।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों को भी नहीं छोड़ा है। उनके लिए भी हमने एक योजना बनाई है। हम १००० खण्डों में कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए निरीक्षक नियुक्त कर चुके हैं। ये लोग अभी तक ४५,००० ग्राम नेताओं और किसानों को अच्छा कम्पोस्ट खाद तैयार करने और समस्त उपलब्ध कूड़े करकट को उपयोग में लाने का प्रशिक्षण दे चुके हैं। इससे ज्ञात होगा कि हमने समस्या के इस पहलू का हल करने का प्रयत्न भी किया है।

जहां तक गोबर के ईंधन के रूप में प्रयोग का सम्बन्ध है, यह बहुत कठिन प्रश्न है जैसा कि प्रत्येक माननीय सदस्य समझते होंगे। मैं समझता हूं कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह सुझाव नहीं देगा कि हम कानून द्वारा गोबर का ईंधन के रूप में प्रयोग बन्द करा दें। ऐसा कानून अत्यन्त अवांछनीय होगा। हम लोगों को केवल समझा सकते हैं कि वे वैसा न करें और गैस प्लान्ट का प्रचार कर सकते हैं! एक इस प्रकार की योजना है कि प्रत्येक खण्ड में कम से कम दो गैस-प्लान्ट होने चाहियें क्योंकि गैस प्लान्ट में हमें न केवल ईंधन प्राप्त होगा वरन् खाद के रूप में प्रयोग किये जाने के लिए गोबर की उपयोगिता भी कम नहीं होगी।

इसी प्रकार जहां तक भूसे का सम्बन्ध है, हमने अनेक कदम उठाए हैं और सेठ गोविन्द दास द्वारा प्रस्तुत अधिकांश सुझावों को कार्य रूप में परिणित किया गया है। मैं समझता हूं कि जहां तक भूसे की मात्रा बढ़ाने, जो बहुत आवश्यक है, और उसके विकास का सम्बन्ध है, हमने कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव अस्वीकार नहीं किया है और प्रायः सभी के सम्बन्ध में कुछ कदम उठाए गए हैं।

परन्तु इन सब चीजों में समय लगता है और अपने समय तथा संसाधन के अन्तर्गत जितना सम्भव है उतना करने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। निस्संदेह, यह ठीक है कि विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण हम कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए पर्याप्त लोहे और इस्पात का सम्भरण नहीं कर सके हैं और न हम आवश्यकतानुसार उर्वरकों का उपबन्ध ही कर सके हैं। इसी कठिनाई के कारण हम सिंचाई की योजनाओं के सम्बन्ध में भी अधिक प्रगति नहीं कर सके हैं।

परन्तु इन सब चीजों के सम्बन्ध में हम गम्भीर प्रयत्न कर रहे हैं और जहां तक पशुओं का सम्बन्ध है माननीय श्री गोविन्द दास द्वारा प्रस्तुत समस्त सुझाव क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

कुछ और ब्यौरा देने की दृष्टि से मैं ग्राम खण्डों के चुने हुए क्षेत्रों में खाद्य और भूसे के विकास योजना की प्रमुख बातों का उल्लेख करूंगा जो निम्न प्रकार हैं :

भूसा विकास कर्मचारियों की नियुक्ति;

राज्य भूसा और चराई समितियों की स्थपना;

सामुदायिक विकास खण्डों में चरागाह प्रशासन खण्डों की स्थापना;

राज्य फार्मों और सैनिक फार्मों द्वारा तैयार किए गए अच्छे बीजों आदि का किसानों को वितरण;

चुने हुए पशुओं को संतुलित आहार पर रखना;

राज्य सरकार के फार्मों के चरागाहों का सुधार ;

भूसे के परिरक्षण के लिये गढ़ों का निर्माण ।

केन्द्रीय सरकार केवल राज्य सरकार के उद्यम पर निर्भर नहीं रहती वरन् राज्य सरकारों को २५ प्रतिशत से लेकर ५० प्रतिशत तक सहायता देती है । इसी प्रकार, जहां तक कम्पोस्ट खाद का सम्बन्ध है, हम प्रत्येक सम्भव प्रोत्साहन दे रहे हैं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मैं जानना चाहता हूं कि चारे के अधिक प्रयोग के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है, कितना व्यय किया गया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मेरे पास उसके आंकड़े नहीं हैं । सम्भवत: उस पर अधिक व्यय नहीं किया गया है । परन्तु चूंकि उसके सम्बन्ध में एक योजना है मुझे विश्वास है कि हम उसे क्रियान्वित अवश्य करेंगे, चाहे प्रगति मन्द भले ही हो ।

इसके बाद मैं अण्डों और दूध के प्रश्न पर आता हूं । स्वास्थ्य बुलेटिन संख्या २३ के अनुसार, जिसमें भारतीय खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व दिए गए हैं तथा जो १९४१ में पोषण गवेषणा प्रयोगशाला के संचालक डा० डब्लू० आर० आइकरॉड द्वारा प्रकाशित की गई थी, गाय के दूध, भैंस के दूध और अण्डों का उष्णीय तत्व क्रमश: १८,२३ और ४९ प्रति औंस है । इसका मतलब यह हुआ कि एक पौंड गाय के दूध का उष्मीय तत्व २८८ और भैंस के दूध का ५२८ हुआ । इनके बराबर उष्मीय तत्व प्रदान करने वाले अण्डों का भार गाय के दूध की तुलना में ५.९ औंस और भैंस के दूध की तुलना में १०.७ औंस होगा । यदि भारतीय अण्डे (देसी प्रकार के) का औसत भार १$^{1}/_{4}$ औंस मान लें तो लगभग ५ अंडे एक पौंड गाय के दूध और ८ अंडे एक पौंड भैंस के दूध की बराबरी कर सकेंगे ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या मैं यह अर्थ लगा सकता हूं कि माननीय खाद्य मंत्री ने २७ सितम्बर, १९५८ को प्रश्न संख्या २९७१ के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया था वह गलत था ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जहां तक भैंस के दूध का सम्बन्ध है मेरे आकलन तथा मेरे सहयोगी के आकलन में एक अण्डे का अन्तर है । इसलिये हम दोनों की बात लगभग ठीक ही है ।

**सेठ गोबिन्द दास** (जबलपुर) : क्या माननीय मंत्री ने गाय और भैंस के दूध के गुणदोषों का तुलनात्मक अध्ययन किया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : अभी तक तो मैंने इसकी जांच नहीं की है परन्तु अब मैं विशेषज्ञों से इसके संबंध में राय लूंगा । मैं समझता हूं कि यह विचार ठीक नहीं है कि भैंस का दूध पीने से बुद्धि मंद पड़ जाती है । गाय का दूध अच्छा हो सकता है इसको मानने से मैं इन्कार नहीं करता परन्तु बुद्धि पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । मैं समझता हूं कि हमें देश में गाय और भैंस का यह विवाद नहीं उठाना चाहिए । दोनों जानवर अपने अपने ढंग से उपयोगी हैं । इसके अतिरिक्त कुछ आर्थिक प्रश्न भी उसमें सम्मिलित हैं । बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके गाय रखना भैंस से मंहगा पड़ता है । हम चाहे कुछ भी प्रचार करें परन्तु जन साधारण तो आर्थिक लाभ की बात ही समझ सकता है । इसलिए इस प्रकार की गलत धारणा बनाने से कोई लाभ नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वे० ईयाचरण (पालघाट) : गत वर्ष केरल को खाद्य संकट हल करने के लिए जो सहायता दी गई थी उसके लिए मैं मंत्रालय को बधाई देता हूं। केरल में खाद्यान्न के भाव देश के अन्य भागों से ऊंचे हैं। इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। पहले केरल को बर्मा का चावल मिला करता था। केरल की सरकार के अनुसार राज्य में ६—७ लाख टन चावल की कमी है। यह कहा गया है कि आन्ध्र के पास १० लाख टन अधिक चावल है इसलिए केरल सरकार वहां से खरीद सकती है। केन्द्रीय सरकार को इस खरीद पर आवश्यक नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि पिछली बार जो खरीद की गई थी उसमें राज्य के हित की उपेक्षा की गई थी। उसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि उस खरीद के परिणाम-स्वरूप राज्य को जो हानि हुई उसे बचाया जा सकता था। इतना ही नहीं, जिस सार्थ के द्वारा वह खरीद की गई थी उसके संबंध में प्रतिवेदन में कहा गया है कि वह इस प्रकार के कार्य के लिए सर्वथा असमर्थ था। इसलिए मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार को खाद्यान्न की खरीद के संबंध में केरल की सरकार पर आवश्यक नियंत्रण रखना चाहिए। राज्य सरकार ने आयोग के प्रतिवेदन को सर्वथा ठुकरा दिया है।

जब राज्य के खाद्य मंत्री तथा अन्य मंत्री दिल्ली आते हैं तो वह इस प्रकार का वक्तव्य प्रसारित करते हैं कि केरल को प्रत्येक सहायता मिल रही है। परन्तु जब वे यहां से लौट कर जाते हैं तो कहते हैं कि केरल के साथ भेदभाव का व्यवहार किया जा रहा है।

दक्षिण ज़ोन का कार्य ठीक रहा है इसलिए उसे बनाए रखना चाहिए। समाचार पत्रों में इस प्रकार की खबरें प्रकाशित हुई हैं कि मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह कहा है कि प्रत्येक राज्य का पृथक ज़ोन होना चाहिए और केरल की आवश्यकता की पूर्ति पृथक राज्य के आधार पर की जानी चाहिए। यह ठीक नहीं है। इस जोन को बनाए रखना चाहिए।

जहां तक कृषि का संबंध है केरल अधिकतम उपलब्ध भूमि को काम में ला रहा है। उसके विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है। धान का प्रति एकड़ उत्पादन १५५७ पौंड है। इसको किसी प्रकार बढ़ाना चाहिए। वहां रसायन उर्वरक उपलब्ध नहीं है। हमारे कृषि विभाग ने अपनी नीति और प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया है। साधारण किसानों को प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती। उन्हें तो जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तभी वे कृषि विभाग से मांग करते हैं। अच्छे बीज भी किसानों को उपलब्ध किए जाने चाहिएं।

मलाबार का क्षेत्र पिछड़ा हुआ था उसकी अब भी उपेक्षा की जा रही है। सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करके वहां उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

पालघाट जिले के लिए कंजीरापूझा योजना बनाई गई थी। यह योजना बहुत बड़ी है तथा उससे उस क्षेत्र का उत्पादन दुगना हो जाएगा। यह योजना प्रथम पंच वर्षीय योजना से भी पहले बनाई गई थी परन्तु अभी तक उसे मंजूर नहीं किया गया है। पता नहीं तीसरी योजना में उसे सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार ने सिफारिश की है या नहीं ?

केरल की खाद्य समस्या ऐसी है कि उसके लिए दीर्घकालीन योजनाओं से कोई लाभ नहीं होगा। वहां तो तभी लाभ हो सकता है जब सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था की जाए जिसके

---

†मूल अंग्रेजी में।

परिणामस्वरूप शीघ्र ही उत्पादन बढ़ सके । मेरा निवेदन है कि योजना आयोग इसके संबंध में विचार करे । इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

†श्री कमल सिंह (बक्सर) : पिछली शताब्दियों में हमारा देश 'सोने की चिड़िया' समझा जाता रहा है जिसके कारण अनेक आक्रमण होते रहे हैं । परन्तु खेद है कि आज हमें खाद्य संकट का सामना करना पढ़ रहा है और हमारे देश का प्रति एकड़ उत्पादन संसार में सब से कम है । जब हम विभिन्न योजनायें बनाते हैं तो इस बात का ध्यान नहीं रखते कि प्रति एकड़ उत्पादन किस प्रकार बढ़ाया जाना चाहिए । पता नहीं इस समस्या की उपेक्षा क्यों की जा रही है ?

मेरे विचार से कृषि के संबंध में सब से प्रमुख समस्या अधिक जल की व्यवस्था करने की है । देश के किसी भी भाग के किसान से पूछ कर देखा जा सकता है वह जल को ही सबसे बड़ी आवश्यकता बताएगा । परन्तु पता नहीं फिर भी क्यों इस समस्या के हल की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

बिहार में गण्डक, कोसी, दामोदर तथा सोन कई योजनायें हैं । गण्डक योजना तो अभी बनाई ही जा रही है । कोसी योजना क्रियान्वित की जा रही है । दामोदर घाटी योजना ने अनेक सब्ज बाग दिखाए हैं परन्तू बिहार में अभी तक सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध नहीं हो सकी हैं । जहां तक सोन का संबंध है जब तक नए बांध का प्रारंभिक कार्य नहीं शुरु किया जाएगा अधिक लाभ नहीं हो सकेगा । उसके लिए ३ करोड़ रुपए की आवश्यकता है । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस राशि की मंजूरी प्राप्त करने का प्रयत्न करें ।

बिहार में नलकूपों, पम्पिग सेटों तथा अन्य छोटी छोटी सिंचाई सुविधाओं की भी बहुत आवश्यकता है परन्तु उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है । राज्य सरकार हमेशा धन की कमी का बहाना करती रहती है । यद्यपि यह विषय राज्य सरकार का है परन्तु इस सभा को भी किसानों की आवश्यकताओं का पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि उन्हीं पर निर्भर है ।

इसके बाद ऊसर भूमि का प्रश्न है । मैं अभी लखनऊ के नेशनल बोटेनिक गार्डेन्स के डायरेक्टर प्रोफेसर कौल से मिला था । उन्होंने ऊसर भूमि के कृष्यकरण के संबंध में प्रयोग किया है जिससे बहुत कम खर्च पर भूमि को खेती के योग्य बनाया जा सकता है । मैं समझता हूं कि हमें इस प्रकार की योजनायों पर विचार करना चाहिए जिनसे बिना अधिक व्यय किए खेती के लिए अधिक भूमि उपलब्ध हो सके ।

किसानों की दूसरी आवश्यकता उर्वरकों की है । यह आम शिकायत है कि उर्वरकों के मूल्य अधिक हैं जिन्हें किसान बर्दास्त नहीं कर सकते । चूंकि सिन्दरी के कारखाने और राज्य व्यापार निगम दोनों को ही लाभ हो रहा है इसलिए मेरा सुझाव है कि उर्वरक के मूल्य कुछ कम करने के संबंध में विचार किया जाना चाहिए ताकि वे साधारण किसान के लिए सुलभ हो जायें ।

जहां तक अच्छे बीज का संबंध है, मैं बीज गुणन फार्मों की योजना को ठीक नहीं समझता हूं । मैं समझता हूं कि फार्मों पर व्यय करना व्यर्थ है क्योंकि वह कार्य पंजीबद्ध उत्पादकों द्वारा कराया जा सकता है । फार्मों के लिए हमें भूमि का अर्जन भी करना पड़ता है जिसमें बहुत समय नष्ट होता है । इसके अतिरिक्त इन फार्मों में केवल धान और गेहूं के बीज ही तैयार किए

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कमल सिंह]

जाते हैं जबकि आवश्यकता मक्का और ज्वार के अच्छे बीजों की भी है। इसलिए मैं इस योजना को अनावश्यक व्यय समझता हूं। पंजीबद्ध उत्पादक वह कार्य कर सकते हैं।

मैं कृषि गवेषणा संस्था और भारतीय कृषि गवेशणा परिषद के कार्य की प्रशंसा करता हूं। डा० पाल और श्री रन्धावा के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। श्री रन्धावा ने कृषि के विषय पर एक बहुत उपयोगी पुस्तक लिखी है। परन्तु इसके साथ मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि इन संस्थाओं का कार्य बेकार जा रहा है क्यों कि वह जनसाधारण तक पहुंचने ही नहीं पाता है। हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में पत्रिकायें प्रकाशित करके ऐसा किया जा सकता है। इस संबंध में राज्य सरकारें तो सर्वथा असमर्थ हैं।

इसके बाद मैं कृषि प्रशासन समिति के प्रतिवेदन के संबंध में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। समिति ने ३० से ४० प्रतिशत प्रशासकीय कर्मचारियों को बदलने की सिफारिश की है क्योंकि वे आवश्यक योग्यता के नही हैं। समिति ने कहा है कि उनकी सेवा शर्तें अन्य सेवाओं में जितनी आकर्षक नहीं है और सेवा संबंधी नियम बहुत समय से बदले भी नहीं गए हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार समिति के प्रतिवेदन पर भली प्रकार विचार करेगी और उसने जो सुझाव दिए हैं उनके संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

अन्त में मेरा यही निवेदन है कि खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न में हमें यह समझना चाहिये कि कृषकों को प्रेरणा देना सर्वाधिक आवश्यक है। परन्तु इस प्रकार की प्रेरणा उन्हें नहीं मिल रही है। उन की मूलभूत आवश्यकतायें पूरी करनी होंगी जैसे सड़कें, अस्पताल, अच्छा प्रशासन आदि। यद्यपि कृषि से उन का कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु उन की पूर्ति करना अनिवार्य है। भूमि सुधार आदि की बात कर के हमें अपनी शक्ति नहीं खराब करनी चाहिये वरन् खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिये ही प्रयत्न करना चाहिये।

†**श्री द० अ० कट्टी** (चिकोडी) : बड़े दुख की बात है इतनी शक्ति सम्पन्न होने पर भी हमारी सरकार खाद्य समस्या का हल नहीं खोज सकी है। हाल के वर्षों में खाद्यान्न की स्थिति खराब ही होती गई है और इस वर्ष तो यह स्थिति अत्यन्त भयानक है। परन्तु फिर भी कृषि मंत्री कहते हैं कि इस वर्ष बहुत अच्छी फसल हुई है और खाद्यान्न की स्थिति बिल्कुल ठीक है। संभवतः माननीय मंत्री आंकड़ों के आधार पर वैसा कह रहे हैं जबकि वास्तविक स्थिति इस के बिल्कुल विपरीत है।

खाद्यान्न के भाव जितने ऊंचे इस समय हैं उतने पहले कभी नहीं हुए थे। मध्य वर्ग के लोग भर पेट अन्न खरीदने में असमर्थ हैं। यदि माननीय मंत्री गांवों में जाकर देखें तब उन्हें वास्तविक स्थिति का ज्ञान होगा। वास्तव में लोग भूखों मर रहे हैं। खाद्यान्न को समस्या ही सब से प्रमुख समस्या है। इस के ठीक हल के बिना योजना में सफलता नहीं मिल सकती। यदि सरकार उस को हल करने में असमर्थ है तो वह शासन करने के भी अयोग्य है।

सरकार प्रयत्न अवश्य कर रही है परन्तु वे प्रयत्न सच्चे नहीं हैं। उदाहरण के लिये कृषि का अध्ययन करने के लिये विदेशों को प्रतिनिधिमंडल भेजे जाते हैं। परन्तु वे जो सिफारिशें करते हैं उन से कोई लाभ नहीं उठाया जाता। दूसरे, किसानों को भूमि का सुधार करने के लिये ऋण दिये जाते हैं। परन्तु वह धन उचित रूप से व्यय नहीं किया जाता है।

तीसरे, जोनों का निर्माण बहुत कष्टदायक है। जब चावल का ज़ोन बनाया गया था उस के पहले मेरे बेलगाम जिले में ७–८ आने सेर चावल मिला करता था। परन्तु जोन के निर्माण के

†मूल अंग्रेजी में

पश्चात् चावल का भाव ११ आने सेर हो गया । कारण यह है कि प्रति दिन हजारों ट्रक चावल सीमा पार ले जाया जाता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती । इसी प्रकार 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत बहुत सा धन बरबाद किया जाता है । सिंचाई की योजनाओं पर अभी बहुत व्यय किया जा रहा है परन्तु वास्तविक लाभ कुछ नहीं हो रहा है । इस प्रकार अधिकांश कार्यों में धन का अपव्यय ही हो रहा है ।

यदि हम खाद्यान्न की स्थिति पर गंभीरतापूर्वक विचार करें तो ज्ञात होगा कि इस का मूल कारण यह है कि हमारा उत्पादन नहीं बढ़ रहा है । अधिक उत्पादन और उस के समान वितरण से ही लोगों के रहन सहन का स्तर ऊंचा किया जा सकता है ।

सरकार अपने अन्य प्रयत्नों में असफल होने पर अब सहकारी खेती अपनाना चाहती है । कुछ लोग इस का विरोध करते हैं । वे कहते हैं कि इस में जबरदस्ती की भावना है जो प्रजातंत्र के विरुद्ध है । इस के विपरीत जो इस का समर्थन करते हैं वे कहते हैं कि इस से हमारा देश सुजलां सुफलां हो जायेगा । मेरा गणतंत्र दल सिद्धान्ततः तो सहकारी कृषि का समर्थक है । परन्तु जिस रूप में से लागू किया जा रहा है उसे हम ठीक नहीं समझते ।

मेरे विचार से सहकारी कृषि लाने के पूर्व भूमि सुधार करना आवश्यक है । भूमि सुधार के बिना सहकारी खेती का प्रयत्न सफल नहीं हो सकेगा । भूमि सुधार से ऐसा वातावरण उत्पन्न होगा जो इस प्रकार से परिवर्तन के लिये आवश्यक है । भूमि सुधार ऐसे हों जिन से जोतने वाले को भी भूमि का मालिक बनाया जाये । चीन को जो प्रतिनिधि मंडल गया था उस के विचार इसी प्रकार के हैं यद्यपि उस ने साहस की कमी के कारण उन्हें इस प्रकार व्यक्त नहीं किया है ।

परन्तु आज जो स्थिति है वह इस के बिल्कुल विपरीत है । खेती अधिकतर मजदूरों द्वारा कराई जाती है । भूमि की असमानता से यह बात स्पष्ट हो जायगी । लगभग १७ प्रतिशत लोग ६७ प्रतिशत भूमि पर कब्जा किये हैं जबकि ८३ प्रतिशत लोगों के पास केवल ३३ प्रतिशत भूमि है । ये १७ प्रतिशत लोग मजदूरों द्वारा ही खेती कराते हैं क्योंकि वे तथा उन के परिवार के सदस्य उतनी भूमि का कार्य करने में असमर्थ हैं । यदि इन मजदूरों को ही उस भूमि का मालिक बना दिया जाय तो वे खुशी से सहकारिता में शामिल हो जायेंगे ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि भूमि का समान वितरण होना आवश्यक है । तभी हमारा समाजवादी व्यवस्था का नारा सार्थक होगा । ऐसा किये बिना सहकारी खेती का प्रयत्न सफल नहीं होगा ।

†**श्री क० स० रामस्वामी** (गोबीचेट्टीपलयम्) : कृषि ही हमारी योजना का मूल आधार है अतः कृषि उत्पादन को ही सब से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये । परन्तु खेद है कि इस की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिये हमें सघन खेती के उपाय को अपनाना पड़ेगा और उस के लिये भूमि की उर्वरता को बढ़ाना अत्यावश्यक है । उर्वरता के लिये उर्वरकों की आवश्यकता है, परन्तु उर्वरकों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । हमें १९५९-६० में देश में जितने अमोनियम सल्फेट की आवश्यकता है, उस का केवल ५० प्रतिशत भाग ही प्राप्त हो सकेगा । गत पांच वर्षों में उर्वरकों के संभरण में केवल २·४९ लाख टन की ही वृद्धि हुई है ।

१९५३ में बेंकाक में उर्वरक सम्बन्धी समिति की जो चौथी बैठक हुई थी, उस की रिपोर्ट में भी यह कहा गया था कि भारत में प्रतिवर्ष अब अनाज का उत्पादन कम होता जा रहा है और इस का मूल कारण यह है कि भूमि में नाइट्रेट तत्वों की कमी होती जा रही है । विभिन्न राज्यों में यदि नाइट्रोजन और फास्फेटों के उपयुक्त सम्मिश्रण का उपयोग किया जाय तो उस से धानी की फसल में प्रति

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री क० स० रामस्वामी]

एकड़ २३५ पौंड की वृद्धि हो सकती है। इसलिये उर्वरकों के संभरण की ओर उचित ध्यान देना आवश्यक है।

अधिक उर्वरक संभरित करने का प्रश्न आते ही सरकार यह कह देती है कि उर्वरक के आयात के लिये हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं है। परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि एक रुपये की कीमत के उर्वरक से ३ रुपये के अन्न का उत्पादन किया जा सकता है। अतः हमें अन्न के आयात पर इतनी अधिक राशि खर्च करने की बजाय उर्वरक के आयात पर कुछ राशि खर्च कर देनी चाहिये। उस का बड़ा अच्छा परिणाम होगा।

कृषि प्रशासन समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सभी राज्यों में यह महसूस किया जा रहा है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में उर्वरक नहीं दिये जा रहे हैं। इसलिये समिति ने यह सुझाव दिया है कि देश के कुछ एक भागों में केन्द्र की ओर से गोदाम बना दिये जायें जहां उर्वरक संग्रहीत किये जा सकें और उन का नियमित रूप से संभरण किया जा सके।

उर्वरक के अभाव में भूमि की उर्वरता भी कम होती जा रही है और इस से खाद्यान्नों का उत्पादन भी कम होता जा रहा है। १९५३-५४ में उत्पादन ६,८२,३४,००० टन था, परन्तु १९५७-५८ में वह घट कर ६,१५,३०,००० टन रह गया। इस का मूल कारण उर्वरक की कमी है। परन्तु इस कमी को पूरा करने में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को सहयोग नहीं दे रहा है। मेरा निवेदन है कि उर्वरक के उत्पादन के लिये नयी फैक्टरियां स्थापित की जायें।

यह बड़ी विचित्र सी बात है कि एक ओर तो हमारे अपने पास उर्वरक की कमी है और दूसरी ओर हम उर्वरक का निर्यात कर रहे हैं। हम खली को बाहर भेज रहे हैं जोकि स्वयं यहां पर उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उस का निर्यात करने से यहां पर उस की कीमत बढ़ गई है। अतः मेरा निवेदन है कि इस का निर्यात एक दम रोक दिया जाये। इस के लिये उर्वरक संबंधी स्थिति पर दृष्टि रखी जाये और इस के उपयोग के बारे में जनता को ज्ञान प्रदान किया जाये। यह काम विभिन्न राज्यों के कृषि विभागों द्वारा किया जा सकता है।

कृषि प्रशासन समिति ने कृषि विभागों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। उस ने बताया है कि कृषि विभागों का यह काम है कि वह काश्तकारी के उपायों का स्वयं प्रदर्शन कर के किसानों का पथ प्रदर्शन करे। परन्तु कृषि विभाग वैसा नहीं कर रहे हैं। वे उत्पादन की अपेक्षा खाद्यान्नों के व्यापार और संभरण की ओर अधिक ध्यान देते हैं। उस से न ही केवल अन्न का अपितु अन्य बहुत सी वस्तुओं का भी उत्पादन कम हो गया है। लोग और इस्पात का संभरण बहुत कम हो गया है और उस से उन की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं।

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग काश्तकारों का शोषण कर रहे हैं। परन्तु वे बिचारे किसान अपनी पुकार सुना भी नहीं सकते। वे उन्हें उत्पादन की लागत भी अदा नहीं की जाती।

खाद्यान्नों के राज्य व्यापार के सम्बन्ध में मेरा यह मत है कि यह काम कभी भी सफल सिद्ध नहीं होगा। हमें पुरानी ग़लतियों को फिर से नहीं दुहराना चाहिये। हमें उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान देना चाहिये। यदि अन्न का उत्पादन बढ़ गया तो कीमतें स्वयमेव ठीक हो जायेंगी। अतः मेरा सुझाव है कि राज्य व्यापार के प्रशासन को चलाने पर करोड़ों रुपये खर्च करने की अपेक्षा उसे राशि से उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान दिया जाये।

**श्री सरजू पांडे** (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि खाद्य मंत्रालय जो अपनी रिपोर्ट पेश करता है वह बड़े नाटकीय ढंग से करता है। पिछले दिनों माननीय मंत्री जी की तरफ से कहा गया था कि हमारे देश में खाद्यान्न इसलिये महंगा है कि लोगों की आमदनी बढ़ गई है और लोग ज्यादा गेहूं तथा चावल इत्यादि खाने लग गये हैं। इस साल जो रिपोर्ट आई है, उस में कहा गया है कि खाद्यान्न इसलिये महंगा है चूंकि देश में गल्ले की कमी है और प्राकृतिक कारणों से देश के कुछ हिस्सों में अनाज कम पैदा हुआ है। इस के साथ ही साथ आबादी के बढ़ने की बात भी इस में कही गई है। यह भी कहा गया है कि १९५६-५७ के मुकाबले में १९५८-५९ में गल्ला एक तो कम पैदा हुआ और जो गल्ला बाहर से मंगाया गया वह सिर्फ १२० करोड़ रुपये का ही मंगाया गया जबकि पिछले साल में ज्यादा का मंगाया गया था।

मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में सब से अधिक खेती के लायक ज़मीन है और यहां पर अनाज की इस तरह से कमी हो, यह बात समझ में नहीं आती है। मेरा विचार है कि मंत्रिमंडल अपनी जिम्मेवारियां छिपाने की बड़ी चालाकी से कोशिश कर रहा है और देश को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जितना बड़ा अन्न का संकट हमारे देश के सामने है उस से कहीं ज्यादा हम उस का मुकाबला कर रहे हैं।

पिछले दिनों यह कहा गया था आप की रिपोर्ट में कि प्रान्तीय सरकारें और दूसरे लोग फिगर्स को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देते हैं और जितना संकट प्रान्तीय सरकारें और दूसरे लोग कहते हैं कि देश में है, उतना नहीं है। अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारे देश में गल्ले का बहुत गम्भीर संकट है और मैं समझता हूं कि इस में कोई शक वाली बात नहीं है। पिछले दिनों प्रधान मंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार किया था। मैं समझता हूं कि इतने बड़े संकट को मंत्रिमंडल उस हिसाब से देखने की कोशिश नहीं करता जिस हिसाब से वह विद्यमान है। इस वास्ते पहली बात जो मैं मंत्रिमंडल से कहना चाहता हूं यह है विरोधियों के ऊपर इस बात का लांछन लगाना कि वे लोगों को बरगलाते हैं, गलत है, यह ठीक नहीं है। पिछले दिनों यू० पी० के अन्दर एक आन्दोलन शुरू हुआ था और सरकार की तरफ से कहा गया कि यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल है और ये लोग लोगों को बरगला कर देश में गड़बड़ी पैदा करना चाहते हैं। इस मसले पर इस सदन में बहस भी हुई थी। जब कभी भी कोई इस तरह का सवाल उठता है तो उसे एक राजनीतिक चाल कह कर और यह कह कर कि कुछ विरोधी दलों के लोग जनता को बरगलाते हैं, अपनी कमज़ोरी को छिपाने की कोशिश की जाती है, जो ठीक नहीं है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो संकट है उस को दूर करने के लिये आप कदम उठायें।

इस को दूर करने के लिये पहला तरीका यह निकाला गया है कि ज़ोनल सिस्टम लागू किया गया। इस का नतीजा यह हुआ कि ज़ोन के जिस हिस्से में गल्ले की कमी थी वहां गल्ले के दाम एक दम आकाश पर चढ़ गये और जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है कि चोरी से तमाम गल्ला उस जगह भेजा गया जहां पर रोक लगाई गई थी। इसका नतीजा यह हुआ कि ज़ोनल सिस्टम जिस चीज़ को देखते हुए जारी किया गया था कि गल्ले के भाव ठीक से कायम रहें उस का उल्टा ही असर हुआ और जगह जगह पर लोग भूखों मरने लगे। कहा जाता है कि एक भी भूखमरी की घटना नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि जो अधिकारीगण हैं वे गलत तरीके से रिपोर्ट पेश करते हैं। अगर माननीय मंत्री महोदय चाहें तो मैं सैंकड़ों इस तरह की घटनायें उन के सामने पेश कर सकता हूं। गाज़ीपुर, बलिया, आज़मगढ़, गोरखपुर, देवरिया, बोंडा इत्यादि जगहों पर कई मौत की घटनायें इस कारण से हुई हैं। अगर कोई भी कमेटी इस बात की जांच करे तो यह बात सिद्ध हो सकती है और मैं आप को इनवाइट करता हूं कि आप इस की जांच करवा कर के देख लें। वहां के लोग खादों पर ज़िन्दा

[श्री सरजू पांडे]

हैं, आम की गुठली की रोटी, सागू के बीज की रोटी और दूसरी चीजों को खा कर जिन्दा हैं। लेकिन आप की तरफ से कहा जाता है कि ये सभी पोलिटिकल चालें हैं। लेकिन मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि जो भूख से मरने की घटनायें हैं, वे आज भी बतलाई जा सकती हैं।

इस के बाद आप ने एक उपाय यह किया कि बैंकों पर रोक लगा दी कि वे कर्जा न दें। इस का क्या असर हुआ, मैं नहीं जानता हूं। मगर मैं समझता हूं कि इस का कोई बड़ा असर नहीं हुआ है।

पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री ने कहा था कि हमारे सूबे में ज़खीरेबाज़ी होती है, लोग गल्ला जमा करते हैं और अगर सरकार चाहे तो गल्ले को निकलवा कर बाहर लाया जा सकता है, बाज़ार में लाया जा सकता है। लेकिन केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उस ओर न ध्यान दिया और न ही इस बात की कोशिश की कि वहां से गल्ला निकाला जाय और बाज़ार में लाया जाये। हम ने अपने जिले में इस चीज़ का पता लगाने की कोशिश की और अधिकारियों को बताया कि फलां जगह पर ज़खीरा है गल्ले का, मगर अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और उल्टे कह दिया वहां गल्ला जमा नहीं किया गया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि एक एसोसियेशन बनाई गई है जिस को मील फार मिलियंस कहते हैं और उस को एक लाख रुपये की ग्रांट दी गई है। इसी तरह से बहुत सी ग्रांट्स दी जाती हैं जिस से बनावटी किस्म का अनाज पैदा हो, मिले जुले खाद्यान्न तैयार हों और लोगों को इन चीज़ों के बारे में समझाया जाय। मैं समझता हूं कि यह कतई तौर पर पैसे का दुरुपयोग है और अगर यही पैसा सही मानों में गल्ले का उत्पादन बढ़ाने में खर्च किया जाता तो ज्यादा गल्ला पैदा हो सकता था बिल-मुकाबिल इस के कि कुछ एक्सपर्ट और कुछ कमेटियां बिठा कर के उन को आप पैसा खिलायें और उन से रिपोर्टें ही तैयार करवायें और उन से यह बताने को कहें कि हम ने कितने खाद्यान्न पैदा किये हैं। इस से जो समस्या है वह हल नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं कि जो इस तरह के कामों के लिये आप ग्रांट देते हैं, वह ग्रांट गल्ला किस तरह से ज्यादा पैदा हो, उस के लिये दें।

गल्ले की पैदावार किसान ही बढ़ा सकते हैं। अगर किसान को इस का कुछ फल नहीं मिलता है तो लाजिमी तौर पर चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें, पैदावार बढ़ नहीं सकती है। पिछले दिनों यह कहा गया था कि ऊख के दाम बढ़ाइये और कई माननीय सदस्यों की तरफ से यह मांग की गई थी कि इस के दाम बढ़ने चाहियें। आप की तरफ से कहा गया था कि अगर गन्ने के दाम बढ़ाये गये तो लोग गन्ना ज्यादा बोने लग जायेंगे, इसलिये वे बढ़ाये नहीं जा सकते हैं। अगर आप गन्ने के दाम नहीं बढ़ाते हैं और गल्ले में किसानों को पैसा मिलता नहीं है तो किस तरह से किसान ज्यादा पैदा-वार कर सकता है। किसान लाज़िमी तौर पर यह सोचता है कि काम भी किया जाय, तो उस का फल तो उसे अवश्य मिलना चाहिये और अगर फल नहीं मिलता है तो क्यों ज्यादा मेहनत की जाय। ऐसी दशा में जब तक उस को उस की पैदावार की वाजिब कीमत नहीं मिलती है, पैदावार नहीं बढ़ सकती है।

बहुत शोर मचाया जाता है कि डबलर से खेती करो, तो पैदावार बढ़ सकती है। इस का प्रचार करने के लिये सैंकड़ों और हज़ारों आदमी आप ने रखे हैं जो गांव गांव में जा कर प्रचार करते फिरते हैं। यह डबलर लकड़ी का एक औज़ार होता है जिस से ज़मीन में छेद कर के एक एक दो दो दाने डाले जाते हैं। अब जिस के पास १०—१५ बीघे ज़मीन हो और वह डबलर ले कर बैठ जाये तो मेरा ख्याल है कि वह एक बीघा भी ज़मीन में बुवाई नहीं कर सकेगा। साथ ही साथ डबलर से खेती करने

के लिये पानी की बहुत आवश्यकता होती है । जब पानी मांगा जाता है तो कह दिया जाता है कि इस से हमारा ताल्लुक नहीं है, इस के लिये आप सिंचाई विभाग से पूछिये । वहां से भी पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है । इस सब का नतीजा यह होता कि किसान इस को कर नहीं पाता है ।

अब आप की तरफ से जापानी ढंग से धान बोने के ऊपर बहुत खर्च किया गया है । मैं ने देखा है कि इस ढंग से खेती करने के लिये लोग रस्सियां ले कर मेंड पर बैठ कर धान लगाते हैं । इस तरह से एक आदमी थोड़ा सा ही धान लगा पाता है । जब वह थोड़ा धान लगा पाता है तो दूसरे खेतों का जो पानी होता है वह बह जाता है । इसलिये आदमी सोचता है कि एक खेत में धान बो दिया इस तरीके से तो बाकी खेत का क्या होगा । इस के साथ ही साथ यह बात भी है कि खेत मजदूर को, बहुत कम मजदूरी मिलती है और कोई भी मजदूर जापानी तरीके से धान लगान के लिये तैयार नहीं होता है । मैं ने अपने यहां पर कृषि डायरेक्टर से पूछा कि आप बतायें कि जापानी तरीके से अगर धान बोया जाय तो खेत मजदूर को कितना गल्ला मिलेगा ? उन्होंने कहा कि ये मुश्किलात तो जरूर हैं लेकिन हमारी सरकार की राय ऐसी ही है । हमारे किसान नहीं बोयेंगे तो हम बी० डी० ओ०, सेक्रेटरी इत्यादि से यह काम करवा लेंगे । मैं ने देखा है कि कितने ही ग्राम सेवक खुद खेतों पर खड़े हो कर धान लगा रहे हैं .....

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : बहुत अच्छा कर रहे हैं ।

**श्री सरजू पांडे**: तब तो यह चीज़ उन्हीं तक सीमित रहेगी, किसान इस को नहीं अपनायेंगे ।

हमारी सरकार ज़मीनों के सुधार की बहुत बात करती है । मैं समझता हूं कि ऊपरी तौर पर छोटे मोटे रिफार्म्स कर के अगर यह समझा जाता है कि पैदावार बढ़ सकती है, तो यह नहीं हो सकता है ।

खंडसारी का मसला हमारे सामने है । भारत अखबार में रिपोर्ट निकली है जिस में कहा गया है कि यू० पी० के लोगों ने यह तय किया है कि हम खंडसारी के उद्योग को बन्द कर रहे हैं । सरकार का मंशा भी यही प्रतीत होता है कि यह बन्द हो जाय । इस से करीब एक डेढ़ लाख लोग बेकार हो जायेंगे । पूरे यू० पी० के अन्दर बरेली ही एक ऐसा सेंटर है जहां पर खंडसारी तैयार होती है । इसे गरीब लोग ही अधिकतर इस्तेमाल करते हैं । आज उन का पूरे का पूरा रोज़गार मारा गया है और इस से बेकारों की संख्या में और वृद्धि हो गई है और एक और समस्या आप के सामने खड़ी हो गई है । मैं चाहता हूं आप इस ओर भी ध्यान दें ।

कोआपरेटिव्स की बात भी कही जाती है । हम ने और हमारी पार्टी ने इस बात को माना है कि कोआपरेटिव के ज़रिये से हिन्दुस्तान में खेती होनी चाहिये और उस से तरक्की हो सकती है । लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर सरकार का यही रवैया रहा जो आज है तो शायद कोआपरेटिव फार्मिंग के नाम से लोग डर कर भाग जायेंगे, इस के नाम को भी सुनना पसन्द नहीं करेंगे । इस का कारण यह है कि कई एक कोआपरेटिव फार्म हमारे जिले में हो गये हैं लेकिन उन से किसानों को कोई मुनाफा नहीं हुआ है बल्कि उल्टे घाटा हुआ है । पंजाब के अन्दर मैं ने देखा है कि लोग कोआपरेटिव फार्मिंग के नाम से घबराये हुए हैं । वे इसे बहुत अजीब सी चीज़ समझते हैं । इस का कारण यह है कि सरकार इस के पक्ष में जनमत तैयार नहीं करती है, लोगों को इस बात के लिये तैयार नहीं करती है कि वे कोआपरेटिव फार्मिंग को समझें और अपनायें, बल्कि उल्टा इस का विरोध करती है । मेरा ख्याल है कि अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट होती तो उसे भी इस चीज़ को समझाने में सौ बरस लग

[श्री सरजू पांडे]

सकते थे । कुछ जगहों पर जहां कोआपरेटिव फार्मिंग शुरू किया गया है, वहां के लोग हम से कहते हैं कि इस को हम देख चुके हैं और वहां पर कोई मुनाफा नहीं मिलता है । वहां पर किसी को तो मछली मारने के लिये रख दिया जाता है, किसी को कह दिया जाता है कि बैल हांकना तुम्हारा काम है या खाद डालना काम है, तीसरे को कोई और काम करने को कह दिया जाता है और इस का नतीजा यह होता है कि कोई मछली पकड़ने का काम करता है, कोई दवा छिड़कने का काम करता है और कोई और काम करता है, लेकिन किसानो को कोई लाभ नहीं होता है ।

वह कह उठते हैं कि ऐसी कोआपरेटिव्स से तो अच्छा है कि कोई कोआपरेटिव न हो और ऐसी कोआपरेटिव्स से हमें बख़्शा जाय । अगर आपको वाक़ई में कोआपरेटिव्स चलानी है तो उसके लिये लाजिमी तौर पर और सही मायने में आपको उसके लिए जनमत तैयार करना होगा । आपको किसानों को कोआपरेटिव फ़ार्मिंग के लाभ बतलाने चाहियें और उस पद्धति को अंगीकार करने के लिए किसानों को तैयार करना चाहिये लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक सरकार की ओर से इस दिशा में कुछ विशेष प्रयत्न नहीं किया गया है और यही कारण है जो हम देख रहे हैं कि उस के प्रति किसानों में आज कोई उत्साह और विशेष दिलचस्पी नहीं है । अगर आप चाहते हैं कि किसानों की रुझान इस ओर हो तो आप खुद कोआपरेटिव फ़ार्मिंग करके उनको यह सिद्ध कर दीजिये कि यह लाप्रद है । अन्त में मैं आप से निवेदन करूंगा कि यह जो आपने बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स के वास्ते ग्रान्ट्स रक्खी हैं और जिनसे कि आप मूंगफली का आटा तैयार करवाना चाहते हैं, शकरकंदी और चोकर का आटा बनवाना चाहते हैं, अब इन चीज़ों पर आप इतना रुपया खर्च करने के बजाय अगर किसानों को कुछ सहूलियतें पहुंचाते तो वह कहीं अच्छा होता । किसानों के लिए कम से कम आप ऐसी मुसीबत पैदा होने का मौक़ा न देते कि उसका अनाज खेत में खड़ा है और अमीन उसके घर में वसूली के लिए पहुंच जाय बल्कि जो उसके खेत में अनाज पैदा हुआ है उसको बेच कर वह रुपया अदा करे लेकिन आज चूंकि किसानों के लिये यह व्यवस्था नहीं है और उनको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है इसलिए किसान सोचता है कि अगर ज्यादा न हो तो बेहतर है ।

ट्यूबवैल्स का आलम यह है कि जिस किसान की १६ बिस्वे ज़मीन सींची गई उस पर ३८ रुपये का बिल आया । अगर आप इस सम्बन्ध में जांच करना चाहेंगे तो मैं आपको इसके प्रमाण पेश करके सिद्ध कर दूंगा कि आज इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि गांवों में कोई आदमी न तो नहर से पानी लेना चाहता है और न ट्यूबवैल्स से लेना चाहता है । अगर आप इस में सुधार करना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि आप इन खराबियों को पहले दूर करें ।

एक निवेदन मेरा और है और वह यह है कि गन्ने के दाम ज़रूर बढ़ाये जांय । कम से कम इस बात को तो मैं कह सकता हूं कि इस में किसी भी विरोधी पार्टी का कोई हित नहीं हो सकता कि महज़ किसानों को लड़ाने और भड़काने के लिए यह गन्ने के दाम बढ़ाने की आवाज़ उठाई जा रही है । सही बात तो यह है कि जब तक किसान को उसकी पैदावार के उचित दाम नहीं मिलेंगे, वाजिब दाम नहीं मिलेगा तब तक किसान संतुष्ट नहीं होंगे और पैदावार नहीं बढ़ेगी और आप हमेशा देश में खाद्यान्न की पैदावार न बढ़ने के लिए इधर-उधर बग़लें झांकते रहेंगे और कभी प्रकृति ने हमारा साथ नहीं दिया यह कह कर या और कोई दूसरा बहाना बनाने पर मजबूर होंगे । इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन चीज़ों पर विचार करें और जो विभिन्न ग्रान्टों पर हम भारी-भारी रक़में खर्च करने जा रहे हैं उनको बंद कर दें और मेरा विश्वास है कि यदि ऐसा हम ने किया तो वह देश के हित में ही होगा ।

**श्री बि० चं० सेठ** (शाहजहांपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश की जो वर्तमान खाद्य स्थिति है उस के सम्बन्ध में कल और आज सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रक्खे हैं। मैं समझता हूं कि अगर आदरणीय खाद्य मंत्री महोदय मेरी दो, एक बातों की तरफ़ ध्यान देंगे तो उसका बहुत महत्वपूर्ण असर होगा।

पहली बात जो मैं आपको बतलाना चाहता हूं वह यह है कि सीलिंग की भावना जो सारे देश में फैल गई है, जो रेफ्यूजीज़ पंजाब और दूसरी जगह से आये और जो स्टेटें पूरे देश में ख़त्म हुईं उन्होंने बड़े-बड़े फ़ार्म्स बनाये। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कहां तक व्यवहारिक बात होगी अगर आप सारे देश के उन बड़े-बड़े फ़ार्मों की भावनाएं नष्ट-भ्रष्ट कर देंगे जिन में कि बड़े बड़े ट्रैक्टर्स और मशीनें आदि मौजूद हैं। प्रश्न उठता है कि उन्होंने अपनी सारी जायदाद बेच कर कितना सारा रुपया इनवैस्ट किया, पंजाब और दूसरे प्रदेशों से जो कि पाकिस्तान के रूप में आज विराजमान हैं वहां के आदमियों ने यहां आकर बड़े-बड़े फ़ार्म्स बनाये और इस सीलिंग को लेकर आज उनके मन में एक हलचल सी पैदा हो गई है और वे घबड़ा कर अपनी खेतियां बेच रहे हैं। इसका सामूहिक प्रभाव सारे देश पर पड़ रहा है। मैं यहां पर यह स्पष्ट कर दूं कि मैं बड़े-बड़े फ़ार्म्स रखने के फ़ेवर में नहीं हूं मगर मैं यह जरूर चाहता हूं कि कम से कम १५० एकड़ की सीलिंग रक्खी जाय ताकि वे लोग जिनके कि पास ट्रैक्टर्स वग़ैरह हैं वे वेस्ट न जांय बर्बाद न हो जांय। इसके साथ ही कोआपरेटिव फ़ार्मिंग के सम्बन्ध में जो आपकी धारणाएं हैं उन के सम्बन्ध में मैं एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए आप से निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि हमारे और मित्रों ने कहा और विशेषतः वह लोग जो विरोधी पक्ष के कहे जाते हैं, उन्होंने उस ओर आपका ध्यान दिलाया मैं भी इस अवसर पर आपका ध्यान उसी ओर दिलाते हुए कहना चाहूंगा कि कोआपरेटिव फ़ार्मिंग के सम्बन्ध में लोगों में एक दहशत और परेशानी सी पैदा हो गई है और मैं उस सिलसिले में कुछ सुझाव मंत्री महोदय और सदन के सामने रखना चाहता हूं। अगर आप यह कोआपरेटिव फ़ार्मिंग उन बड़े-बड़े फ़ार्म्स को जो कि हजारों एकड़ के हैं उन में १५० एकड़ की सीलिंग करके शेष एरियाज़ में आप इस तरह के नये कोआपरेटिव फ़ार्म्स बना कर एक्सपैरीमेंट्ल बेसिस पर चलायें तब तो भविष्य के लिए यह कल्पना की जा सकती है कि सारे देश में उसके प्रति एक विश्वास का भाव पैदा होगा और दूसरे लोग भी इस सहकारी ढंग की खेती की पद्धति को अपनायेंगे, अन्यथा नहीं।

मैं ऐसा नहीं मानता हूं जैसे कि हमारे बहुत से मित्रों ने कहा कि सरकार के हृदय में भोजन के सम्बन्ध में चिन्ता नहीं है। बिला शक़ मैं तो विरोधी पार्टी का हूं तो चिन्ता न करने का सीधा अर्थ यह है कि दूसरे चुनाव में कांग्रेस पार्टी को आना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जहां कि जीवन मरण का सम्बन्ध हो और कांग्रेस पार्टी आज जब कि शासन कार्य देश में चला रही हो तो मैं ऐसा नहीं मानता कि उनके हृदय में इस बात के लिए दर्द नहीं है। दर्द तो उनके दिल में बिला शुबहा है लेकिन उसका डाइरेक्शन ठीक तरीक़े से जैसा कि होना चाहिये था वैसा नहीं हुआ है। सारे देश के शुगर मिलओनर्स असोसियेशन की ओर से अनेक प्रकार के प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। मैं यहां पर यह बताना आवश्यक समझता हूं कि मिलओनर्स की ओर से जो प्रोपेगेंडा हो रहा है वह केवल उत्तर प्रदेश के खंडसारी उद्योग को गिराने के लिए हो रहा है। खंडसारी उद्योग के गिरने से सारे के सारे गांव के लोग एफ़ैक्टेड होंगे परन्तु जब चीनी मिलमालिक आपके सामने यह प्रश्न रखते हैं कि इतनी मिलें बन्द हो गईं तो मुझे आश्चर्य होता है और यह पूछने में संकोच नहीं होगा कि केवल उत्तर प्रदेश में बरेली और मेरठ डिवीज़न, इनके अतिरिक्त अन्यत्र यह इंडस्ट्री नहीं के बराबर है फिर भी मिल-ओनर्स का यह प्रोपेगेंडा कहां तक सरकार और मंत्री महोदय के दिल पर प्रभाव डालता है। अब मैं यहां पर उपना की तौर पर बतलाना चाहता हूं कि शाहजहांपुर जहां का कि मैं प्रतिनिधि हूं और

[श्री बि० चं० सेठ]

बरेली यह दोनों खंडसारी के खास क्षेत्र हैं और उसकी सीमा हरदोई से और हरदोई में एक भी खंडसारी नहीं है। फिर वह मिल क्यों बन्द हो गई हरदोई की भी बन्द हो गई और अन्यत्र भी बन्द हो गई। वास्तविकता यह है कि इस साल देश में गन्ने की कमी रही और गन्ने की कमी के कारण कुछ इस किस्म की आवाज़ें लगाई गईं कि अगर आप खंडसारी को नहीं बन्द करते हैं तो मिल बड़ी परेशानी में पड़ जायेंगे। अब मैं आप के सामने यह चीज़ रखता हूं कि यह जो खद्दर बनाया जा रहा है उस में ३ आने सबसिडी सरकार की ओर से पौने १९ रुपये सैकड़ा दी जा रही है। पौने १९ रुपये की सबसिडी देकर इस उद्योग को जीवित रखने का सीधा साधा मतलब यह है कि ग्रामीण जनता जिनके कि हाथ में यह उद्योग है वह नष्ट न होने पाये। यहां पर एक उल्लेखनीय बात यह है कि अगर आप १ सेर रुई का खद्दर बनाते हैं तो कितना एरिया कपड़े का बनता है और अगर उसी एक सेर रुई में महीन कपड़ा बनायें तो कितना ऐरिया बनेगा, इसको क्या कभी आपने कैलकुलेट किया? इसके बरअक्स खंडसारी के सम्बन्ध में एक ऐसी मनगढ़न्त कल्पना हमारे आदरणीय मंत्री महोदय के सामने रक्खी गई है और उसको वे शायद सच भी मान रहे हैं जिसके कारण देश की बड़ी भारी हानि हो रही है। वास्तविकता यह नहीं है कि परसेंटेज आफ़ शुगर कम बनती है। बड़े नगरों को छोड़ कर अगर आप ग्रामीण जनता को देखें जिनसे कि मंत्री महोदय निश्चित रूप से अरिचित नहीं हैं, तो आपको मालूम हो जायगा कि सारे देश में ११ परसेंट खंडसारी यानी शुगर बनती है जिसको कि मैडिकल प्वाएंट आफ़ व्यू से डाक्टर्स अच्छा बतलाते हैं और मिल शुगर यानी सफेद शुगर केवल १० परसेंट ही बनती है। जहां तक फुड सप्लाई और भोज्य पदार्थ के सप्लाई का सवाल है वहां पर एक मन खंडसारी ह्वाइट शुगर के मुकाबले अधिक फुड वैल्यू सप्लाई करती है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय हमारे देश में बड़े-बड़े बांध बन रहे हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बना कर सारे देश में बिजली भेजी जायगी, भारत के एक-एक ग्राम में बिजली पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है, तब अगर किसी गांव के एक आदमी ने तीन हार्स पावर की मशीन लगा कर सेंटीफ्युगल के साथ उस ने शुगर बनाई तो उसने क्या पाप कर लिया? मैं समझता हूं कि यह जो हमारे मंत्री महोदय के हृदय पर खंडसारी शक्कर के बारे में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा दिखलाई पड़ता है वह शुगर मिलओनर्स एसोसियेशन के उस साइंटिफिक प्रोपेगंडा का नतीजा है जो कि उन्होंने खंडसारी को गिराने के वास्ते किया और यह उसी प्रोपेगेंडा का असर है जो कि वे हम लोगों की बात तक को सुनने के लिए भी तैयार नहीं दिखलाई पड़ते।

यहां पर मैं एक चीज़ आपसे और निवेदन करना चाहता हूं कि सात करोड़ रुपये का बजट इस साल उत्तर प्रदेश की सरकार ने खंडसारी के डेवेलपमेंट के लिए बनाया है। मैं आप से निवेदन करूंगा कि आप गांव की खंडसारी को देखने के लिए किसी सज्जन को भेजें तो आपको मालूम होगा कि गन्ने को तोड़ने से ले कर उसे बेचने तक बहुत से परिवार उसको खाते हैं। इस तरह आप देखेंगे कि कितना बड़ा फूड का प्राबलम तै होता है। जिन दिनों यह शक्कर का कार्यक्रम होता है उन दिनों एक परिवार नहीं, न जाने कितने परिवार केवल मीठा ही खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। शहर में इसका चलन नहीं है। परन्तु देहात में लाखों आदमियों का निर्वाह चार महीने तक इस पर होता है और इसके साथ ही साथ हम आप को ११ परसेंट शुगर भी देते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस चीज़ से किसी प्रकार भी देश की हानि हो सकती है।

स्माल स्केल इंडस्ट्री के बारे में मुझे पढ़ने से यही मालूम हुआ है कि जिस इंडस्ट्री में पांच लाख रुपये तक की लागत हो और सौ आदमी अगर पावर न हो और ५० आदमी अगर पावर इस्तमाल होती हो, उसमें काम करते हों तो वह स्माल स्केल इंडस्ट्री होती है। लेकिन आज गांवों में जो

लोग यह काम कर रहे है उनके यहां तो दस पन्द्रह बीस आदमी ही काम करते है और वह केवल १० १५ हार्स पावर की शक्ति इस्तेमाल करते हैं। ऐसी इंडस्ट्री पर इतना बड़ा टक्सेशन का बोझा लादा जा रहा है। एक ओर तो हालत यह है कि हम विदेशों से गल्ला मंगा-मंगा कर देश की खाद्य समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक कलंक की बात है, और दूसरी तरफ जो किसी हद तक हमारी खाद्य समस्या सुलझ सकती हैं उसमें भी आप अड़ंगा लगाना चाहते हैं। यह कहां तक उचित है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसकी तरफ से उदासीन होना देश के लिये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। यदि हम देश में खाद्य उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो हम पदावार करने वाली जनता का विश्वास प्राप्त करने के उपायों को विसर्जित नहीं करना चाहिए।

†**श्री अ० प्र० जैन :** जो वर्ष गुजरा है, वह बहुत ही अभाव का वर्ष था। वर्ष १९५६-५७ में खाद्यान्नों का उत्पादन ६८८ लाख टन था और १९५७-५८ में ६२१ लाख टन था। १९५७ में सरकार ने केन्द्रीय गोदामों से ३० लाख टन खाद्यान्न उचित मूल्य की दुकानों द्वारा बिकने के लिए दिया। १९५७ की तुलना में १९५८ में १.०७ करोड़ टन की कमी रही। यह कमी बहुत ज्यादा थी और हमारे सामने एक गम्भीर संकट पैदा हो गया। इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिससे हम खाद्यान्नों की आयात कर सकें। फिर भी, यथासम्भव हमने कमी को पूर्ण करने के लिए खाद्यान्नों का आयात किया।

इस बड़ी कमी को पूर्ण करने के लिये सरकार ने सीधे या राज्य सरकारों द्वारा ३८·८२ लाख टन खाद्यान्न दिया, जो उचित मूल्य की दुकानों द्वारा बेचा गया। इसमें से ५·५० लाख टन चावल तो देश में इकट्ठा किया हुआ था और शेष ३३·३२ लाख टन खाद्यान्न आयात किये गये खाद्यान्न में से था।

ऐसी अभाव की स्थिति में स्वभावतः मूल्यों को समुचित स्तर पर नहीं रखा जा सका। परिणाम-स्वरूप मूल्य स्तर इतने बढ़ गये, जितने कभी नहीं बढ़े थे।

यदि १९५२-५३ को आधार-वर्ष मान कर मूल्य १०० माना जाये तो फरवरी, १९५८ में मूल्य बढ़ कर ९५ हो गया। सितम्बर के अन्त तक मूल्य बढ़ कर ११४·६ हो गया और मार्च के अन्त में फिर कम होकर १००·८ हो गया। अतः वास्तव में मूल्यों में बहुत वृद्धि हो गई थी पर अब काफी कमी हो गई है।

इसी प्रकार दालों के दाम फरवरी १९५८ में ७६, फरवरी १९५८ में १२७.३ और अब लगभग ११५.७ है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि चावल और गेहूं का आयात तो सम्भव है पर दालों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई महत्व नहीं है। अतः दालों का आयात हम नहीं कर सके। साथ ही, यद्यपि हमारे देश में दालों का अभाव था फिर भी लंका, मारीशश तथा अन्य देशों के भारतीयों के लिए हमें थोड़ी मात्रा में दालों का निर्यात करना पड़ा। इस प्रकार दालों का मूल्य खाद्यान्नों के मूल्य से अधिक बढ़ गया।

भारत में जितना खाद्यान्न पैदा होता है, उसमें चावल का उत्पादन ५० प्रतिशत है। चावल के मूल्य का देशनांक फरवरी में ९९ था और सितम्बर में ११८.२ था। अब देशनांक केवल ९२ है। फरवरी में जो मूल्य थे, उससे अब १६ प्रतिशत की कमी है। ज्वार का मूल्य अब कम हो गया है और रबी की फसल शीघ्र ही बाजार में आ जायेगी तब रबी के अनाज के मूल्य भी काफी कम हो जायेंगे।

कुछ लोगों को शंका है कि खण्ड बनाने के परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में मूल्य बहुत ही कम हो जायेंगे। हम विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार एक निश्चित सीमा से नीचे मूल्यों को न गिरने दिया जाये। इस सम्बन्ध में हम शीघ्र ही अपनी नीति घोषित करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० प्र० जैन]

जसा कि मैंने बताया कि हम एक बहुत अभावपूर्ण समय से गुजरे हैं, पर मैं सन्तोष के साथ कह सकता हूं कि सभी कठिनाइयों के होत हुय भी हमने सर्वत्र खाद्यान्नों का संभरण किया है और कभी कोई रुकावट नहीं पैदा होने दी। हमारे देश की जनता ने सभी कठिनाइयों को बड़े साहस से सहा है। हमें आशा है कि हम कठिन से कठिन लक्ष्य को भी, यदि हम कटिबद्ध हो जायें, प्राप्त कर सकते हैं, हमारा देश सभी प्रकार से दृढ़ है।

श्री अशोक मेहता ने बताया कि मूल्यों में बहुत कमी-बढ़ती हुई है। उनका कहना ठीक है। श्री नागी रेड्डी का कहना भी सही है कि हमारे कुछ कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप मूल्य उतने नहीं बढ़ पाये जितना बढ़ने का भय था। इसमें कोई आत्मतुष्टि की बात नहीं है।

श्री अशोक मेहता ने कहा कि मूल्य स्थिर करने के लिये हमने पर्याप्त प्रयत्न नहीं किये। अगस्त, १९५८ के श्वेत-पत्र में हमने मूल्य स्थिर करने सम्बन्धी नीति को स्वीकार किया था। उसमें कहा गया था कि मूल्य स्थिर करने का काम सरकार किसी भी सरकारी या गैर-सरकारी संस्था को नहीं सौंप सकती। श्री अशोक मेहता ने पुनः इस बात पर जोर दिया कि यह काम किसी ऐसी संस्था को सौंपा जाये जो सरकारी प्रभाव से मुक्त हो। ध्यान रहे कि मूल्य स्थिर करने के प्रश्न में अनेक जटिल कठिनाइयां हैं। अतः इस काम को सरकार किसी भी संस्था को नहीं सौंप सकती। इसे तो सरकार स्वयं करेगी हम इस उत्तरदात्वि से अपने को बचाना नहीं चाहते। मैं बता चुका हूं कि मैंने इस सम्बन्ध में कदम उठाये भी हैं।

खाद्यान्न जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर हमने देश के भीतर खाद्यान्न खरीदना शुरू कर दिया। सभा को ध्यान होगा कि १९५५ में मूल्य को सम्भालने के लिये हमने देश के भीतर खाद्यान्नों की खरीद की थी, अन्यथा इस देश के भीतर खरीद नहीं करते थे। पर इस समिति की सिफारिश के बाद देश के भीतर इस नीति में के रूप में खाद्यान्नों की खरीद करने लगे हैं।

१९५७–५८ में हमने बहुत थोड़ा खाद्यान्न खरीदा था। १९५८ में ५,५०,००० टन खरीदा। इस वर्ष १ अप्रैल तक हम लगभग ९ लाख टन चावल खरीद चुकेंगे। आप देखेंगे कि मूल्य स्थिर करने के लिये हमारा आन्तरिक क्रय-वक्रय बढ़ता ही जा रहा है। मूल्य स्थिर करने के लिये हमने और भी कदम उठाये हैं, जैसे खण्ड बनाना, बैंकों द्वारा अग्रिम देने पर रोक, व्यापार के लिये लाइसेंस देना, मूल्य नियन्त्रण, भण्डार का अर्जन तथा उचित मूल्य की दुकानें खोलना आदि। इसके बाद भी मूल्य बढ़े क्योंकि यह अभाव बहुत गम्भीर था। ये सब उपाय भी मूल्यों पर नियंत्रण न रख सके। ये सब उपाय तो कुछ हद तक प्रभावी होते हैं। मूल्य का सम्बन्ध मांग और पूर्ति के सिद्धान्त पर है। जब पूर्ति बहुत कम हो जायेगी तो ये उपाय कुछ हद तक ही सफल होंगे और कुछ हद तक ही ये मूल्यों को बढ़ने से रोक सकेंगे।

इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमने खाद्यान्नों का राज्य व्यापार शुरू करने का निर्णय किया है। इस योजना को सभा के समक्ष रखा जा चुका है। श्री अशोक मेहता ने आरोप लगाया है कि सरकार ने इस योजना को खराब कर दिया है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद् ने सिफारिश की थी कि खाद्यान्नों का थोक व्यापार राज्य अपने हाथ में ले लें, पर हमने योजना बनाने में परिषद् की सिफारिशों को महत्वहीन बना दिया है। उनका कहना है कि इस सम्बन्ध में हमारी प्रगति सन्तोषजनक नहीं है।

मैं बताऊंगा कि हमारी जो योजना है वह राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिशों पर ही आधारित है। परिषद् का निर्णय था कि खाद्यान्नों का थोक व्यापार राज्य अपने हाथ में ले ले। इसके लिए उसने दो योजनायें बनाईं एक, अन्तिम और दूसरी—फिलहाल के लिए। अन्तिम योजना के सम्बन्ध में परिषद ने कहा था कि १९०० प्रारम्भिक क्रय-विक्रय सहकारी समितियां बनाई जायेंगी और वे ग्राम-

स्तर पर खाद्यान्नों का समाहार करेंगी तथा विक्रय करेंगी। इसी प्रकार अन्तिम योजना के सम्बन्ध में हमने भी यही तय किया है कि ग्राम स्तर पर सहकारी सेवा समितियों द्वारा खाद्यान्न इकट्ठा किया जायेगा और उसे फुटकल या उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा बेचा जायेगा।

फिलहाल की योजना के सम्बन्ध में परिषद् ने कहा था कि थोक व्यापारी लाइसेंस लेकर राज्य की ओर से अनाज का व्यापार करेंगे। यही बात हमने भी निश्चित की है कि थोक व्यापारियों को लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के रूप में एक निर्धारित न्यूनतम दर है गल्ला खरीदने की अनुमति दी जायेगी।

अतः हमने भी लगभग वही बातें अपनी योजना में रखी है, जिनकी सिफारिश परिषद् ने की थी।

परिषद् के कहने के अनुसार एक कार्यकारी दल बनाया गया था जिसमें खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, भारत के रक्षित बैंक व भारत के राज्य बैंक के प्रतिनिधि थे। इस कार्यकारी दल ने योजना तैयार की। उस योजना पर राज्य सरकारों ने, मंत्रिमंडल ने तथा योजना आयोग ने विचार किया। बाद में राष्ट्रीय विकास ने परिषद् ने स्वयं योजना का परीक्षण किया। इस प्रकार तैयार की गई योजना सभा के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी।

सभी राज्य सरकारें व संस्थायें इस योजना से सहमत है। केरल राज्य ने इस योजना के सम्बन्ध में अपना मत नहीं दिया। श्री नागी रेड्डी ने कहा कि थोक व्यापारियों को लाइसेंस देने मात्र से काम नहीं बनेगा। सरकार को स्वयं अनाज खरीदना चाहिये। मैं बता चुका हूं कि लगभग इन ४ महीनों के भीतर हमने लगभग ९ लाख टन खाद्यान्न खरीदा है। हम आगे गेंहूं भी खरीदेंगे श्री रेड्डी ने कहा कि तकावी ऋण अनाज के रूप में लिया जाये। इस सम्बन्ध में हमने राज्य सरकारों को सुझाव भेज दिये हैं। श्री रेड्डी ने कोई नया सुझाव तो दिया नहीं है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते समय श्री डांगे ने सुझाव रखा था कि मुनीमों तथा गुमाश्ता लोगों को, सरकार को चाहिये कि, वह अपनी सेवा में रख ले। मैं पूछता हूं कि क्या मुनीमों के हाथ में राज्य व्यापार का काम सौंपा जा सकता है? यदि ऐसा किया गया, तो यह राज्य व्यापार से भिन्न कोई बेढंगी बात होगी, राज्य व्यापार कदापि नहीं होगा।

श्री अशोक मेहता ने इस बात पर आपत्ति की कि राज्य तथा व्यापारियों दोनों द्वारा साथ-साथ काम किया जाना उचित नहीं है। उन्हें इसे राजनैतिक द्वेध शासन बताया। श्री मुनीश्वर दत्त ने श्री अशोक मेहता को बहुत अच्छा उत्तर दिया श्री अशोक मेहता ने कहा कि उनकी योजना का अभिप्राय था कि एक ही व्यक्ति सरकार के नाम पर क्रय-विक्रय दोनों कार्य न करे। अब मैं उनके प्रतिवेदन में से कुछ बातें सुनाता हूं। अपने प्रतिवेदन में पृष्ठ ८० पर उन्होंने कहा है कि इस समय इतना ही काफी होगा कि सरकार खुले बाजार में खाद्यान्नों का क्रय-विक्रय करे। शेष बाजार में व्यापारियों को व्यापार करने दिया जाये और उन्हें लाइसेंस दिया जाये। आगे पृष्ठ ८६ पर उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई काम न किया जाये जिससे भविष्य में बाजार में गड़बड़ी पैदा हो। उनकी बात ठीक है। खाद्यान्न के मामले में किसी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिये। उन्होंने आगे कहा है कि धीरे-धीरे ३ या ४ वर्ष में खाद्यान्न स्थिरीकरण संगठन देश में खाद्यान्नों के थोक व्यापार पर नियन्त्रण कर लेगा।

यह सुझाव बहुत अच्छा है। इसी कारण हम चाहते हैं कि धीरे-धीरे एक संस्था तैयार हो जो सारा थोक व्यापार अपने नियंत्रण में रखे। अन्तरिम काल में हम थोक व्यापारियों का उपयोग कर रहे हैं।

[श्री अ० प्र० जैन]

सोचिए, अगर आज हम थोक व्यापारियों का उपयोग नहीं करते, तो दूसरा क्या रास्ता है ? सहकारी समितियां अभी बनी नहीं हैं। अतः रास्ता यही है कि ५०, ७५ या १०० रु० वेतन पर हम कुछ लाख सरकारी कर्मचारी भरती करें, जो देश में घूम कर अनाज खरीदने का काम करें।

हमने इस उपाय के सम्बन्ध में चर्चा की थी। पर कोई भी व्यक्ति इस बात से सहमत नहीं था कि अन्तरिम काल में सरकारी कर्मचारियों द्वारा राज्य व्यापार का कार्य कराया जाये।

श्री मेहता की बात को यदि मान भी लिया जाये कि क्रय-विक्रय दोनों कामों के लिए एक ही व्यक्ति को अधिकार न दिया जाय, तो मैं पूछता हूं कि क्या योजना के पैरा ७ में यह व्यवस्था नहीं है कि सरकार को अधिकार होगा कि वह लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों से नियन्त्रित मूल्य पर उनका भण्डार खरीद ले ? अतः हमें यही करना होगा कि केवल कुछ व्यापारी राज्य की ओर से खाद्यान्नों का व्यापार करें।

यदि इन व्यापारियों के भण्डार का कुछ भाग भी हम ले लिया करेंगे, तो उन पर हमारा अच्छा नियन्त्रण रहेगा। हम किन्हीं व्यापारियों के साथ भेद-भाव नहीं करेंगे। मेरा विचार है कि उनकी योजना और हमारी योजना में कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं है। यदि ऐसी कोई बात है तो मैं योजना का पुनः परीक्षण करने के लिये तैयार हूं।

मुख्य प्रश्न यह है कि क्या इस अन्तरिम काल में सरकार के लिए अनाज खरीदने की किसी व्यवस्था का होना तथा थोक व्यापारियों द्वारा स्वयं व्यापार करने की व्यवस्था कुछ शर्तों के अधीन —आवश्यक है या नहीं ?

मैंने भरसक कोशिश की पर मुझे दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा। कई पत्रकारों ने भी कहा है कि यह राज्य व्यापार नहीं है। उन्हें इसी बात पर आपत्ति है कि थोक व्यापारियों को बीच में रखा गया है। पर किसी ने कोई वैकल्पिक योजना नहीं बनाई है कि थोक व्यापारियों को बीच से निकालने के लिये हमें क्या करना चाहिए। मैं एक व्यावहारिक ढंग से काम कर रहा हूं। अतः विद्यमान वस्तुओं का हमें अधिकतम लाभ उठाना है।

श्री अशोक मेहता ने भी कहा है कि हमें अधिक से अधिक स्टाक अर्जित करना चाहिए। यह एक अच्छा परामर्श है। यदि हम राज्य-व्यापार की सफलता चाहते हैं तो हमें अधिक से अधिक स्टाक अर्जित करने चाहिये। वास्तव में मेरा विचार २० लाख टन चावल तथा कुछ गेहूं या तो केन्द्रीय सरकार की ओर से अथवा राज्य सरकार की ओर से क्रय करने का है।

दूसरे श्री अशोक मेहता राज्य व्यापार निगम के बारे में हमारे विचारों से सहमत नहीं है। मैंने उनकी आपत्तियों पर गम्भीरता से विचार किया है। मेरा भी यही विचार है कि ये निगम अन्तर्कालीन समय के लिये नहीं होने चाहिये क्योंकि अन्ततोगत्वा ग्राम सहकारी समितियां, मंडी सहकारी समितियां तथा उच्च सहकारी समितियों को खाद्यान्न का कार्य करना है। इसलिये निगम की किसी भी योजना की आवश्यकता अन्तर्कालीन समय के लिये होती है। एक बार जब निगम की स्थापना हो जाती है तो इसके बढ़ने के अवसर होते हैं और शक्तिशाली हो जाने पर यह कुशलतापूर्वक कार्य करने लगता है। एक दूसरा भी कारण है कि हम मूल्यों पर नियंत्रण करना चाहते हैं और खाद्यान्न नियमित मूल्यों पर क्रय करना चाहते हैं। व्यावाहारिक रूप से कार्य करने में एक निगम के सामने कुछ कठिनाइयां आयेगी। क्योंकि इसके पदाधिकारी वैधानिक रूप से नियंत्रण लागू करने के लिये उपयुक्त नहीं होंगे। उनके पास सरकारी कर्मचारी सरीखे अधिकार नहीं

होंगे। हमने निगम की स्थापना करने के विचार को, जहां कहीं भी उसकी आवश्यकता है रद्द नहीं किया है हमने तो यही कहा है कि हमें इस पर विचार करने दीजिये। उन राज्य सरकारों ने भी जिन्होंने कि निगम बनाने के विचार को उठाया था हमारे दृष्टिकोण को देखकर इस पर आग्रह नहीं किया। हमने जो कुछ कहा वह ठीक ही कहा। हमने इस विचार को ठप्प नहीं किया है और यदि आवश्यकता पड़ी तो निश्चय ही निगम की स्थापना की जायेगी। मूलत: निगम के विपरीत कोई बात नहीं है।

श्री अशोक मेहता ने एक आपत्ति यह भी की है कि हमने अगस्त १९५८ में थोक व्यापार के समाजीकरण की सिफारिश को ठुकरा दिया था जब कि कुछ दिन बाद ही राष्ट्रीय विकास परिषद् ने थोक व्यापार के समाजीकरण के पक्ष में निर्णय दिया। श्री अशोक मेहता ने अपने प्रतिवेदन में कई बार यह विचार प्रकट किया था कि कमी के समय सरकार का बाज़ार में आना हानिकारक है इससे स्थिति में गड़बड़ हो जाती है। उनका प्रतिवेदन अक्तूबर १९५७ में सरकार के पास गया। उसके तुरंत बाद ही बाजार में अप्रत्याशीत कमी आ गई। यदि हम उस समय बाज़ार में आते अथवा उस समय व्यापार के समाजीकरण का निर्णय कर लेते तो क्या यह अच्छा होता। आंध्र और पंजाब राज्यों में ही सरकार ने बाजार में भाग लिया। दक्षिण में कमी की स्थिति नहीं थी वहां अतिरेक था। पंजाब में चावल व्यापारिक फसल है वहां चावल की खपत नहीं है। हमने लगभग ५ लाख टन खाद्यान्न खरीदा। कमी का समय ऐसा नहीं था जब कि हम कोई नई योजना लागू करते। चावल की अच्छी फसल होने पर ही राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह निर्णय लिया। कुछ लोगों का कहना है कि जल्दबाजी में यह निर्णय किया गया किन्तु ऐसी बात नहीं थी। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने काफ़ी सोच विचार के पश्चात् यह निर्णय किया और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से विस्तृत कार्यक्रम बनाने के लिये कहा। हमने उपयुक्त समय पर ही यह निर्णय किया। हो सकता है कि जो कुछ मैंने कहा है उससे कुछ सदस्य सहमत न हों। किन्तु सदन को मैं यह आश्वासन देता हूं कि हमने परिस्थिति के अनुसार ही अच्छा कार्य किया और एक ऐसी योजना बनाई जो कि देश की खाद्य स्थिति में कोई गड़बड़ किये बिना राज्य व्यापार करने में सहायता करेगी। कुछ समाचार पत्रों ने कहा है कि यह राज्य व्यापार नहीं है किन्तु किसी ने यह नहीं बताया कि राज्य व्यापार है क्या ? किसी ने कोई वैकल्पिक योजना का सुझाव नहीं दिया है। अत: ऐसी स्थिति में यही सब से अच्छी योजना है।

खाद्य समस्या का सब से अच्छा समाधान अधिक उत्पादन है जिससे कि न केवल हमारी आवश्यकता की ही पूर्ति हो जाये अपितु हमारे पास कुछ अतिरेक भी हो जाये। और इस सम्बन्ध में हम प्रयत्न भी कर रहे हैं।

योजना का वास्तविक कार्य १९५२ से प्रारम्भ हुआ। उस वर्ष सभी प्रकार के अनाज का कुल उत्पादन ४२९ लाख टन हुआ। १९५६–५७ में यह बढ़ाकर ५७३ लाख टन हो गया। १९५८–५९ में सभी प्रकार के खाद्यान्नों की कुल उपज में १९५१–५२ की अपेक्षा ३६.७ प्रतिशत की वृद्धि हुई हालांकि इस दौरान में हमारे सामने नाना प्रकार की कठिनाइयां थी किन्तु फिर भी हमारे उत्पादन में वृद्धि हुई। यह कोई बुरा रिकार्ड नहीं है।

कपास को ही लीजिये। विभाजन के समय हमारे यहां २९.९ लाख गांठों का उत्पादन होता था १९५७–५८ में इसका उत्पादन बढ़कर ४७.५ लाख गांठ हो गया। विभाजन के समय जूट का उत्पादन १६.६ लाख गांठ था जब कि १९५८–५९ में यह बढ़कर ५१.८ लाख गांठ हो गया। और हम अब जूट का निर्यात कर रहे हैं। इसका थोड़ा आयात भी है तो वह विशेष

[श्री अ० प्र० जैन]

प्रकार की जूट का ही। तिलहन के मामले में भी १५.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मूंगफली में ४१.२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गन्ने के उत्पादन में वृद्धि तो हुई है किन्तु इतनी नहीं।

श्री अशोक मेहता ने एक यह आपत्ति भी उठाई है कि क्षेत्र का विस्तार तो हुआ है किन्तु प्रति एकड़ उपज में वृद्धि नहीं हुई है किन्तु प्राप्त आंकड़ों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि समस्त भारत में १९४९-५० में चावल का जो उत्पादन ६८८ पौंड प्रति एकड़ था वह बढ़कर १९५८-५९ में ८१६ पौंड प्रति एकड़ हो गया है। १९ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कुछ राज्यों में तो यह वृद्धि आश्चर्यजनक है। आंध्र में १९४९-५० में ८१५ पौंड चावल प्रति एकड़ उग रहा था जब कि अब वहां १११९ पौंड प्रति एकड़ का उत्पादन है। मद्रास में यह ८३८ से बढ़कर १२९३ पौंड, मैसूर में ७७१ पौंड की अपेक्षा १०६२ पौंड प्रति एकड़ हुआ है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी वृद्धि हुई है।

१९४९-५० की अपेक्षा बहुत से राज्यों में यह उत्पादन प्रति एकड़ काफ़ी बढ़ा है। आंध्र में १९४९-५० की अपेक्षा १९५८-५९ में ३७ प्रतिशत, मद्रास में ५४ प्रतिशत, मैसूर में ३८ प्रतिशत और मध्य प्रदेश में २६ प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि उड़ीसा, आसाम, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में कमी की पूर्ति होना शेष है।

गेहूं का उत्पादन भी बढ़ा है किन्तु उतना नहीं। उदाहरणार्थ पंजाब में १९४९-५० के ८९२ पौंड की अपेक्षा १९५६-५७ में ९२१ पौंड हो गया है। राजस्थान में ४०१ पौंड से बढ़कर यह ८८० पौंड और मध्य प्रदेश में ३८४ पौंड की अपेक्षा ४७६ पौंड हो गया है। जब कि उत्तर प्रदेश में यह उत्पादन घटकर ७०६ पौंड से ६९९ पौंड रह गया है। सभी राज्यों में समान रूप से वृद्धि नहीं हुई है किन्तु सारे भारत में मिलाकर प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ा है।

एक सदस्य ने इन आंकड़ों के बारे में पूछा है कि ये किस प्रकार प्राप्त किये जाते हैं? ये आंकड़े आकिस्मक नमूना सर्वेक्षण के आधार पर किये जाते हैं। निरीक्षक लोग कुछ खेतों को चुन लेते हैं उनमें खेती का उत्पादन कराया जाता है और फिर उत्पादन की वास्तविक तोल की जाती है। इस प्रकार प्रति एकड़ के उत्पादन का अनुमान लगाया जाता है। गेहूं तथा चावल के उत्पादन का अनुमान आकिस्मक नमूना सर्वेक्षण के द्वारा किया जाता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे ये आंकड़े अधिक से अधिक सही हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने प्रति एकड़ उत्पादन तथा खाद्य उत्पादन की वृद्धि के सम्बन्ध में अच्छे सुझाव दिये हैं। एक काम हम और भी कर रहे हैं और वह है स्थानीय संसाधनों का अधिक से अधिक प्रयोग। गांवों में किसान लोग अपने उत्पादन को बढ़ाने में रुचि ले रहे हैं। और उत्पादन बढ़ाने के लिये वे सभी प्रकार के उपायों का प्रयोग कर रहे हैं। जब मैं गांवों में जाता हूं तो उन्हें यही परामर्श देता हूं कि अच्छे प्रकार के बीज का प्रयोग करो। दूसरा परामर्श मैं उन्हें यह देता हूं कि वे बीज को अच्छे ढंग से तैयार करें। तीसरी बात उनसे यह कहता हूं कि वे गोबर को बेकार न फेंकें। गड्ढा खोदकर खाद तैयार करो। चूहे खेती के लिये एक महामारी हैं उन्हें मारो। इनको मारकर फसलों की बहुत कुछ रक्षा की जा सकती है। मैं उन्हें यह भी परामर्श देता हूं कि वे उर्वरकों का अधिक से अधिक प्रयोग करें।

खाद्य उत्पादन में वृद्धि हो रही है। देश में उत्पादन के लिये वातावरण अच्छा तैयार हो गया है और आशा है कि हम तेज़ी से उत्पादन कर सकते हैं। इसी सिलसिले में मैं दो शुभ सूचनाएं

भी देना चाहता हूं। एक तो यह है कि इस वर्ष के अंत तक हम दिल्ली निवासियों को शुद्ध, पेस्चराइज्ड दूध देने लगेंगे। हम ७,००० मन दूध का उत्पादन कर सकेंगे जब कि दिल्ली में १२,००० मन दूध प्रतिदिन की खपत है। यह एक ऐसी योजना है जिससे पशुओं के विकास में सहायता होगी। जानवरों की चिकित्सा के उपाय भी किये जायेंगे। अधिक चारा उत्पादन का भी प्रबन्ध किया जायेगा।

द्वितीय योजना में दुर्भाग्य से खेती को वह स्थान नहीं मिला है जो कि मिलना चहिये था। कठिनाइयों से हमने अनुभव प्राप्त किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कृषि को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या किसी कटौती प्रस्ताव को मतदान के लिये विशेष रूप से रखा जाये ?

†**श्री नागी रेड्डी** (अनन्तपुर) : कटौती प्रस्ताव संख्या १६७७।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या १६७७ मतदान के लिये रखा गया सभा में विभाजन हुआ। पक्ष में १७ और विपक्ष में ११६।**

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।**

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव १३३८ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।**

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि अन्य कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिये जा रहे हैं।

**अन्य सभी कटौती प्रस्ताव सभा की अनुमति से, वापस लिये गये।**

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें, मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं।**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| ३६ | खाद्य तथा कृषि मंत्रालय | ६६,१७,००० |
| ३७ | वन | २,३७,६६,००० |
| ३८ | कृषि | ६,२१,१०,००० |
| ३६ | कृषि गवेषणा | ४,५२,६०,००० |
| ४० | पशु पालन | २,४०,८४,००० |
| ४१ | खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय | १०,७८,०८,००० |
| ११६ | वनों पर पूंजी व्यय | १२,८१,००० |
| १२० | खाद्यान्नों का क्रय | १,६५,५६,३०,००० |
| १२१ | खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय | ३३,३६,६२,००० |

†मूल अंग्रेजी में

## प्रतिरक्षा मंत्रालय

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा में प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांग संख्या ८ से १२ और १०९ पर चर्चा होगी ।

जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें वे १५ मिनट के अन्दर अपने कटौती प्रस्तावों की संख्या सभा पटल पर दे दें ।

**वर्ष १९५९–६० के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गयीं ।**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| ८ | प्रतिरक्ष मंत्रालय . . . | ३६,९२,००० |
| ९ | प्रतिरक्षा सेवा, क्रियाकारी सेना . . | १,६०,१९,३२,००० |
| १० | प्रतिरक्षा सेवा, क्रियाकारी नौसेना . | १६,८६,६७,००० |
| ११ | प्रतिरक्षा सेवा, क्रियाकारी वायुसेना . | ५४,८१,१३,००० |
| १२ | प्रतिरक्षा सेवा, अक्रियाकारी प्रभार . . | १४,०३,६०,००० |
| १०९ | प्रतिरक्षा की पूंजी व्यय . . . . | ३३,८२,५०,००० |

†**श्री उ० च० पटनायक** (गंजम) : मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या १९१२ से १९१६ तक और संख्या १८६७ से १८८७ तक में यह सुझाव है कि प्रतिरक्षा संगठन को आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार बनाने के लिये उस में कुछ सुधार किये जायें ।

सब से पहले तो मैं भारतीय सशस्त्र सेवाओं के लोगों और उन के काम की सराहना करना चाहूंगा । उन्हों ने विदेशों में अपने देश की प्रतिष्ठा ऊंची की है, और वे देश में हर आड़े वक्त पर काम आये हैं ।

आज हमारे चारों ओर के पड़ोसी देशों में फौजी शासन कायम होते जा रहे हैं, इसलिये हमें अपनी फौजों के उपकरणों, प्रशिक्षण और मनोबल की ओर विशष ध्यान देते रहना चाहिये । संसद् हमेशा ही प्रतिरक्षा आय-व्ययक को पूरा-पूरा स्वीकृत करती रही है । हमारी इच्छा तो यह थी कि इस वर्ष सैनिकों की दशा में सुधार करने के लिये, उन के वेतनों में वृद्धि करने के लिये और उन के प्रशिक्षण तथा भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिये भी कोई ठोस प्रस्ताव रखा जाता । इस वर्ष विमानों की खरीद के सिलसिले में एक परोक्ष रूप से २६ करोड़ रुपये की जो कटौती की गई है, हम उसे भी स्वीकृत कर देते यदि सरकार उस राशि को छोटी किस्म की एण्टी-एयर क्राफ्ट तोपों के निर्माण की योजना के लिये या नियंत्रित मिसायेलों, इत्यादि के निर्माण के लिये मांगा होता । हमें बड़ी खुशी होती, यदि हमारे युद्ध-सामग्री कारखाने राकेट, इत्यादि उपकरण तैयार करने की बात सोचते । लेकिन वे अभी तक उन का परीक्षण ही कर रहे हैं ।

बड़े खेद की बात तो यह है कि हम विदेशों से अस्त्र खरीदने की ही बात सोचते हैं । हम इस पर विचार ही नहीं करते हैं कि आड़े वक्तों में वे हमारे लिये उतने उपयोगी भी होंगे या नहीं । हम प्रतिरक्षा मंत्रालय की सभी मांगों का समर्थन करने के लिये तैयार हैं, लेकिन चिन्ता की बात तो यह है

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा विभाग ने इधर कुछ दिनों से प्रशासन, संगठन और व्यय के क्षेत्र में जो तरीक़े अपनाए हैं वे हमें ठीक नहीं लगते। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों में बार-बार यही शिकायत की गई है कि प्रतिरक्षा विभाग विदेशी फर्मों खरीद करने और उन्हें ठेके देने में करोड़ों रुपयों का अपव्यय करता है। फिर भी उन की जांच करने या उस अपव्यय को रोकन की कोई भी कोशिश नहीं की गई है।

कुछ मामलों में तो, समिति की सिफारिशों के विरुद्ध भी काम किया गया है। प्रतिरक्षा मंत्रालय संसद द्वारा किये जाने वाले वित्तीय नियंत्रण की परवाह ही नहीं करता।

एक अधिकारी जो पहले लन्दन उच्च आयुक्त कार्यालय में निर्माण मंत्रालय का प्रतिनिधि था, और जिस की इमारतों के बारे में विशेष पुलिस संस्थान की जांच चल रही थी, उसे अब इस देश में भारतीय फर्मों के साथ ठेके करने के लिये और अधिक वेतन पर नियुक्त कर दिया है। लोक लेखा समिति द्वारा की जाने वाली आपत्तियों की ओर ध्यान भी नहीं दिया गया।

इसी तरह हमारे उच्च आयोग से सम्बन्धित एक दूसरे अधिकारी को—उस समय के नौसैनिक अधिकारी को—अब, कई वरिष्ट अधिकारियों के रहते हुए भी, रीयर-एडमिरल बना दिया गया है। इस तरह कई वरिष्ट और कार्यक्षम अधिकारियों का हक मारा गया है।

और, अभी कुछ ही महीने पहले, एक वायु सेना अधिकारी को कनाडा और अमरीका से की जाने वाली हमारी खरीदों की देखभाल के लिये भेजा गया है, हालांकि १९५४ में उसे इस देश में तस्कर व्यापार के लिये सजा मिल चुकी है।

इसी तरह, विमानों के इंजनों का आर्डर देने में कुछ दिन का विलम्ब कर देने से, हमें काफी अधिक राशि भरनी पड़ी है। हम आर्डर देने से पहले या खरीद करने से पहले विदेशी फर्मों की साख का कोई पता ही नहीं चलाते। उन्हें ऐसी शर्तों पर ठेके दिय जाते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध पड़ती हैं। फिर भी, इन सब को रोकने के लिये कुछ भी नहीं हो रहा है।

अभी कुछ साल पहले माननीय मंत्री ने लन्दन से ८० से १०० करोड़ रुपये तक के 'हन्टर हॉकर्स' और 'केनबरा जेट्स' विमान खरीदे थे। पहले हमें उस की पूरी जानकारी भी नहीं थी।

उसी समय हम ने 'औरेगोन्स' विमान भी खरीदे थे, जिन्हें फ्रांस ने १९५३ में ही त्याग दिया था। हम न 'मीस्तेरस' विमान भी खरीदे थे, जिन को अब पुराने ढंग का माना जाता है। हम ने उन पुराने ढंग के विमानों पर भी काफी अधिक राशि व्यय की थी। इस वर्ष हमें खुशी है कि इस वर्ष विमानों और राकेटों की खरीद की १०० करोड़ रुपये की राशि में से २६ करोड़ रुपये घटा दिये गये हैं।

एक अफवाह यह भी सुनने में आई है कि पहले का एक जूनियर कैप्टेन, जो अब सेना में नहीं है और जिस के खिलाफ लोक लेखा समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा था, अब फिर से सेना में आने की कोशिश कर रहा है। संसद् से परामर्श किये बिना, उसे सेना में नहीं लाना चाहिये।

इन सब से पता चलता है कि यह मंत्रालय संसदीय नियंत्रण और संसदीय समितियों की कोई परवाह नहीं करता। मंत्रालय के कुछ लोग हमारे विश्वास का लाभ उठा कर, हर तरह के अनुदान स्वीकृत करा कर, मनमानी कर रहे हैं। वे संसद् को कोई सूचना ही नहीं देते।

प्राक्कलन समिति ने भी प्रतिरक्षा विभाग की कुछ शाखाओं की जांच की है। उस ने युद्ध-सामग्री कारखानों, सैनिक इंजीनियरिंग सेवा, प्रतिरक्षा मंत्रालय, इत्यादि की जांच की है और कई महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की हैं। लेकिन उन सिफारिशों के सिलसिले में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

[श्री उ० च० पटनायक]

आधुनिक ढंग के युद्ध की आवश्यकताओं के अनुसार सशस्त्र बल का पुनर्गठन करन के लिये कौन से निर्णय किये गये हैं ? प्राक्कलन समिति ने सिफारिश की थी कि अमरीका और इंग लैण्ड में इस सिलसिले में जितने भी परिवर्तन किये गये हैं, प्रतिरक्षा मंत्रालय उन का अध्ययन करे और हमारे देश में भी तुरन्त कुछ निर्णय उस सिलसिले में करे । लेकिन अभी तक उस के लिये अधिक कुछ नहीं किया गया है । प्रतिरक्षा सचिवालय में नीति सम्बन्धी निर्णय करने की क्षमता पैदा करने के लिये क्या किया गया है? अभी इस समय प्रतिरक्षा सचिवालय की किसी भी शाखा में नीति सम्बन्धी निर्णयों का विषय नहीं है । भूमि, विमान और नौसेना—इन तीनों सेनाओं में एक ही ढंग के काम करने के लिये जो अलग-अलग शाखायें बनी हैं, जिन में एक ही काम तीन-तीन जगह होता है, उन के एकीकरण के लिये क्या किया गया है ? उस से काफी रुपये की बचत भी होगी और कार्यक्षमता भी अधिक हो पायेगी ।

हम ने प्रतिरक्षा मंत्रालय के कई अधिकारियों को इंगलैण्ड के 'इम्पीरियल डिफेन्स कालेज' में आधुनिक युद्ध-विद्या की जानकारी हासिल करने भेजा था । एक साल तक उन पर काफी व्यय किया गया था । फिर भी, इंग लैण्ड से लौटने पर उन को दूसरे-दूसरे विभागों या राज्य सरकारों में भेज दिया गया है ।

क्या हम ने इस का अध्ययन किया है कि अन्य देशों ने आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं को देखते हुए अपनी सेनाओं का पुनर्गठन किस प्रकार किया है? हम ने अपनी प्रतिरक्षा का पूरा इन्तजाम कर लिया है ?

इन प्रशासकीय, संगठनात्मक और वित्तीय मामलों में संसद् की कोई भी राय नहीं ली गई है और न उसे इन की सूचना ही दी गई है । संसद् से बिना पूछे ही, कुछ ऐसे भी परिवर्तन किये गये हैं जिन का सम्बन्ध देश की सेना की कार्य-क्षमता और मनोबल से है ।

अगस्त १९५८ में बहुत सी पदोन्नतियां ऐसी की गई हैं जिन में कई वरिष्ठ अधिकारियों का हक़ मारा गया है । सेनाओं में इस के बड़े गम्भीर परिणाम हो सकते हैं । म मंत्रालय को सूचित कर चुका हूं कि सेना संगठन में २५ वरिष्ठ ब्रिगेडियरों, बहुत ही कार्यक्षम ब्रिग्रेडियरों, का हक मार दिया गया है । उन से भी कनिष्ठ अधिकारियों को उन के ऊपर बैठा दिया गया है । कुछ कर्नलों के साथ भी यही हुआ है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को अधिकारियों के सम्बन्ध में इस प्रकार ब्यौरेवार चर्चा नहीं करनी चाहिये । क्या अधिकारियों की पदोन्नति करते समय, संसद् से राय ली जानी चाहिये ?

†**श्री उ० च० पटनायक** : मैं यह नहीं कहता ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ऐसी चर्चा से सेना के अनुशासन और उस की कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । माननीय सदस्य को नीति सम्बन्धी प्रश्न ही लेने चाहिये।

अधिकारी विशेष के सम्बन्ध में, जो भी चीज़ हो, ब्यौरा हो, उसे पहले माननीय मंत्री को लिखित रूप में दिया जाना चाहिये । जिस से कि वह समय पर उत्तर दे सके ।

†**श्री उ० च० पटनायक** : मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि इतने बड़े पैमाने पर वरिष्ठ अधिकारियों का हक नहीं मारा जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अभी पिछले वर्ष, नियमित पदालि के तीन हजार पदों पर उन लोगों को नियुक्त कर दिया गया था, जिन्हें, मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार, चुनाव बोर्ड ने पदोन्नति के लिये अयोग्य घोषित कर दिया था ।

लेकिन इस से भी ज्यादा गम्भीर चीज़ ये है कि सेना-प्रधान के वक्तव्य के अनुसार, अल्पसेवा और रक्षित सेवा की वर्तमान प्रणाली को बदलकर, पहले की निश्चित अवधि की सेवा (कलर सर्विस) लागू की जायेगी । निश्चित अवधि की सेवा इंगलैण्ड में १८७१ और भारत में १९२१ में खत्म कर दी गई थी । वर्तमान प्रणाली में कुछ तो निश्चित अवधि की सेवा (कलर सर्विस) रहती है और फिर उस के बाद कुछ वर्ष की रक्षित सेवा । अब प्रस्ताव यह है कि पन्द्रह वर्षों के लिये पूरे समय की नियमित कलर सर्विस रखी जाये । लेकिन इस के बारे में संसद् की कोई भी राय जानने की कोशिश नहीं की गई है । किसी भी नयी प्रणाली के व्यय का भार तो संसद को ही उठाना पड़ेगा । इसलिये संसद् को उस के सभी पहलुओं पर विचार करने का अवसर दिया जाना चाहिये ।

हमें सेना के सामान्य सैनिकों को संतुष्ट रखने के लिये कुछ न कुछ करते रहना चाहिये । हम ने अभी तक उच्चाधिकारियों के लिये ही कुछ किया है । जूनियर कमीशन्ड श्रेणी के लिये क्या किया गया है ?

अंग्रेज़ शासकों ने यह श्रेणी १८६० में यहां चालू की थी । इस श्रेणी के द्वारा वे अंग्रेज़ अधिकारियों और सामान्य भारतीय सैनिकों में सम्पर्क रखना चाहते थे । क्या हम ने विचार किया है कि इस श्रेणी का वैज्ञानिकन किस तरह से किया जा सकता, उन को किस ढंग से क्रमशः अधिकारियों की श्रेणी में खपाया जा सकता है ?

हमें सामान्य सैनिकों के लिये अधिक सुविधाओं और सेवा की और अच्छी शर्तों की व्यवस्था करनी चाहिये । ३० रुपये मासिक वेतन पाने वाले हर सामान्य सैनिक को भी अपनी रेजीमेंन्ट की निधि में ५—७ रुपये प्रतिमाह देने पड़ते है । उनके लिये खेलकूद की व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिये । रेजीमेंन्ट और बटालियन की निधियों से जो-जो सुविधायें जुटाई जाती हैं, वे सब सरकार को अपनी ओर से जुटानी चाहिय । फिर इन निधियों के व्यय के सिलसिले में सामान्य सैनिकों से पूछा तक नहीं जाता । लेकिन उनके लिये हर महीने उनकी तनख्वाह से रुपये काट लिये जाते हैं । उनके लिये शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिये, जिससे कि कुछ साल की सेवा के बाद सामान्य सैनिक नागरिक जीवन में भी आसानी से खप सकें । इंगलैंड में सेना का एक अपना अलग विश्वविद्यालय है ।

इसके अलावा, भूतपूर्व सैनिकों का भी कोई अच्छा संगठन नहीं है । उन्हें कम से कम इतना विश्वास तो होना चाहिये कि सेना की सेवा से निवृत्त होने के बाद सरकार उनको नागरिक जीवन में खपाने की कोशिश करेगी । हमें उन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा ।

हमारे युद्ध-सामग्री कारखानों में कोई भी विशेषीकृत मशीनें तैयार नहीं की जातीं । हम ने किस उपकरण के निर्माण में कितना सुधार किया है ? हम जानना चाहते हैं कि उन में किस-किस चीज़ का उत्पादन होता है । अभी तक उन में यही होता रहा है कि किसी मशीन का एक और किसी दूसरी मशीन का दूसरा पुर्जा लेकर दोनों को जोड़ दिया । हम जानना चाहते हैं कि वे तैयार क्या कर रहे ह ?

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : मुझे इस सम्बन्ध में टेकनीकल बातों की अधिक जानकारी नहीं है, इसलिये मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री वें० प० नायर]

प्रतिरक्षा मंत्रालय ने कुछ चीजों में बड़ी प्रगति की है। इस वर्ष आयात की जाने वाली सामग्री की खरीद में ११.२७ करोड़ रुपये की बचत की गई है। अब सरकार अपने युद्ध-सामग्री कारखानों का और अच्छा उपयोग कर रही है। यदि इसी नीति का पालन किया गया, तो हमें सैनिक स्टोर्स के लिये विदेशों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। माननीय पुनर्वास मंत्री ने सभा को बताया है कि उन के मंत्रालय ने दण्डकारण्य की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रतिरक्षा संस्थानों को लगभग ८५ लाख रुपये की सामग्री के सम्भरण का आर्डर दिया है। और वह भी इस प्रतियोगी आधार पर कि प्रतिरक्षा मंत्रालय का टेण्डर ही सब से कम का था।

हमारे युद्ध-सामग्री कारखानों की संस्थापित क्षमता ३३ प्रतिशत से बढ़ कर ४० प्रतिशत हो गई है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे युद्ध-सामग्री कारखाने देश की सौ प्रतिशत नागरिक आवश्यकतायें पूरी करने लगें। उन की सौ प्रतिशत संस्थापित क्षमता का उपयोग कब तक होने लगेगा?

इन संस्थापनों के बारे में भी कई शिकायतें की जा रही हैं। खमरिया के संस्थापन में ८० या ८५ लाख रुपये के घुटाले की बात कही जा रही है। माननीय मंत्री ने उसके बारे में एक ब्योरेवार विवरण सभा में पेश करने का वचन दिया था। लेकिन अभी तक वह हमारे सामने नहीं आया है। मैंने सुना है उस संगठन के उस सम्बन्धित प्रधान को दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया है। छिडकी में एक दूसरा संस्थापन है। वहां कुछ खुदाई का काम चल रहा है। वहां कुछ सैनिक स्टोर्स से सम्बन्धित सामग्री को खोदकर निकाला जा रहा है। उसका कार्यभार संभालने वाले अधिकारी को भी स्थानांतरित कर दिया गया है। एक दूसरे डिपो में, स्थानीय रूप से की जाने वाली खरीद के बारे में कुछ घुटाले की अफवाह उड़ रही है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन बड़ी विचित्र सी चीज यह है कि वहां के एक अधिकारी विशेष पर सैनिक न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। अचम्भे की बात तो यह है कि उसे एक ऐसे उच्च अधिकारी ने गिरफ्तार किया था, जिस पर खुद ही उसी प्रकार के आरोप हैं और जिनकी जांच अभी नहीं हुई है।

मुरादनगर में भी ऐसी ही कुछ बात सुनने में आई है। कानपुर के एक कारखाने से भी इस्पात गायब होने की बात उड़ रही है। माननीय मंत्री को ऐसी चीजें रोकने के लिये सख्त कार्यवाही करनी चाहिये।

सरकार की वर्तमान नीति सामान्य सैनिकों के हित में नहीं है। केवल हमारे देश में ही यह व्यवस्था है कि कमान अफसर अपने नीचे के सैनिकों को एक साल तक की सजा दे सकता है। इंगलैण्ड के अधिनियम के अन्तर्गत उस पर सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकता है। अमेरिका में सिर्फ २८ दिन की सजा ही दी जा सकती है।

अब हमें इस व्यवस्था को हटा देना चाहिये। इस व्यवस्था में कमान अफसर को जांच करने वाले, मुकदमा चलाने वाले और न्यायाधीश—तीनों की शक्तियां सौंप दी गई हैं। हां, उस के साथ दो अधिकारी बैठ सकते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। माननीय मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हाल में सेना प्रधान ने घोषणा की है कि सेवा की पदावधि पन्द्रह वर्ष करदी जायेगी। क्या सरकार ऐसी कोई बात सोच रही है? हमें इस सिलसिले में कोई भी जानकारी नहीं जुटाई गई है।

अब इस अवस्था पर हमें देखना यह चाहिये कि मंत्रालय नीचे के अधिकारियों की तुलना में उच्चाधिकारियों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है।

मैं ने अभी कुछ दिन पहले एक ज्ञापन देखा था। मैं कुछ कारणों से उसे सभा-पटल पर नहीं रखना चाहता। पर मैं माननीय मंत्री को उसका पूरा-पूरा ब्यौरा दे सकता हूं। उस ज्ञापन से पता चलता है कि उच्चाधिकारियों को कुछ रियायतें दी गई हैं।

पिछले एक वर्ष में, अधिकारियों ने लगभग ५० महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय करवा लिये हैं। एक तो यह कि सभी लेफ्टिनेन्ट-कर्नलों को गैर-चुनाव की श्रेणी में रख दिया गया है। दूसरी यह कि निवृत्ति की आयु बढ़ा कर ४८ और ५२ कर दी गई है। तीसरी रियायत यह है कि अधिकारियों की मौलिक पदालि में वृद्धि कर दी गई है। और अब सेवा की अवधि पूरी न करने वाले अधिकारियों को भी जो पेन्शन मिलेगी वह पूरी अवधि तक सेवा करने वालों की पेन्शन से सिर्फ पांच रुपये ही कम होगी। लगभग २,४०० गैर-नियमित अधिकारियों को स्थायी बना दिया गया है। लेकिन जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों के कुल एक हजार से भी कम पदों को स्थायी बनाया गया है। ऐसा भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये।

लेकिन इन सब के बावजूद, हमारे सामान्य सैनिकों का मनोबल काफी दृढ़ है। इसलिये कि वे देशभक्त हैं। लेकिन फिर भी उनके साथ प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है।

इस तरह के भेदभाव से उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उदाहरण के लिये, प्रथम श्रेणी के कमीशन्ड अधिकारी को यात्रा के दौरान में दैनिक भत्ता १३२ रुपय मिलता है और जूनियर कमीशन्ड अधिकारी को सवा दो रुपये। उन दोनों की सेवा की शर्तों में भी ऐसा ही भेद-भाव मौजूद है। सामान्य सैनिकों, और जमादारों को भी, अस्थायी ड्यूटी भत्ता अधिकारियों की अपेक्षा बहुत कम मिलता है। यदि अधिकारियों को किसी दूसरे स्थान पर अस्थायी ड्यूटी के लिये भेजा जाता है, तो उसे दैनिक भत्ता भी मिलता रहता है, लेकिन उस दशा में सामान्य सैनिकों और जमादारों को दैनिक भत्ता नहीं मिलता।

दूसरी चीज यह है कि जब भी कोई सामान्य सैनिक छुट्टी पर जाता है, तो उस काल में उसे राशन भत्ता नहीं मिलता, जब कि असैनिक प्रशासन के सभी अधिकारियों को छुट्टी के दिनों की पूरी तनखाह मिलती है। सामान्य सैनिक की तनखाह में से १ रुपया ६ आना प्रति दिन के हिसाब से छुट्टी के दिनों का राशन भत्ता काट लिया जाता है। इस तरह का विभेद नहीं होना चाहिये।

उपदान के मामले में भी ऐसा ही विभेद होता है। असैनिक अधिकारियों को ९ वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद १२ महीने की कुल उपलब्धियां उपदान में मिलती हैं। सेना अधिकारियों को कम से कम १०,००० रुपये मिलते हैं, जो १५ महीने के भत्ते के बराबर होते हैं। लेकिन सामान्य सनिक को कुल साढ़े छः महीने की उपलब्धियां ही मिलती हैं। मैं ने हिसाब लगा कर देखा है कि सामान्य सैनिकों की तुलना में सैनिक अधिकारियों को २७ गुना अधिक उपदान मिलता है।

और, सामान्य सैनिक को प्रति वर्ष आठ आने की वेतन-वृद्धि मिलती है। जब कि सेना अधिकारियों को कम से कम २५ रुपये प्रति माह हर एक वर्ष की सेवा के बाद वेतन-वृद्धि के रूप में मिलते हैं। यानी उन्हें ५० गुना अधिक लाभ होता है।

इसी तरह पेन्शनों का मामला देखिये। अधिकारी की मृत्यु चाहे ड्यूटी पर हो या किसी और तरीके से, लेकिन उसकी पत्नी को पेन्शन मिलती है। मैं यह नहीं कहता कि उसे पेन्शन नहीं मिलनी चाहिये, लेकिन इसी तरह सामान्य सैनिकों की पत्नियों को भी पेन्शनें दी जानी चाहिये। सामान्य

[श्री वें० प० नायर]

सैनिक तो यदि सेवा काल म ही तपेदिक का शिकार होकर मर जाये, तो भी उसकी पत्नी को पेन्शन नहीं मिलेगी ।

अधिकारियों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है । लेकिन, सामान्य सैनिकों के बच्चों के लिये ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है । यदि कोई लेफ्टिनेन्ट अपने पूरे सेवा-काल के बाद निवृत्त होता है, तो उसे पेन्शन के रूप में उसके बुनियादी वेतन का ७१ प्रतिशत मिलता है । लेकिन जूनियर कमीशन्ड अधिकारियों या सामान्य सैनिकों को इतनी पेन्शन नहीं मिलती । हम कब तक इस तरह का भेदभाव करते जायेंगे ? इस पर भी हम कहते जाते हैं कि सैनिक बड़े संतुष्ट हैं ।

माननीय मंत्री शायद इन चीजों पर बड़ी गम्भीरता से विचार कर रहे हैं । मैं ऐसा इसलिये सोच रहा हूं कि प्रतिरक्षा मंत्री ने कई मामलों के बारे में एक बिलकुल ही नया ंग अपनाया है । वह स्वयं सैनिकों के सामने भाषण देने जाते हैं शायद उन्हें अभी तक इन सभी चीजों का पता नहीं है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि वह इन पर विचार करें ।

अब हमारे देश के सारे असैनिक कर्मचारियों के वेतन-क्रमों के पुनरीक्षण के प्रश्न पर वेतन आयोग विचार कर रहा है । इसी प्रकार सेना के लोगों के वेतन-क्रमों के पुनरीक्षण के लिये भी एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस सुझाव पर विचार करें ।

मैं एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि माननीय मंत्री युद्ध सामग्री कारखानों के सुधार की अपनी नीति पर डटे रहें । यदि हो सके तो प्रतिरक्षा मंत्रालय को मोटर टायर बनाने का भी एक कारखाना खड़ा करना चाहिये । कुछ साल पहले हमें लग भग एक करोड़ रुपये के मूल्य के मोटर टायरों की आवश्यकता पड़ती थी । अब शायद वह और भी बढ़ गई होगी । अभी हमारे यहां २०,००० गाड़ियां बेकार पड़ी हैं । उन पर हमने ३०-४० करोड़ रुपये व्यय किये होंगे । इन गाड़ियों को ठीक करने के लिये एक संयोजन कारखाना भी खोला जाना चाहिये । अभी तो हमें एक गाड़ी की साधारण मरम्मत कराने पर ही लगभग ३,००० रुपये खर्च करने पड़ते हैं ।

संयोजन कारखाना खड़ा करके हम उन गाड़ियों को फिर उपयोग में ला सकते हैं और मरम्मत पर इतना अधिक व्यय भी नहीं होगा ।

**श्री भक्त दर्शन** (गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिरक्षा मंत्रालय के अनुदानों की बहस में भाग लेते समय मैं अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि हमारी सशस्त्र सेनाओं की तीनों शाखाओं के अफ़सरों और जवानों ने हमारे देश की रक्षा के लिए पिछले वर्ष में जो कुर्बानियां की हैं, जिस सामर्थ्य और शूरवीरता का परिचय दिया है, उस के लिए अपनी वार्षिक श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित करूँ। केवल भारत की सीमाओं के अन्दर ही नहीं, भारत के बाहर भी—जैसे कि स्वेज़ के पूर्व ग़ाज़ा पट्टी पर—हमारे सैनिक जिस वीरता और साहस के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, वह हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है ।

[श्री चे० रा० पट्टाभिरामन पीठासीन हुए]

कुछ दिन पहले हमने अखबारों में पढ़ा था कि ग़ाज़ा पट्टी के नज़दीक कुछ अरब लोगों के साथ उनकी मुठ भेड़ हो गई थी लेकिन उसके बाद ही हमने जब अखबारों में मस्त होली खेलते हुए उन के चित्रों

को देखा, तो विश्वास हो गया कि हमारे सैनिक देश के बाहर बड़े साहस और आत्म-विश्वास के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं ।

सभापति महोदय, कुछ दिनों पहले यह स्थिति थी कि हम अपने अफ़सरों को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजते थे, लेकिन अब हमारे अफ़सर बाहर जा कर ट्रेनिंग देने लगे हैं, या हमारे देश में आ कर बहुत से अफ़सर और सैनिक ट्रेनिंग लेने लगे हैं । सब से बड़ी प्रशंसा की बात यह है कि मलाया की सरकार ने हमारे एक सुप्रसिद्ध विख्यात जेनरल हबीब उल्लाह साहब को वहां बुलाया और अपनी सेनाओं का डिप्टी जनरल ओफ़िसर कमांडिंग मुकर्रर किया है । यह इस बात का साक्षी है कि हमारी सेनाओं की प्रशंसा केवल भारत की सीमाओं के अन्दर ही नहीं, बल्कि भारत के बाहर दूसरे देशों में भी की जाने लगी है ।

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता और संतोष है कि अन्य वर्षों की बनिसबत इस साल २४.१९ करोड़ की बचत की गई है । समाचारपत्रों में और दूसरे क्षेत्रों में यह चिन्ता व्यक्त की जा रही है कि हमारे रक्षा के बजट में, हमारे रक्षा-व्यय में कटौती करने से कहीं हमारे रक्षा के साधनों में कमी न हो जाये । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह यहां पर यह आश्वासन देने की कृपा करें कि इस बीच में इस कटौती के बावजूद भी उन्होंने सेना को तैयार और सक्षम रखने के लिए क्या कार्यवाही की है । मैं उन व्यक्तियों में से हूं, जो कि यह चाहते हैं कि यद्यपि हम सशस्त्र सेनाओं के ऊपर जितनी आवश्यकता हो, उतना अवश्य खर्च करें, लेकिन हमें एक एक पाई के खर्च के प्रति सतर्क होना चाहिए । इस रिपोर्ट में हमें बताया गया है कि पिछले वर्ष—१९५८ में—अप्रैल से दिसम्बर तक ५५,६६,००० रुपए की बचत की गई, लेकिन इस रिपोर्ट में जिन इकानोमीज़ का उल्लेख किया गया है, वे मुझे ज़रा ज्यादा जंची नहीं हैं । इस में जो कारण दिया गया है, उसका संक्षेप यह है कि जिन पदों पर खर्च हो रहा था, उन पदों की पूर्ति नहीं की गई और जिन कार्यों को हम करना चाह रहे थे, उन को नहीं किया और इस प्रकार यह बचत की गई । इस प्रकार वास्तव में यह कुछ बचत नहीं हुई । इस सम्बन्ध में मैं रक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह और सतर्कता और गहराई के साथ रक्षा मंत्रालय के खर्चे की जांच करने की कृपा करें। चूंकि सारे देश की ग़रीब जनता से एकत्र हो कर यह मूल्यवान धन आता है यह पूंजी आती है, इस लिए उस के खर्च में हमें बहुत सतर्क होना चाहिए ।

श्रीमन् हम चाहे कोई भी बहस करें, लेकिन हमारे पड़ौसी पाकिस्तान की वजह से हमारे प्रति जो खतरे की आशंका हो उठी है, उस को नज़र-अंदाज़ नहीं किया जा सकता है । इस बीच में अमरीका और पाकिस्तान के मध्य जो शस्त्रास्त्र सम्बन्धी सन्धि हुई है, उस से हमारी रक्षा-समस्या और भी जटिल हो गई है । लेकिन मुझे माननीय मंत्री जी पर अत्यधिक विश्वास है कि जिस प्रकार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के मोर्चे पर हमें सफलतायें दिलाई हैं और हमारे देश के हितों की रक्षा की है, उसी प्रकार वह इस देश की रक्षा के बारे में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे ।

अभी मुझ से पहले हमारे मित्र माननीय पटनायक साहब ने जो आलोचनाएं की हैं, उन के सम्बन्ध में मैं उन से कुछ निवेदन करना चाहता था, लेकिन वह बाहर चले गए हैं । मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल आलोचना करने से हमारा काम नहीं चलेगा । हमें मंत्रालय के सामने कुछ रचनात्मक सुझाव भी देने चाहिएं और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जो रक्षा सम्बन्धी उन बहुत सी बातों को सुरक्षित रखते हुए भी, जिन को देश की सुरक्षा के हित में सुरक्षित रखना पड़ता है, जिन को नहीं बतलाया जा सकता है, वे सदन को विश्वास में लेंगे और जब वह उत्तर देंगे, तो बतलायेंगे कि पाकिस्तान और अमरीका की नई ताज़ा सन्धि के बावजूद भी हमारे देश में रक्षा के लिए क्या तैयारियां हो रही हैं, ताकि जनता में विश्वास पैदा हो सके ।

[श्री भक्त दर्शन]

अपने रक्षा मंत्री का इतना प्रशंसक होते हुए भी और अपने कांग्रेस दल का एक साधारण सदस्य होते हुए भी मैं केवल एक छोटा सा और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे माननीय रक्षा मंत्री महोदय और कुछ दिनों से हमारे स्थल सेना के अध्यक्ष जेनरल थिमैया महोदय भी समय-समय पर सभाओं में कुछ ऐसे भाषण देते हैं, जिन का हाल में पाकिस्तान के तानाशाह जेनरल अयूबखां को जवाब देना पड़ा। मैं विनम्र सुझाव देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि हिन्दी में एक पद है--सूर समर करनी करहिं, कहि न जनावहिं आत, जिस का मतलब यह है कि जो वास्तव में वीर होते हैं, वे अपनी वीरता की व्याख्या नहीं करते हैं, वे अपने चमत्कार की प्रशंसा नहीं करते फिरते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर काम कर के दिखलाते हैं। अत: मैं माननीय मंत्री जी और अपने सेनाध्यक्ष महोदय से यह आशा करूंगा कि वे अपने भाषणों में कहीं पर कोई ऐसा शब्द न कह दें, जिस से बेकार की उत्तेजना फैले और हमारे रक्षा-साधनों में कोई कमी आए।

श्रीमान, तिब्बत की स्थिति ने फिर बड़े ज़ोरों के साथ हमारा ध्यान हमारी उत्तरी रक्षा-पंक्ति की ओर दिला दिया है। एक ज़माना था कि हिमालय की ऊंची दीवारें हमारी रक्षा करने में समर्थ थीं, लेकिन अब वायुयानों के ज़माने में हिमालय हमारी पूरी तरह रक्षा नहीं कर सकता और ऊपर से उठता हुआ जो खतरा है, उस की ओर से हम बेखबर नहीं हो सकते। बहुत से लोग हमारे देश में ऐसे हैं--कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन का यह ख्याल है--उन्हें ऐसी आशंका है कि चीन की सेनाएं केवल तिब्बत पर ही कब्ज़ा कर के संतोष नहीं करेंगी, और शायद हो सकता है कि वे आगे बढ़ कर नेपाल, भूटान, सिक्किम और उस के बाद भारत पर आक्रमण करें। मैं उन लोगों में नहीं हूं, जो इस प्रकार की आशंका करते हैं, लेकिन मैं यह अवश्य चाहता हूं कि हमें सतर्कता की नीति बर्तनी चाहिए--सतर्त जागरूकता हमारा मंत्र होना चाहिए।

इस के लिए हमारे पास कुछ कारण भी हैं। अभी कुछ दिन पहले एक प्रश्न का उत्तर देते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी ने स्वीकार किया था कि चीन में जो पुराने बने हुए नक्शे हैं, उन में नेफ़ा, भूटान, सिक्किम, नेपाल, उत्तर प्रदेश के पर्वतीय ज़िले, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख़ के कुछ अंश चीन के भाग दिखाए गए हैं। चीन सरकार से जब इस सम्बन्ध में बात-चीत हुई, तो उन्होंने कहा कि ये नक्शे बहुत पहले के बने हुए हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने उसका संशोधन नहीं किया है। इसी प्रकार जैसा कि सदन को मालूम है, उत्तर प्रदेश के गढ़वाल ज़िले में जो तिब्बती क्षेत्र मिलता है, उस में होती के मैदान में चीन के सैनिकों ने कब्ज़ा किया हुआ है। तीन चार वर्ष से बात-चीत चल रही थी। और यह आशा की जा रही थी कि वहां पर समझौता बड़े शान्तिपूर्ण और सम्मानसूर्ण ढंग से हो जायेगा, लेकिन इन जाड़ों में उनके वहां कब्ज़ा करने से यह आशंका होती है कि चीन के लोग हमारी जो पंचशील की बाते हैं, या शान्ति की बातें हैं, उन्हें पूरी तरह से नहीं समझना चाहते हैं। और इसी लिए मैं और अधिक न कह कर माननीय रक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत की उत्तरी सीमा से भी वह बेखबर न हों। एक ओर पश्चिम काश्मीर से ले कर दूसरी ओर पूर्व में आसाम तक फैली हुई जो १५०० मील की सीमा है, उस के प्रति हमें और अधिक जागरूक होना चाहिए।

सभापति महोदय, हिमालय का नाम आते ही मुझे पर्वतारोहण और हिमालयारोहण की याद आजाना स्वाभाविक है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी सेना में इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि हमारे नौजवान और अफसर लोग समय-समय पर हिमालय पर चढ़े और उसकी ऊंचीं ऊंची चोटियों पर चढ़ने का अभ्यास करें ताकि शायद अगर जरूरत पड़े तो बरफानी युद्ध की भी तैयारी हो सक। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वायुसेना की एक ट्रेकिंग सोसाइटी है, वह समय समय पर

दलों को इन चोटियों पर भेजती है : अभी कल माननीय मंत्री जी ने हमें निमंत्रित किया था और हमें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि भारत की सामुद्रिक सेना की ओर से एक दल नन्दा कोट पर्वत की चोटी पर चढ़ने के लिए जाने वाला है। यह सब इस बात का सबूत है कि हमारा रक्षा मंत्रालय कुछ प्रयत्न कर रहा है।

उसका सब से बड़ा जो काम है हिमालय पर्वतारोहण संस्था का उसकी प्रशंसा किये बिना मैं नहीं रह सकता हूं। जिन्हें आज राष्ट्रपति जी अपने कर-कमलों से पद्म भूषण की पदवी देने वाले हैं उन में श्री तेनसिंह का नाम सारे देश में और सारे संसार में मशहूर हो गया है और उन्हीं के नेतृत्व में यह संस्था कार्य कर रही है और पिछले पांच वर्षों से बड़ा अच्छा प्रयत्न कर रही है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि उसके जो पिछले प्रिंसिपल थे मेजर जयाल उनका चो०ओ०यू० अभियान में जाते समय देहान्त हो गया था। इस अवसर पर मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजली अर्पित करना चाहता हूं। मेजर जयाल हमारे आज के भारत के उन नवयुवकों में से थे जिन्होंने सेना के जीवन में रहते हुए भी इस पर्वतारोहण की कला को प्रोत्साहन दिया था। उन्होंने बड़ी-बड़ी सफलतायें प्राप्त की थीं और इस क्षेत्र में श्री तेनसिंह के बाद उनका ही मम्बर आता है। उनकी दुःखद् मृत्यु से एक बड़ा आघात पहुंचा है। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी मैं, आशा करता हूं, कि यह संस्था उत्तरोत्तर उन्नति करेगी।

इस सम्बन्ध में मैं दो सुझाव देना चाहता हूं। पहला सुझाव तो यह है कि अभी तो छः सप्ताह का कोर्स वहां होता है। इस कोर्स के बाद किसी फालो अप रिफ्रेशर कोर्स या इसी तरह के किसी दूसरे कोर्स की व्यवस्था नहीं है। मुझे बताया गया है कि इंटेंसिव कोर्स के लिये कभी-कभी दूसरी बड़ी-बड़ी चोटियों पर इन दलों को भेजने की व्यवस्था की जाती रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई संगठित प्रयत्न इस बारे में नहीं किया गया है और वह किया जाना चाहिये।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि पिछले साल जो दल चो०ओ०यू० की चोटी पर गया था और जैसा कि मैंने बताया कि मेजर जयाल की अचानक दुःखद मृत्यु हो गई थी, उसके सम्बन्ध में मुझे बताया गया है कि हालांकि मेजर जयाल का सारा जीवन अनेक पर्वतों पर चढ़ने में गुजरा था लेकिन उनकी जो अचानक मृत्यु हुई इसका एक मुख्य कारण यह था कि उनके दल के साथ जो मैडिकल आफिसर गये थे वह एक नए एम० बी० बी० एस० थे और उसी साल कालेज से निकले थे और नवयुवक थे, अनुभवहीन थे। उनको यह भी पता नहीं लगा कि उनको निमोनिया हो गया है। आजकल के ज़माने में सभी डाक्टर लोग और मरीज़ लोग भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि निमोनिया का बिल्कुल निश्चित रूप से, शत प्रतिशत इलाज हो सकता है। लेकिन वह मैडिकल आफिसर बीमारी का ही पता नहीं लगा सके और मेजर जयाल का देहान्त हो गया। अतः मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे दलों के साथ हमेशा ही अनुभवी डाक्टर भेजे जायें ताकि हम व्यर्थ का खतरा मोल न लें।

श्री वें० प० नायर जी ने सेना के जवानों की हालत सुधारने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं। मैं उन सुझावों का द्धिान्तिक रूप में समर्थन करता हूं। हमारे सैनिकों की जो कठिनाइयां हैं, उनका पूरी सहानुभूति के साथ अध्ययन किया जाना चाहिये। और देशों में उन्हें क्या-क्या सुविधायें मिलती हैं, चीन तथा रूस में क्या मिलती हैं, यह बतलाने से तो उन्होंने सइंकार कर दिया है। फिर भी जो हमारे लोकतन्त्रीय देश हैं, उनमें जो सुविधायें मिलती हैं, जो सुविधायें सैनिकों को उपलब्ध हैं, अफसरों को उपलब्ध हैं, जिस अनुपात से उनको वेतन तथा दूसरी सुविधायें मिलती हैं, वे यहां भी मिलनी चाहियें और मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इन सब चीज़ों की जांच की जाए और जितनी व्यावहारिक हों, उनको अमल में लाया जाए।

[श्री भक्त दर्शन]

मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि जब से वह इस पद पर आए हैं, पिछल दो वर्ष पहल से तब से अफसरों की जो कठिनाइयां हैं, वे बहुत कुछ दूर हो गई हैं। अभी नायर साहब ने कुछ सरकारी आज्ञाओं का ज़िक्र किया है। मैं समझता हूं कि उनके ज़िक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि स्वयं इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ मेजर जनरल पद के व्यक्तियों को लैफ्टिनेंट जनरल बनाया गया है। इसके बारे में हमारे पटनायक साहब ने भी एतराज़ भी किया है। मैं समझता हूं कि उनका वह एतराज विचारणीय मालूम नहीं देता है क्योंकि हमारे प्रधान मन्त्री हमेशा यह कहत रहे हैं कि योग्यता कसौटी होनी चाहिये, उच्च पदों पर केवल सीनियारिटी, लम्बी नौकरी का ही ख्याल नहीं किया जाना चाहिये। इसी प्रकार से पहले मेजर तक जाकर टाइम स्केल में पदोन्नति होती थी अब कर्नल तक पहुंचा दी गई है। साथ ही अवकाश ग्रहण करने की उम्र बढ़ा दी गई है। ये सब सुविधायें दी जा रही हैं। अस्थायी कमीशन के जो सैकड़ों लोग थे उनमें से अधिकांश को स्थायी कमीशन दे दिया गया है।

इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मान लीजिये कोई अस्थायी कमीशन का व्यक्ति बीस साल नौकरी करके आज मेजर के पद पर है, पर मुझे बताया गया है कि अगर वह कोई परीक्षा पास न करे, टैस्ट पास न करे, तो उसको कैप्टेन के पद पर रिवर्ट होना पड़ेगा और उसके बाद उसे जो पेंशन मिलेगी वह कैप्टेन की मिलेगी। आप सोचें कि अगर कोई नौजवान होता, तब तो वह परीक्षा पास कर सकता था लेकिन वह व्यक्ति जो तीन चार पुत्र पुत्रियों का पिता है और उस पर इतना भार है, वह कैसे परीक्षा दे सकता है, इसलिये अगर इतनी उसको सुविधा दी गई है, इतनी छूट दी गई है, तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में भी उसको छूट दी जानी चाहिये और इस पर भी विचार किया जाना चाहिये।

पटनायक साहब ने और नायर साहब ने भी जनरल तिमैया साहब ने अपने भाषणों में जिस बात का ज़िक्र किया है, उसको यहां उठाया है कि सैनिकों को जो सात वर्ष से दस वर्ष तक कलर सर्विस की जो सेवा है इसको बढ़ा करके १५ से लेकर १८ वर्ष तक करने का विचार किया जा रहा है। पहले तो मैं यह समझ नहीं पाया कि यह सेनाध्यक्ष की ओर से घोषणा होनी चाहिये थी या मंत्री महोदय की ओर से। लेकिन मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता हूं। मैं इसका स्वागत करता हूं। मैंने देखा है कि जिन्होंने सात आठ साल की नौकरी कर ली है, उनको केवल २३–२४ वर्ष की उम्र में ही बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है, बेरोज़गारी का भूत उनके सामने सवार हो जाता है और वे दर-ब-दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। उसको नौकरी मिलना कठिन हो रही है। मुझे मालूम है कि रक्षामंत्री महोदय ने आदेश दिये हैं इस बारे में एम्प्लायमेंट एक्सचेंजिज़ को कि इन लोगों को नौकरी में प्रेफ्रेंस दी जाए। लेकिन फिर भी पांच छः महीने तक उनको बेकार रहना पड़ता है। इसलिये मैं इस बात का समर्थन करता हूं। इसका एक दूसरा पहलू भी है। इससे, कहा जाता है कि खर्चा बढ़ जाएगा इस वास्ते खर्चा बढ़ने की बात का और इस बात का पूरी तरह से अध्ययन होना चाहिये, पूरी छान-बीन होनी चाहिये। लेकिन सिद्धान्ततः मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि जो सेवा करने के योग्य हैं और जब तक वे उस योग्य हैं, जब तक उनके शरीर में ताकत है, तब तक उनको बाध्य न किया जाए कि वे घर जाकर बैठें और बेरोज़गारी का भूत उनके सामने सवार न किया जाए।

अन्त में एक बात और कह कर मैं समाप्त करता हूं। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा था कि सेना सम्बन्धी पैंशनों पर दो करोड़ रुपया अधिक खर्च होगा क्योंकि इस वर्ष जिस प्रकार से असैनिक यानी सिविल पैंशन भोगियों की पैंशन की रकम में वृद्धी की गई है उसी प्रकार से कम पैंशन पाने वाले सैनिकों की पैंशन में भी वृद्धि करने का विचार है। मैं समझता हूं कि यह बड़ा

सुन्दर विचार है । मैंने तथा अन्य मित्रों ने भी यहां पर कई बार प्रश्न उठाया है कि जिसको त्यागी फार्मूला कहते हैं—चाहे त्यागी जी रक्षा मन्त्रालय में नहीं रहे हैं लेकिन उनका नाम हम कभी-कभी ले लेते हैं उन्होंने एक फार्मूला निकाला था जिसको त्यागी फार्मला कहा जाता है—कि जब नये सैनिकों के लिये पैंशन के रेट बढ़ा दिये गये हैं तो पुराने सैनिकों ने क्या अपराध किया है कि उनके नहीं बढ़ाये गये हैं। सन् १९५०-५१ के बाद जो पैंशन में जाना शुरू हुए उनके रेट्स तो बढ़ा दिये गये, पहले उनको तीन रुपया और पांच रुपया पैंशन मिलती थी अब १५ और २० रुपयों तक पशन मिलती है, यह बहुत अच्छी बात है । लेकिन पुराने लोगों ने क्या कसूर किया है, क्या अपराध किया कि उनको इसका फायदा नहीं दिया गया । क्या उनका यह कसूर था कि वे ब्रिटिश सरकार के ज़माने में भरती हुए थे ? मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर बड़ी सहानुभूति से विचार करने की आवश्यकता है । मुझे प्रसन्नता है कि यह एक अच्छा निर्णय किया गया है और इससे असन्तोष बहुत हद तक दूर होगा लेकिन मैं चाहता हूं कि हमें बताया जाए कि किस रेट से ये बढ़ाई जायेगी और मैं अनुरोध करता हूं इस पर जल्दी निर्णय कर लिया जाए ताकि इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जा सके ।

इन शब्दों के साथ जो मांगें पेश की गई हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं ।

†**श्री जोकीम आल्वा** (कनारा) : मैंने पिछले वर्ष हिन्द महासागर की रक्षा तथा सुरक्षा के सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं थीं । क्योंकि अमरीकी जहाजी बेड़ा उसमें बिना हमारी अनुमति के घुस आया था । निस्सन्देह हम सैनिक दृष्टि से दुर्बल राष्ट्र हैं तथापि हिन्द महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी पर हमारा पूरा प्रभुत्व है अतः किसी राष्ट्र को हमारे अधिकार पर हस्तक्षेप नहीं कहना चाहिये हमें ज्ञात होना चाहिये कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के पास इस सम्बन्ध में क्या योजना है । ऐसे न हो कि एक दिन अकस्मात् अमेरिकी बेड़ा प्रगट सिंगापुर में छुट्टी मनाने के उद्देश्य से घुसे लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य कुछ दूसरा हो । हमें इस ओर सतर्कता से ध्यान देना चाहिये ।

हमें एक विमान वाहक जहाज खरीद रहे हैं । निस्सन्देह ऐसा जहाज प्रशिक्षण के लिये बहुत उपयोगी होता है । लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा । क्योंकि अमेरिका एक ओर हमें आर्थिक सहायता दे रहा है तो दूसरी ओर पाकिस्तान को बी–५७ प्रकार के बमवर्षक विमान दे रहा है । यद्यपि वहां के परराष्ट्र सचिव श्री डलैस ने हमारे उपराष्ट्र मंत्री को यह आश्वासन दिया था कि पाकिस्तान को बमवर्षक विमान नहीं दिये जायेंगे ।

जहां तक रूस और चीन का सवाल है ये दोनों देश हमारे पड़ौसी हैं । ये २००० वर्षों से हमारे पुराने मित्र रहे हैं । इसलिये थोड़ी सी घटनाओं से हमें चीन के सम्बन्ध में नीति परिवर्तन नहीं करनी चाहिये वस्तुतः जब कि हमारे प्रदेश में पाकिस्तान आये दिन झगड़े खड़े कर रहा है। क्या हमें इन झगड़ों के भय से अपनी वैदेशिक नीति में परिवर्तन कर देना चाहिये और फलस्वरूप और अधिक झगड़े पैदा कर लेने चाहियें । यदि हम ऐसा करेंगे तो यह अदूरदर्शिता होगी और इससे हमारे पंचवर्षीय योजना तथा अन्य रचनात्मक कार्यों पर प्रभाव पड़ेगा इसका यह फल होगा कि हम कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य कभी पूरा नहीं कर पायेंगे ।

वर्तमान प्रतिरक्षा मंत्री के प्रभार ग्रहण करने के पश्चात् हमने केनवरा तथा हंटर विमान खरीदे हैं । तथापि इतना ही काफी नहीं है । हमें इस दिशा में और प्रगति करनी चाहिये । जिससे ऐसा न हो कि हमें यह कहने का अवसर मिले कि हमारे हथियार पुराने प्रकार के हैं इत्यादि । इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि हमें अपने प्रति विश्वास और भरोसा हो और हमारी सेनाओं का नैतिक स्तर ऊंचा हो । क्योंकि बिना इसके अभाव के कोई सेना अपने देश की रक्षा नहीं कर सकती है । हमें चाहिये कि

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जोकील आल्वा]

हम उनके परिवार तथा बच्चों की शिक्षा इत्यादि की उचित व्यवस्था करें। भारत के किसी भी भाग में उनका स्थानान्तर होने पर उनके बालकों को स्कूल में स्थान प्राप्त हो जाना चाहिये तथा सैनिकों के आश्रित सदस्यों के लिये निर्वाह तथा आवास इत्यादि की उचित व्यवस्था होनी चाहिये। साथ ही सैनिक सामान इत्यादि की जो चोरी होती है उस पर कठोरता से निगरानी रखनी चाहिये और अपराधियों को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये।

अब मैं मोटरगाड़ियों के प्रश्न को लेता हूं। भारत के मोटरगाड़ियों के कारखानों ने १९५६ से लेकर १९५८ तक ७७३ लाख रुपये के मोटरगाड़ियों के पुर्जों का आयात किया। महीन्द्रा एण्ड महीन्द्रा नामक फर्म को ५० करोड़ रुपये के इस्पात के आयात की अनुज्ञप्तियां दी गई। लेकिन पिछले १५ वर्षों से ये भारतीय फर्में जीप या मोटर गाड़ियों के पूरे पुर्जे बनाने में असमर्थ रही हैं वास्तव में ये बनाना नहीं चाहती क्योंकि इससे उनके मुनाफे में कमी आयेगी। अतः मंत्रालय को चाहिये कि वह स्वयं ऐसी व्यवस्था करे कि भारत में ही मोटरगाड़ियों के पूरे पुर्जे बनाये जा सकें जिससे आपातकाल में हमें पराश्रित न रहना पड़े।

हमारे प्रतिरक्षा बलों को राष्ट्रीय बलों के साथ एकीकृत किया जाय अर्थात् सेना, जल सेना तथा वायु सेना के जवानों को अवसर तथा स्वतंत्रता दी जाय कि वे नागरिकों से मिलें तथा उनसे वार्तालाप इत्यादि कर सकें। इससे उन में स्वतंत्रता की भावना विकसित होगी तथा उन में जो बड़प्पन या हीनता की भावना है वह दूर हो जायेगी।

अब मैं भारत इलेक्ट्रोनिक्स को लेता हूं। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि भारत इलेक्ट्रोनिक्स की हड़ताल समाप्त हो गई है। वस्तुतः जिस तरीके से इस विवाद का निपटारा किया गया वह दूसरों के लिये आदर्श है तथापि भारत इलेक्ट्रोनिक्स का उत्पादन उच्च स्तर का होना चाहिये तथा रैडर सम्बन्धी उपकरणों के निर्माण का भी प्रयत्न किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में अणु-शक्ति आयोग भी उक्त कारखाने को प्रसंशनीय सहयोग दे रहा है तथापि आवश्यकता इस बात की है कि इलेक्ट्रोनिक्स वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी जाय जिस से भारत की पूरी आवश्यकता उक्त कारखाना पूरा करे।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सेना में वेतन स्तर ऊंचा रखना चाहिये। जिससे हमारे नवयुवकों को वहां जाने के लिये उत्साह पैदा हो तथा हमें उन्हें वही प्रतिष्ठा और शक्तिप्रदान करनी चाहिये जो हम भारतीय प्रशासनीय सेवाओं के अधिकारियों को प्रदान करते हैं।

**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : सभापति महोदय, अभी हाल में पाकिस्तान के वैदेशिक मंत्री जी ने, जिनका नाम श्री मंजूर कादिर साहब है, कहा है कि भारत के पास पाकिस्तान से तीन गुनी सशस्त्र सेनायें हैं। पाकिस्तान टाइम्स ने कहा है भारत पूरी तरह हथियारबन्द हो रहा है मैं इसका थोड़ा सा उत्तर देना चाहता हूं। पाकिस्तान ने जो अपना अप्रेल से जून सन् १९३९ तक का बजट उपस्थित किया है वह ३५ करोड़ रुपये का बजट है जिस में कि २० करोड़ रुपया डिफेंस के वास्ते रखा गया है, अर्थात् पाकिस्तान अपने बजट का ५७.१४ पर सेंट अपने डिफेंउ पर खर्च कर रहा है। अगर यह मान लिया जाये कि पाकिस्तान की साल भर की आमदनी १४० करोड़

†मूल अंग्रेजी में

रुपया है तो उस में से पाकिस्तान ८० करोड़ रुपया डिफेंस पर खर्च कर रहा है। इसका अर्थ यह होता है कि पाकिस्तान की कुल आमदनी का ५८ पर सेंट डिफेंस पर खर्च हो रहा है। इसके अलावा आप अमरीकन एड को देखें। २५ करोड़ डालर का इक्विपमेंट पाकिस्तान को अमरीका द्वारा सन् १९५९ में दिया जा रहा है जिसका अर्थ हुआ ११९,०४,७६,१९० रुपया। अगर इन दोनों आइटम्स को जोड़ दें तो यह होता है १९९,०४,७६,१९० रुपया। अर्थात् पाकिस्तान की आमदनी १४० करोड़ रुपया है और वह डिफेंस पर खर्च कर रहा है १९९ करोड़ अर्थात् करीब २०० करोड़। इसका अर्थ यह हुआ कि पाकिस्तान अपने बजट का १४२ पर सेंट अपने डिफेंस पर खर्च कर रहा है।

दूसरी तरफ आप हिन्दुस्तान को देखें। हिन्दुस्तान में डिफेंस का बजट केवल २४२ करोड़ रुपये का है जो हमारे कुल बजट का केवल ३५ प्रतिशत है, जब कि पाकिस्तान में डिफेंस कुल बजट का १४२ पर सेंट है। इसी तरह से आप देखें कि सन् १९५२ से लेकर सन् १९५७ तक ६०४ मिलियन डालर की अमरीका ने पाकिस्तान को सहायता दी, अर्थात् ३०२० करोड़ रुपया पाकिस्तान को अमरीका से और मिला। इस प्रकार से आप देखें कि पाकिस्तान कितना अधिक खर्च कर रहा है। हमें लगता है कि हम उनके कम्पिटीशन में ठहर नहीं सकेंगे। हिन्दुस्तान में सेंटर और स्टेट्स की कुल आमदनी का १९ पर सेंट डिफेंस पर खर्च किया जा रहा है। पाकिस्तान अपनी नेशनल इनकम का ५ पर सेंट डिफेंस पर खर्च कर रहा है जब कि हिन्दुस्तान अपनी नेशनल इनकम का केवल २ पर सेंट डिफेंस पर खर्च कर रहा है।

**श्री वें० प० नायर** : टोटल कितना है।

**श्री रघुनाथ सिंह** : पाकिस्तान अपने डिफेंस पर २०० करोड़ रुपया खर्च कर रहा है जब कि उसका कुल बजट १४० करोड़ का है। लेकिन हिन्दुस्तान ने इस साल अपने डिफेंस बजट में २४ करोड़ रुपया कम कर दिया है।

अब पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि हिन्दुस्तान ने अपनी फौज तीन गुना कर दी है। मेरा विषय नेवी है। इसलिए मैं नैवी को ही आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं। पाकिस्तान में नैवी के ६०० आफिसर हैं और ६६०० रेटिंग्स हैं, हिन्दुस्तान के पास ८०० आफिसर हैं और ८००० रेटिंग्स हैं। इस तरह से पाकिस्तान के पास नैवी में कुल ७२६० आदमी हैं और हिन्दुस्तान के पास ८८००, केवल १६०० का फर्क है। यह फर्क इसलिए पड़ा है कि सन् १९५५ से लेकर पांच साल में हम ने नैवी में १६०० आदमियों की तरक्की की है। पर पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि यहां तीन गुने आदमी ज्यादा हो गये हैं।

अब मैं आप को दूसरे एशियाटिक मुल्कों के बारे में बतलाना चाहता हूं। इंडोनेशिया में नैवी में १०,००० आदमी हैं, थाईलैंड में १८००० आदमी हैं, तुर्की में २६५०० आदमी हैं और पुर्तगाल में जिससे हमारे बहुत सम्बन्ध हैं ८७३५ आदमी नैवी में हैं। अर्जेनटीना जो कि एक बहुत छोटा सा देश है, उस में नैवी में ११५०० आदमी हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान के पास पुर्तगाल जैसे छोटे देश के मुकाबले केवल ६५ आदमी नैवी में ज्यादा हैं और पाकिस्तान से सिर्फ १६०० आदमी हमारी नैवी में ज्यादा हैं, जिसको कि हम ने पिछले पांच साल में बढ़ाया है।

दूसरी तरफ आप यू० एस० ए० को देखें, उसके पास नैवी में ७,७५,००० आदमी हैं, यू० के० में नैवी में १,१२,००० आदमी हैं और सोवियट रशिया में जो कि हमारे नायर साहब का देश है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का देश है उस में नैवी में ७,५०,००० आदमी हैं, जब कि कहा जाता है कि डिसआरमामेंट होना चाहिए।

[श्री रघुनाथ सिंह]

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज दुनिया की यह पालिसी है, सुप्रीम ऐट सी सीक्योर ऐट होम। अब आप देखें कि जिओ पोलिटिकल एनसरकिलमेंट की पालिसी को इंगलैंड और अमरीका ने पूरा कर लिया है। वह पालिसी चीन और रूस के खिलाफ भी है। इस पालिसी के अन्तर्गत अमरीका ने ११९ ओवरसीज़ बेसेज़ बनाये हैं। इसके अलावा एक बेस स्पेन में है, एक मोरक्को में है, एक लीबिया में है और एक अरेबिया में है। ये चार बेस ११९ बेसेज़ के अलावा हैं। इसी तरह से यू० के० ने चार नये बेस बनाये हैं, एक कीनिया में, एक मम्बासा में, एक सिंगापुर में और एक मालद्वीप में। सन् १९५६ में सोवियट नैवी द्वारा एक किताब लिखी गयी थी जिसमें लिखा गया था कि अंग्रेज लोग अपना एअर बेस और नैवल बेस मालद्वीप में बनायेंगे। आज वह बात बिल्कुल सत्य मालूम पड़ रही है। जब अंग्रेजों को टिकोमली के बेस को छोड़ना पड़ा तो इंडियन ओशन में अपना अस्तित्व कायम रखने के लिये उन्होंने यह निहायत जरूरी समझा कि कीनिया, मोम्बासा, सिंगापुर और मालद्वीप में अपने बेस कायम करें ताकि हिन्दुस्तान पर उनका एक तरह से पूरा कब्जा रहे।

इसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान हमारे डिफेंस के खर्च पर बहुत जोर दे रहा है। पर हमारी नैवी का खर्च है १७ करोड़ रुपया और इस साल केवल एक करोड़ से कुछ ज्यादा रुपया बढ़ाया गया है। लेकिन आप यू० के० अपनी नैवी पर ३३ करोड़ पाउंड खर्च करता है, यू० एस० एस० अपनी नैवी पर १०,९१,००,००० डालर खर्च करता है। पुर्तगाल जो कि एक छोटा सा देश है वह अपनी नैवी पर ५२ करोड़ खर्च कर रहा है। इसके मुकाबले में हम कुल जमा पूंजी में १७ करोड़ रुपया अपनी नैवी पर खर्च कर रहे हैं। इससे हम चाहतें हैं कि हमारे देश की रक्षा हो। मुझे यह रक्षा असम्भव सी मालूम होती है। इससे हम अपने देश की रक्षा नहीं कर सकते।

दूसरी तरफ अमरीका में एक आदमी का जितना वजन है उस का चौगुना ओर इम्पोर्ट किया जा रहा है और हम बेच रहे हैं। अमरीका में जितनी आबादी है उसके हर आदमी के वजन से चौगुना वजन का ओर अमरीका खरीद रहा है। उस ने इस साल पांच करोड़ टन ओर इम्पोर्ट किया है ताकि अपनी नैवी को बनावे और अपनी सबमैरिन्स को बनावे। और हम ओर बाहर भेज रहे हैं। हमारे बहुत से मित्र कहते हैं कि नये जमाने में—एटामिक युग में, हाइड्रोजन युग में नैवी की ज़रूरत नहीं होती है। मैं यह कहता हूं कि नैवी से ही देश की रक्षा हो सकती है—किसी दूसरी तरह नहीं हो सकती है। हमारा कोस्ट ३५०० मील का है और लैंड फ्रन्टियर ९५०० मील का है।

**एक माननीय सदस्य** : ३५०० नहीं, ३५५० मील।

**श्री रघुनाथ सिंह** : मैं ने आड नम्बर छोड़ दिया है। पचास मील से कोई फ़र्क नहीं होता है। इस सी कोस्ट की रक्षा के लिये जब तक हमारे पास नेवी नहीं होगी, तब तक हमारी रक्षा कैसे हो सकती है? इस सम्बन्ध में मैं दो एक्ज़ाम्पल्ज़ देना चाहता हूं यह दिखाने के लिये कि हम क्यों एक मज़बूत नेवी अपने देश के लिये चाहते हैं। १९१४ की पहली वर्ल्ड वार में इंगलैंड के पोर्ट्स से जो शिप रवाना होते थे, उन के बारे में समझ लिया जाता था कि चार में से एक शिप डूब जायगा, लौट कर नहीं आयगा। केवल एक बरस में—१९१७-१८ में इंगलैंड के चार हज़ार जहाज़ डूबे, जिन का टनेज ८५ लाख जी० आर० टी० था और उन में पंद्रह हज़ार सीमैन मारे गये। इस के मुकाबले में जर्मनी की कुल १९१ सबमैरिन्ज़ खत्म हो सकी। दूसरी वर्ल्ड वार में १९३९ से लेकर १९४५ तक इंगलैंड के ५१०० मरचेंट शिप्स जर्मनी की यू० बोट्स के द्वारा डूबाये गये, जिन का टनेज २,७५ लाख

जी० आर० टी० था। जर्मनी के सिर्फ ७८१ सबमैरिन काम आई और ऐक्सिस की कुल मिलाकर एक हज़ार सबमैरिन्ज़ डूब गई। लेकिन नेवी—क्रूज़र और बैटल शिप्स के द्वारा सिर्फ़ दस लाख टन के जहाज़ डुबाये गये। इस से प्रकट होता है कि सबमैरिन्ज़ की इम्पार्टेन्स कितनी ज्यादा है। अगर हमारे पास सबमैरिन्ज़ नहीं हैं, तो देश की रक्षा नहीं हो सकती है और नेवी की रक्षा भी नहीं हो सकती है। १९१४ और १९३९ की वर्ल्ड वार्ज़ से हम को यह सबक हासिल करना चाहिए कि आज सबमैरिन्ज़ की इम्पार्टेन्स सब से ज्यादा है। रूस के पास ५०० सबमैरिन्ज़ हैं और अमरीका इस साल १०,५० लाख डालर सबमैरिन्ज़ पर खर्च करने जा रहा है। एक सबमैरिन्ज़ की कीमत ७५ लाख रुपये होती है। हम ने अपने बजट में एक करोड़ से कुछ ज्यादा रुपया रखा है। मैं नहीं समझता कि उस से हम एक सबमैरिन खरीदेंगे या दो खरीदेंगे। फिलहाल हमारे पास एक भी सबमैरिन नहीं है। इस नेवी के द्वारा इस देश की रक्षा करना बहुत कठिन है। आप कहेंगे कि आखिरकार नेवी का फ़ायदा क्या है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक एटम बम या एक हाइड्रोजन बम बम्बई या कलकत्ता को खत्म कर सकता है। लेकिन एक एटम या हाइड्रोजन बम नेवी के सिर्फ एक जहाज़ को खत्म कर सकता है। नेवी मोबाइल है—आज एक जगह है और कल दूसरी जगह है। आप समझ सकते हैं कि कोई भी सिर्फ एक जहाज़ को डुबोने के लिये एटम या हाइड्रोजन बम नहीं छोड़ेगा। लेकिन जमीन पर एटम बम से साठ लाख की आबादी खत्म हो सकती है। एक एटम या हाइड्रोजन बम से सिर्फ एक जहाज़ खत्म होगा और उस जहाज़के १५०० के करीब आदमी खत्म होंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ल्ड की स्ट्रेटेजी आफ़ वारफ़ेयर बिल्कुल परिवर्तित हो गई है। इसीलिये रूस ने सब से ज्यादा ज़ोर सबमैरिन्ज़ पर दिया है।

उस के साथ ही साथ जब तक एयरक्राफ्टकेरियर नहीं होगा, तब तक सी और एयर दोनों का को-आर्डिनेशन नहीं होगा और तब तक हम कभी भी नेवल वारफ़ेयर में सफल नहीं हो सकते। अमरीका के पास १७ एयरक्राफ्ट केरियर हैं, जबकि हम ने सिर्फ एक एयरक्राफ्ट केरियर खरीदा है, जोकि अभी कहीं बनने के लिये तैर रहा है। इस प्रकार देश की रक्षा नहीं हो सकती है। मान लीजिये कि अगर कोई फ़ारेन एनिमी हिन्दुस्तान के कोस्ट पर लैंड करना चाहता है, तो उस को लैंड करने से कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि आप के पास जहाज़ नहीं है। जब भी कोई एनिमी की फ़ौज किसी देश में लैंड कर गई है, तो उस की रक्षा नहीं हो सकी है। क्रीट, ग्रीस और फ्रांस ऐसी मिसालें हैं कि जहां एनिमी की फ़ौज उतरी और उस को हटाया नहीं जा सका। नेवी का सब से बड़ा काम मरचेंट नेवी की रक्षा करना है, लेकिन हमारे पास इतनी नेवी नहीं है, जोकि हमारी मरचेंट ने ी की रक्षा कर सके। वार के टाइम में जब हम पर हमला किया जायगा, तो विदेशों के साथ हमारा संबंध कैसे होगा, कम्यूनिकेशन कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास इतनी थोड़ी सी नेवी है कि हम ऐसा करने में असमर्थ होंगे। आज तिब्बत का सवाल हमारे सामने है। तिब्बत की रक्षा कैसे की जा सकती है, क्योंकि वहां नहीं जा सकते हैं। इसी तरह हिन्दुस्तान की रक्षा तभी की जा सकती है, जबकि दूसरे देशों से हमारा सम्बन्ध हो, आवागमन हो, वहां से यहां सप्लाई होती रहे और उन के साथ हमारे कम्युनिकेशन्ज़ स्थापित हों और दूसरे देश हमारी सहायता कर सकें। इस लिये मेरा कहना यह है कि सिर्फ नैवी एक ऐसी चीज़ है, जो हिन्दुस्तान की रक्षा करने में समर्थ हो सकती है और इसलिये नैवी पर ज्यादा से ज्यादा ज़ोर देना चाहिये।

†**श्री कर्णी सिंहजी** (बीकानेर) : कई वर्षों से इस बात पर सभा में पर्याप्त आलोचना हो रही है कि प्रतिरक्षा विभाग में बहुत अधिक व्यय किया जा रहा है। वस्तुतः शांतिकाल में हम प्रतिरक्षा पर कि गये व्यय का महत्व नहीं समझते हैं। लेकिन तिब्बत की समस्या उठ खड़ी होने से भारत

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कर्णी सिंह जी]

को शीतयुद्ध का खतरा पैदा हो गया है अतः हम इस की आवश्यकता महसूस करने लगे हैं। अतः सेना को अच्छे हथियारों से सज्जित करने के मामले में संसद् को धन राशी व्यय करने में नहीं हिचकिचाना चाहिये।

अब में सामरिक महत्व के मार्गों को लेता हूं। राजस्थान में ४०० मील तक भारत और पाकिस्तान की सीमा मिलती है। लेकिन सीमांत तक कहीं भी ऐसी पक्की सड़क नहीं है जिस पर युद्ध काल में सामरिक महत्व का सामान पहुंचाया जा सके। इस से गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, इत्यादि नगरों के निवासियों की सुरक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। एक बार केन्द्रीय सरकार ने अभोर बीकानेर सड़क के निर्माण का प्रस्ताव रखा था लेकिन राजस्थान सरकार ने कुछ प्रतिष्ठित लोगों के हितों का विचार कर उसे क्रियान्वित नहीं होने दिया। जहां तक व्यय का प्रश्न है इस के निर्माण में राजस्थान सरकार को अंशदान देना चाहिये। तथा राजस्थान नहर परियोजना में भी इस के लिये रुपया लिया जा सकता है। क्योंकि हमें नहर निर्माण कार्य में शीघ्रता होगी अतः मेरा निवेदन है कि यह योजना चालू वर्ष के बजट में रखी जाय।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अब में सैनिक आवास के प्रश्न को लेता हूं। निस्सन्देह अम्बाला योजना प्रशंसनीय है। सीमांत चौकियों से दूर स्थित सैनिकों को सैनिकों के आवास निर्माण कार्य में लगाया जा सकता है। क्योंकि जब उन्हें आवास सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध होंगी तभी उन का नैतिक स्तर ऊंचा रह सकेगा। अतः हमें इस ओर ध्यान देना चाहिये।

मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापार खूब चल रहा है। पुलिस इसे रोकने में असमर्थ रही है अतः सरकार को चाहिये कि वहां पर सेना भेजने पर विचार करे।

हमारी सेनाओं ने संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक दल की सहायता में लेबनान, गाजा, वीयतनाम इत्यादि देशों में प्रशंसनीय कार्य किया है। हमें चाहिये कि हम उन के हितों का विचार करें तथा उन्हें उपयुक्त वेतन तथा सुविधायें इत्यादि प्राप्त करें।

†श्री बर्मन (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं श्री रघुनाथ सिंह की इस बात पर सहमत हूं कि हमारी सेना के पास एक विमान वाहक जहाज अवश्य होना चाहिये इस से हमारी जल सेना को सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी।

हमारी सेना का मुख्य कार्य प्रतिरक्षा है। इस सम्बन्ध में इस ने मध्यपूर्व, कोरिया, वीयतनाम इत्यादि में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसलिये यह आवश्यक है कि हम उन की संख्या उपयुक्त मात्रा में रखें। उन के वेतन तथा सुख सुविधाओं का उचित ध्यान रखें जिस से उन का नैतिक स्तर ऊंचा रहे।

इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान प्रतिरक्षा संस्थानों की ओर दिलाना चाहता हूं। हम जब राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी खडगवासला में गये तो हमें ज्ञात हुआ कि वहां केवल ५० प्रतिशत विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं। कारण पूछने पर ज्ञात हुआ कि पूरी संख्या में विद्यार्थी उपलब्ध ही नहीं हैं। इस का एक कारण यह ज्ञात होता है कि क्योंकि चार साल के पाठ्यक्रम के पश्चात् भी असफल होने पर सैनिक छात्र को अनर्हत किया जा सकता है और तदुपरान्त उन्हें किसी ऊंची श्रेणी में स्थान

†मूल अंग्रेजी में

नहीं दिया जा सकता है इसलिये बहुत से नवयुवक यहां आने से हिचकिचाते हैं। ठीक यही बात वहां के अध्यापकों के सम्बन्ध में भी लागू होती है, उन का वेतन कम होने के कारण योग्य व्यक्ति वहां आना नहीं चाहते हैं और जो हैं वे छोड़ कर जा रहे हैं।

इसी प्रकार जवानों तथा सैनिक अधिकारि यों के मन में यह भ्रान्ति है कि भूमि सम्बन्धी ऐसे विधान बनाये जा रहे हैं जिन से उन की जमीनें छीन ली जायेंगी। इस सम्बन्ध में सरकार को उन की भ्रान्ति दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये।

इसी प्रकार एक सैनिक को सात या १० वर्ष की सेवा के पश्चात् पद निवृत्त कर दिया जाता है। यद्यपि वह हर प्रकार से सक्षम होता है। उस समय उसके सम्मुख कई समस्यायें रहती हैं। अतः हमें उनकी सेवा सम्बन्धी नीति पर भी परिवर्तन करने पर विचार करना चाहिये।

अब मैं पूर्वी सीमांत के प्रश्न को लेता हूं। भारत को पूर्वी सीमान्त से मिलाने वाली केवल एक छोटी लाइन है। जो सामान्य यातायात भी पूरा नहीं कर सकती है। तब भला संकटकालीन स्थिति में भारत के पूर्वी सीमांत की रक्षा किस प्रकार की जायेगी अतः। मैं प्रतिरक्षा मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि वे रेलवे मंत्रालय पर इस बात के लिये दबाव डालें कि प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए कम से कम वहां एक सुदृढ़ लाइन अवश्य बनाई जाय।

वस्तुतः आसाम, पश्चिम बंगाल तथा संघ क्षेत्र की स्थिति खतरनाक है। ये क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान से मिले हुए हैं जिसे किसी प्रकार मैत्रीपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। अतः सरकार को चाहिये कि इन क्षेत्रों की प्रतिरक्षा के लिये पर्याप्त सेना रखी जाये और सेना में उन्हीं प्रदेशों के लोग भरती किये जायें जोकि वहां की स्थानीय स्थिति से भली भांति परिचित हों। अन्त में मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह पूर्वी सीमांत की सुरक्षा पर यथोचित विचार करे।

†**श्री व० स० राजू** (राजामुंद्री) : माननीय सदस्यों ने प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक बहुत कुछ कहा है। उस में बहुत सी गोपनीय बातें भी हैं जो हमें नहीं कहनी चाहियें क्योंकि अन्ततः ये सभी बातें उन लोगों के कान में पहुंच जाती हैं जिन्हें हम इस संबंध में जानकारी देना वांछनीय नहीं समझते हैं।

सेनाओं के अनुशासन के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ बातें कही गई हैं। मेरे विचार से सेनाओं में अनुशासन रखना कम्पनी कमांडर की जिम्मेदारी है। हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये क्योंकि इस से उन के अनुशासन पर आघात होगा।

कई सदस्यों ने यह कहा है कि हमें नौसेना का विस्तार करना चाहिये। तथापि एक युद्ध पोत के निर्माण में तीन वर्ष का समय लगता है तब तक स्थिति में बहुत परिवर्तन आ सकता है। निस्संदेह युद्ध के लिये शस्त्र तथा सैनिक सामग्री इत्यादि आवश्यक है लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, युद्ध नीति तथा सैनिकों का नैतिक चरित्र। आधुनिक युग में सैनिक को नागरिक से पृथक नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक सैनिक को युद्ध में भेजने के लिये उस के पीछे २० व्यक्तियों के श्रम की आवश्यकता होती है।

इस वर्ष प्रतिरक्षा की मांगों में पिछले वर्ष से ३५ करोड़ की कमी की गई है। मेरे विचार से वर्तमान विस्फोटक स्थिति को देखते हुए यह उचित नहीं है। प्रतिरक्षा सेनाओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में प्रशंसनीय कार्य किया है। हैदराबाद, काश्मीर तथा नीफा में शांति तथा व्यवस्था

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री द० स० राजू]

बनाये रखी है। तथा संकटकालीन स्थिति में भारतीय जनता की सहायता की है। अतः हमें चाहिये कि हम उन के कल्याण तथा सुविधाओं का ध्यान रखें। अनुशासन के अधीन रहने के कारण वे अपनी मांगें नहीं रख सकते हैं। इसलिये हमें स्वयं उन की ओर ध्यान देना चाहिये।

अब में राष्ट्रीय छात्र सेना तथा सहायक छात्र सेना को लेता हूं। दोनों सेना दल बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण हैं। इनसे हमारे नवयुवकों में एकता की भावना आयेगी तथा अनुशासन तथा देश-भक्ति की भावना का विकास होगा। निस्सन्देह हम विश्व के भविष्य के संबंध में कुछ नहीं कह सकते हैं तथापि विश्व का इतिहास हमें यह बताता है कि जब दो शक्तिशाली गुटों में राजनैतिक, आर्थिक या किसी अन्य क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त करने की लालसा से प्रतिद्वंदिता होती है तो उस का परिणाम युद्ध होता है। अतः युद्ध की संभावना अभी भी बाकी है। केवल भावनाओं में परिष्कार होने तथा पंचशील की नीति का अनुकरण करने से इस खतरे की संभावना टल सकती है।

अब मैं गवेषणा के काम को लेता हूं। आजकल की समर नीति में गवेषणा बहुत महत्वपूर्ण अंग है अतः हमें चाहिये कि हम विदेशों से पुराने शस्त्र इत्यादि खरीदने के स्थान पर स्वयं अपने देश में गवेषणा का कार्य कर के नये प्रकार के आयुधों का निर्माण करें।

मैं मंत्रालय का ध्यान आजाद हिंद सेना के कर्मचारियों की ओर भी दिलाना चाहता हूं। इन लोगों ने भारत की स्वतंत्रता के लिये साम्राज्यवाद से लोहा लिया। इन की सेवाओं को भारतीय नेताओं ने ही नहीं अपितु विदेशियों ने भी सराहा है तथापि अभी तक हम ने आजाद हिन्द सेना के कई व्यक्तियों के पेंशन इत्यादि के मामलों का निपटारा नहीं किया है अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वे इन लोगों के मामलों पर विचार करें और उन की बकाया वेतन तथा पेंशन इत्यादि तत्काल अदा करें।

**श्री बालासाहेब सालुंके** (खेड) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिरक्षा मंत्रालय की बजट डिमांड्स पर जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

आज का युग स्पूतनिक और विज्ञान का युग है। आज दुर्भाग्य का विषय यह है कि विज्ञान का प्रयोग मानव हत्या के लिए हो रहा है और एक से एक संहारकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण ज़ोर शोर से चल रहा है और एक शीत युद्ध का सा वातावरण हमारे चारों ओर संसार में मालूम पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही यह बड़े संतोष का विषय है कि संसार पर भगवान् बुद्धि के शांति संदेश और पंचशील का प्रभाव पड़ रहा है। भारत देश भगवान बुद्ध का देश है और आज जब कि संसार में विभिन्न गुटों में तनातनी का सा वातावरण है वह संसार को शांति और पंचशील का नारा दे रहा है।

हमने देखा कि हमारी प्रतिरक्षा पर खर्च होने वाली धनराशि है उसमें जो २४ करोड़ रुपये की कमी की गई है वह इसी चीज़ को दृष्टि में रखते हुए की गई है कि भारत जो शांति का दूत बन कर खड़ा हो रहा है और संसार के राष्ट्रों को जो पंचशील का नारा दे रहा है वह इस शांति की नीति को अपने वहां अमल में ला रहा है कि नहीं। गत वर्ष यह व्यय बढ़ा कर कुल बजट का ३६ प्रतिशत कर दिया गया था अब यह घटती अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के अनुकूल है अथवा नहीं यह बात ज़रा विचारणीय है। शस्त्रीकरण पर अन्य देश ज़ोर दे रहे हैं। जब क़ीमत लगातार बढ़ रही हों तब १९५७-५८ से भी १२ करोड़ रुपये प्रतिरक्षा पर कम खर्च करना, मैं नहीं समझता कि इससे बढ़ कर शांति प्रेम का और क्या उदाहरण हो सकता है। मैं इस को तो ज़रूर मानता हूं कि यह शांति का द्योतक है लेकिन इसके साथ ही मैं प्रतिरक्षा मंत्री महोदय और उनके मंत्रालय का ध्यान अपने देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा की ओर दिलाना चाहता हूं। हमें भारत की सरहदों को सुरक्षित करने के लिए पूरी व्यवस्था और सावधानी बर्तनी चाहिये।

हमारे पड़ोसी देश तिब्बत, नैपाल, सिक्कम और लद्दाख जो कि काश्मीर का एक भाग है वहां पर बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग ज्यादातर आबाद हैं और बौद्ध धर्म के साथ और दलाई लामा के साथ तिब्बत में क्या बीती यह सब आप जानते हैं और इसीलिए यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम अपने बॉर्डर्स को पूरी तरह सुरक्षित रखने की पूरी व्यवस्था रखें। अब तिब्बत के दलाई लामा ने जो यहां भारत में आकर शरण लेने का निर्णय लिया है तो यह हमारी शान्ति के तत्व के अनुकूल ही है और मैं समझता हूं कि सभी बौद्ध भारत सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि उन्होंने दलाई लामा को अपने यहां शरण देना स्वीकार किया और यह कोई नई बात भी नहीं है। गड़बड़ के समय एक देश के शासक यदि कहीं जाकर शरण लें तो यह कोई नई बात नहीं है। तिब्बत के भूतपूर्व दलाई लामा को आज से ४० वर्ष पहले भारत में आना पड़ा था। तब वे दार्जिलिंग में आकर रहे थे। दूसरे महायुद्ध के समय इथोपिया के सम्राट हेल सेलासी को लंदन में रहना पड़ा था। अफ़गानिस्तान के शाह अमीर अमानुल्ला पदच्युत होने के बाद यूरोप में रहे थे। नैपाल झांसी काल में भूतपूर्व महाराणा त्रिभुवन जी को भारत आना पड़ा। सांस्कृतिक दृष्टि से तिब्बत भारत का अविछिन्न अंग है। बौद्ध धर्म प्रधान होने के कारण बौद्ध धर्म संस्थापक भगवान बुद्ध भारत के थे। तिब्बत के बौद्ध साहित्य का सुरक्षित रहना नितान्त जरूरी है। काश्मीरी भाग लद्दाख, सिक्कम, नैपाल और तिब्बत में बौद्ध साहित्य के बहुमूल्य खजाने भरे पड़े हैं और यह सांस्कृतिक साहित्यक खजाने सुरक्षित रहने चाहियें।

आर्डिनेंस फ़ैक्टरीज़ के बारे में जिनके कि सम्बन्ध में मैंने कटमोशन दिये थे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किरकी, पुना, देहरोड, जबलपुर में जो आर्डिनेंस फ़ैक्टरी हैं वहां पर शैड्यूल्ड ट्राइब्स, शेडयूल्ड कास्ट्स एंड बैकवर्ड क्लासेज़ को स्टाफ सर्विस में रिज़रवेशन कम मिला हुआ है और वहां पर जो कुशल कामगर होते हैं सिक्ल्ड वर्कर्स होते हैं उनमें बढ़ती करन की योजना करनी चाहिये। किरकी फ़ैक्टरी में क़रीब १० हज़ार से ज्यादा शैड्यूल्ड कास्ट्स वर्कर्स हैं और उनमें बहुतेरे बुद्धिज्म में कनवर्ट हो गये हैं और उनको बढ़ती की सुविधा नहीं मिलती है तो वह सुविधा उनको मिलनी चाहिए।

मैं ने प्रतिरक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट १९५८-५९ को देखा है जिसमें यह बतलाया गया है कि हमारी आर्डिनेंस फ़ैक्टरीज़ में प्रोडक्शन बढ़ा है। रिपोर्ट में बतलाया गया है कि काम में बढ़ती हुई है। अब मेरा सुझाव यह है कि जो कामगर रिडक्शन के कारण बेकार हुए हैं उनको इस प्रोडक्शन के काम में लगाया जाय तो उनको काम भी मिल जायेगा, प्रोडक्शन में और बढ़ौत्री होगी और उनकी इस तरह बेकारी और बेरोज़गारी की समस्या भी हल हो जायगी। मैं समझता हूं कि प्रतिरक्षात्मक उद्योगों की स्थापना करके देश को बेकारी घटाई जा सकती है।

रक्षा भंडार अप्रैल, अक्टूबर, १९५८ के अन्तर्गत संभरण तथा निपटान के महानिदेशक द्वारा बताया गया है कि ५.४३ करोड़ रुपये मूल्य का भंडार समाप्त किया है और ४.३९ करोड़ रुपये मूल्य का भंडार शेष रहा है। देहरोड डिपोज़ के पास मरम्मत न होने वाली गाड़ियां वारटाइम से अभी तक वैसे ही बेकार पड़ी हुई हैं और जिसके कि कारण नुक़सान हो रहा है। ९ वर्ष वार खत्म हुए हो गए और अब मंत्रालय को इधर अवश्य ध्यान देना चाहिए और उस सामान को बेचने की व्यवस्था करनी चाहिये और इस तरह जो नुक़सान हो रहा है वह न होकर उस सामान को बेच डालने से कुछ लाभ ही होगा। इसके बारे में आडिट रिपोर्ट १९५८ पृष्ठ २४-२५ के लास्ट पैराग्राफ़ में दिया गया है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए।

डिफेंस में जो शिड्यूल्ड कास्ट के वर्कर हैं उनमें से जो बुद्धिस्ट हो गये हैं उनको वे सुविधायें नहीं दी जातीं जो कि दूसरे शिड्यूल्ड कास्ट वालों को दी जातीं हैं। इस बारे में उनकी शिकायत

है । उनकी मांग है कि उनको भी वे सुविधायें मिलनी चाहिएं और अगर आवश्यकता हो तो इसके लिए संविधान की धारा ३११ डिफेंस सर्विस के बारे में संशोधन भी करना चाहिए । इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

आज गवर्नमेंट की यह नीति है कि देश में छूतछात नहीं रहनी चाहिए । लेकिन अभी यह चीज़ बन्द नहीं हुई है । मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं । यहां पालम में एक शिड्यूल्ड कास्ट वासुदेव राव डोमाजी काम करता था । उसने मिट्टी की सुराही से पानी पी लिया । इस पर असिसटेंट हैडक्लर्क ने उसको मारपीट किया । यह वाक्या अगस्त सन् १९५८ में हुआ था । यह अच्छी बात नहीं है । मिलिटरी में तो यह छूआछूत नहीं रहनी चाहिए । हमारे महात्मा गांधी और डा० अम्बेडकर का यही कहना था कि यह चीज़ छूतछात की सामाजिक समस्या देश से जानी चाहिए पर यह अभी तक चल रही है । हम कहते हैं कि सब मानव समान हैं लेकिन फिर यह छूतछात हमारे यहां चल रही है । तो इस समस्या को हल करने के लिए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए ।

अब मैं मिलिटरी के स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं । आप बड़े ओहदों पर लायक आदमियों को रखते हैं यह ठीक है लेकिन जिन जवानों ने अपने जीवन के दस बीस साल मिलिट्री सरविस में बिताये हैं उनमें से भी कुछ लोगों को आपको तरक्की देकर अफसरों की जगह पर रखना चाहिए । उनके बच्चों के लिए आपको सुविधायें करनी चाहिए । तभी जवान की अपने काम में दिलचस्पी होगी ।

कुछ जातियां हमारे देश में हैं जो कि परम्परागत ढंग से मिलिट्री में भरती होती आ रही हैं जैसे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के समय में मराठा और महार हैं और इधर सिख लोग, हैं । लेकिन जो और पढ़े लिखे लोग हैं वह मिलिट्री की तरफ कम आते हैं क्योंकि वह देखते हैं कि यहां पगार कम मिलती है और डिसिप्लिन ज्यादा रहता है । इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस तरफ भी ध्यान दें और सैनिकों की पगार ज्यादा बढ़ावें ताकि पढ़े लिखे लोग भी इधर आवें ।

हमारे मिनिस्टर साहब का ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं की ओर बहुत रहता है । मैं चाहता हूं कि वह अपनी घरेलू समस्याओं की ओर भी ध्यान दें । यदि वह इधर ध्यान देंगे तो हमारी सेना की दशा सुधर जायेगी : यह मेरा सुझाव है । यह ठीक है कि हमें किसी आक्रमण का भय नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सी समस्यायें हैं जिनकी तरफ उनको ध्यान देना चाहिए ।

दूसरे मुझे कैंटोनमेंट लेंड्स के बारे में एक शिकायत है । मैं इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देना चाहता हूं । पूना में बैकवर्ड क्लासेज़ के महार पेंशनर पंच मोदीखाना को सर्वे नम्बर ३९०/२८०१ के अनुसार ९५१ रुपये में ८५६.२३ स्क्वायर फ़ीट कैंटोनमेंट वैस्ट लेंड मंजूर किया गया था एक स्कूल और मंदिर के लिए १९५० में । लेकिन दस वर्ष हो गये अभी तक डाइरेक्टर मिलिट्री लेंडस एण्ड कैंटोनमेंट्स डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से उनको उस जमीन का सेंक्शन मिलना है । अगर इस तरह दस-दस वर्ष एक एक काम में लगेंगे तो कैसे काम होगा । इस तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

दूसरे गांव भोसरी ताल्लुका हवेली, डिस्ट्रिक्ट पूना में डिफेंस ने इनफीरियर सरवेंट्स का इनाम लैंड एक्वायर किया है लेकिन अभी तक उनको कम्पेनसेशन नहीं दिया गया है । इसी तरह कोंडवा गांव, ताल्लुक हवेली डिस्ट्रिक्ट पूना में विलेज सरवेंट्स का इनाम लेंड डिफेंस नेशनल एकडेमी के लिए एक्वायर किया है । उनको भी कम्पेनसेशन देना चाहिए । यह चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ।

खड्गवासला की डिफेंस अकादमी में जो उम्र कैंडीडेट्स के लिए रखी गयी है उसके कारण शिड्यूल्ड कास्ट वालों की कठिनाई होती है। मेरा सुझाव है कि उनके लिए यह उम्र बढ़ानी चाहिए। इस तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अन्त में मैं आपसे एक बार यह फिर कहना चाहता हूं कि जो महार या चमार बुद्धिस्ट हो गये हैं उनको वे ही सुविधायें मिलनी चाहिएं जो कि अन्य शिड्यूल्ड कास्ट वालों को मिलती हैं। यदि आवश्यक हो तो इसके लिए संविधान में संशोधन कर दिया जाये।

यही मुझे शासन के सामने रखना है।

**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर विचार करते समय आज सुरक्षा की दृष्टि से देश के सामने जो भयंकर संकट खड़ा हो गया है उस पर थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है।

इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा यह हमारा सर्व प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। अगर हम अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते, विदेशी आक्रमण का मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर हमारी सम्पूर्ण विकास योजनायें कोई अर्थ नहीं रखती हैं। और इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारत की सुरक्षा के लिए आज एक संकट उत्पन्न हुआ है। ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे हमारे देश को चारों ओर से घेरने का प्रयत्न किया जा रहा है। सीमा के दो ओर पाकिस्तान उपस्थित है जिसे अमरीका से आधुनिकतम शस्त्र प्राप्त हो रहे हैं और अमरीकी नेताओं की इस घोषणा के बावजूद कि वे हथियार भारत के विरुद्ध काम में नहीं लाये जायेंगे, पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह इस बात के अपने इरादों को छुपाते नहीं हैं कि वे यदि हथियार प्राप्त कर रहे हैं तो भारत के विरुद्ध प्राप्त कर रहे हैं। उधर पुर्तगाल बैठा हुआ है गोआ में अधिकार जमा कर। पाकिस्तान का और पुर्तगाल का गठबन्धन है। पुर्तगाल के साथ पाकिस्तान का जो व्यापारिक समझौता हुआ है, उस में गोआ को पुर्तगाल का एक ओवरसीज़ प्राविंस माना गया है। पुर्तगाल नाटो का मेम्बर है और पाकिस्तान भी सैनिक गठबन्धनों में शामिल है। उधर सुदूर दक्षिण में मालद्वीप में ब्रिटिश अड्डा है। यह अड्डा ब्रिटेन की रक्षा के लिए नहीं है। यदि कोई संकट खड़ा हुआ, तो मालद्वीप भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।

अभी तिब्बत में जो घटनायें हुई हैं, उन से हमारी उत्तरी सीमा भी अरक्षित हो गई है। चीन और भारत के बीच में तिब्बत के रूप में एक बफ़र राज्य था। वह समाप्त हो गया और १२०० मील की हमारी सीमा चीन से जा कर मिलती है। हम मित्रता चाहते हैं, यह बात ठीक है। हम शान्तिप्रिय देश हैं। किसी देश के विरुद्ध हमारे आक्रमणात्मक इरादे नहीं हैं, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। पाकिस्तान प्रति-दिन सीमा पर आक्रमण करता है। हमारे सुरक्षा मंत्री, जब उन्हें भाषण देने का मौका मिलता है, कहते हैं, घोषणा करते हैं कि अगर भारत पर किसी ने आक्रमण किया, तो उस का मुंहतोड़ उत्तर दिया जायेगा। मेरा निवदन है कि भारत की सीमा पर तो आक्रमण हो चुका है। काश्मीर का एक तिहाई हिस्सा, जो कि वैधानिक रूप से भारत का अंग है, पाकिस्तान के कब्ज़े में है। तुकेरग्राम में पाकिस्तानी सेना बैठी है और हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि तुकेरग्राम हमारा है, मगर हम लड़ेंगे नहीं क्यों नहीं लड़ेंगे ? क्योंकि उसको वापस लेने के लिए हम को बड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी। सवाल यह है कि अगर हम पाकिस्तान से बड़ी लड़ाई नहीं करना चाहते, तो कल अगर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अचानक हमला कर दिया, तो हमारी स्थिति क्या होगी ? अभी तक सुरक्षा मंत्री ने इस सम्बन्ध में इस सदन को विश्वास में नहीं लिया कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई सैनिक शक्ति की दृष्टि से हम कहां पर खड़े हैं। क्या हम किसी आकस्मिक हमले का मुकाबला कर सकते हैं ? दो तीन हफ्ते मैदान में टिक सकते हैं ? बाद में फिर

अन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप हो, हम अपने और मित्रों को मैदान में ले आयें, वह बात अलग है, परन्तु प्रश्न यह है कि पहले दो तीन हफते क्या होगा ।

इस के साथ इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे देश में विदेशों के जासूस काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी जासूस ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजमान हैं । अभी दलाई लामा के भारत में आने की खबर जिस तरह से पेकिंग पहुंच गई, वह भी एक चिन्ता का कारण है । क्या हमारी इन्टेलिजेंस सर्विस मजबूत है ? क्या उस में कोई छिद्र तो नहीं है ? उस में अवांछनीय व्यक्तियों ने तो प्रवेश नहीं किया, जो अन्दर से हमारे देश को खोखला बना दें कभी बाहर से आक्रमण हो और अन्दर पंचमागीसक्रिय हो जायें, वह हमारी सुरक्षा के केन्द्रों पर हमला करें, तोड़-फोड़ करें ? उस समय भारत की क्या स्थिति होगी ? इस सम्बन्ध में सुरक्षा मंत्री को प्रकाश डालना चाहिए । लेकिन इस संकट का मुकाबला करने के लिए देश को जिस ढंग से तैयार करने की आवश्यकता है, वह नहीं किया जा रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमें राष्ट्र का सैनिकीकरण करना चाहिए—किसी पर आक्रमण के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए । प्रत्येक युवक और युवती को हमें सैनिक शिक्षा देनी चाहिए । उससे अनुशासन पैदा होगा, मिल कर काम करने की भावना जागेगी और संकट के समय भी हम उस सेना का—उस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं । अभी विश्व-विद्यालय से निकलने वाले ग्रेजुएट्स को सामाजिक सेवा के लिये छः महीने के लिये गांवों में भेजा जाय, इस तरह के सुझाव सामने आ रहे हैं । मैं उनका विरोधी नहीं हूं, मगर मेरा निवेदन है कि हम अपने ग्रेजुएटों के लिये सैनिक शिक्षा अनिवार्य करने के सम्बन्ध में भी गम्भीरता के साथ विचार करें ।

इसके साथ ही हम शस्त्रों के निर्माण की दृष्टि से आत्म-निर्भर बनें, इस बात की भी आवश्यकता है । यह ठीक है कि इस सम्बन्ध में हम रूस से या अमरीका से प्रतियोगिता नहीं कर सकते । हम एटम बम या हाइड्रोजन बम नहीं बना सकते हैं, लेकिन जिन्हें ट्रेडीशनल वेपन्ज कहा जाता है, जो परम्परा से चले आने वाले हथियार हैं, उनको हम अपने देश में कितना बनाते हैं और उनके लिए विदेशों का कितना मुंह जोहते हैं, इस का विचार किया जाना चाहिए । इस सम्बन्ध में हमारी जो आर्डिनेंस फैक्टरियां हैं, उन में उत्पादन बढ़ रहा है, यह प्रसन्नता की बात है—और भी बढ़ना चाहिए, लेकिन उन आर्डिनेंस फैक्टरियों को हम सिविलियन काम के लिये लगायें और सेना के लिये काम में आने वाली चीजों के लिए हम विदेशों पर निर्भर रहें, में समझता हूं कि यह स्थिति ठीक नहीं है । आर्डिनेंस फक्टरियों की सारी शक्ति सेना को शस्त्रास्त्र की दृष्टि से आत्म-निर्भर बनाने में लगनी चाहए । इस सम्बन्ध में में यह भी निवेदन करूंगा कि सेना को सिविलियन काम के लिए उपयोग करने की जो नीति है, उससे में सहमत नहीं हूं । अभी एक प्रश्न हुआ था, जिस में हमारे उपमंत्री महोदय ने बताया कि अम्बाला में सेना ने मकान बनाये । उस की बड़ी प्रशंसा की गई । वह काम प्रशंसनीय हो सकता है । उस की फिल्म भी बनाई गई । लेकिन उन से पूछा गया कि पठानकोट में क्या ऐसे मकान बनाये जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से यह बताना ठीक नहीं है । अगर पठानकोट के बारे में बताना ठीक नहीं है, तो अम्बाला के बारे में इतना प्रचार क्यों किया गया । यह बात अलग है । अगर सेना को सिविलियन काम में लगाया गया, तो उसके अनुसाशन पर प्रभाव पड़ेगा । सेना का काम है देश की रक्षा करना, सैनिक शिक्षण प्राप्त करना, उस में निरन्तर लगे रहना । हमारे देश में जनबल की कमी नहीं है । मजदूर बड़ी संख्या में हैं मकान बनाने के लिए । हम उनका उपयोग कर सकते हैं । हम ने रिपोर्ट में देखा कि इस बात की बड़ी प्रशंसा की गई कि दिल्ली की जल-व्यवस्था टूट गई और सेना के दो सौ जवान लगा दिये गये । क्या ये दो सौ जवान पुलिस से नहीं आ सकते थे ? क्या दिल्ली में कोई स्वयंसेवक संगठन नहीं थे, जिनकी सेवायें इस बारे में ली जा सकती थीं ? सेना को लाने की आवश्यकता क्या थी ? जमशेदपुर में से मजदूरों

की हड़ताल को कुचलने के लिए सेना लाई गई । मैं समझता हूं कि यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है । भारत के चारों तरफ जब सैनिक तानाशाहियों की स्थापना हो रही है, लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, तब सेना को अधिकाधिक सिविलियन काम में लाना एक ऐसी प्रवृत्ति का श्रीगणेश करना है, जो आगे चल कर हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है । मैं समझता हूं कि सेना जनता से मिले, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर जनता के मन में यह भावना पैदा हो कि सिविलियन इंस्टीच्यूशन्ज काम नहीं कर सकतीं और अगर संकट पैदा होगा, तो हमें सेना की ओर देखना चाहिए, मैं समझता हूं कि इसको निरुत्साहित करने की आवश्यकता है ।

एक बात और । अंग्रेज चले गये । उन्होंने साम्प्रदायिकता के आधार पर हमारी सेना का विभाजन किया था—सेनाओं के साम्प्रदायिक नाम रखे थे । हम समझते थे कि असाम्प्रदायिक राज्य की स्थापना के बाद सेना के साम्प्रदायिक नाम समाप्त कर दिये जायेंगे—जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, इस तरह का विभागीकरण नहीं होगा । हमारी सेना राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होनी चाहिए और हृदय की भावनाओं की दृष्टि से उसमें राष्ट्रीय एकता है भी, लेकिन ये ऊपर के नाम देश में कोई स्वस्थ राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण करने में सहायक नहीं हो सकते । मैं समझता हूं कि इन नामों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है । देश के महापुरुषों के नाम पर हम इन के नाम रख सकते हैं, जिन से साम्प्रदायिकता प्रकट न हो और सेना में साम्प्रदायिकता के इस ज़हर को प्रवेश करने की किंचित् मात्र भी सम्भावना न रह जाये । लेकिन इन नामों का समर्थन किया जाता है । कहा जाता है कि ये नाम बहुत प्राचीन काल से चल रहे हैं । प्राचीन काल से हमारे देश की गुलामी भी चल रही थी, मगर हम ने उसे खत्म कर दिया । प्राचीन काल से साम्प्रदायिकता भी चल रही है, जिस के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं । अब अगर हम चाहते हैं कि राष्ट्र जीवन में साम्प्रदायिकता के लिए कोई स्थान न रहे, तो सेना में इस प्रकार के साम्प्रदायिक नाम—कम्यूनल नामेनक्लेचर—नहीं होने चाहिएं । उन से हम को विदा लेने की आवश्यकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने आपसे जासूसी के बारे में कहा । अब स्थिति ऐसी है कि हमारी डिफेन्स मिनिस्ट्री की एक इंटेलीजेंस सर्विस अलग है और होम मिनिस्ट्री की इन्टेलीजेंस सर्विस अलग है और हमारी राज्य-सरकारें अपनी अलग इन्टेलीजेंस सर्विस रखती हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन तीनों में को-आर्डिनेशन कौन करता है—को-आर्डिनेशन है या नहीं । अगर को-आर्डिनेशन नहीं है, तो यह बड़ी चिन्ता की बात है और आवश्यकता इस बात की है कि जितनी भी हमारी गुप्तचर संस्थायें हैं, विदेशी पंचमार्गियों के कार्यों पर नज़र रखने वाली जितनी संस्थायें हैं, उनमें समन्वय होना चाहिए । जिससे वे पंचमार्गियों पर नज़र रख सकें और संकट के समय अपनी सारी शक्ति इस प्रकार के जो हमारे रहस्य हैं, उनको प्रकट होने से रोक सकें । अभी इस सम्बन्ध में व्यवस्था ठीक नहीं है । मुझे पता है कि हमारे प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद में काश्मीर के सवाल के ऊपर भाषण कर रहे थे और वहां पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने भाषण दिया कि भारत की सेना जो झांसी में मौजूद है वह पाकिस्तान की ओर बढ़ रही है : यह उनको खबर कैसे लगी ? हमारी सेना पाकिस्तान की तरफ नहीं बढ़ रही थी और न इस बात का कोई कारण ही था । लेकिन हमारी सेना कवायद परेड करते समय कुछ पाकिस्तान की दिशा में जा रही थी १५–२० मील तक । लेकिन ऐसा मालूम होता है कि गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ है और ऊंचे ऊंचे पदों तक वे पहुंच गये हैं । दलाई लामा की खबर जिस तरह से प्रकट हुई है, उससे ऐसा लगता है कि हमारा जो कोड है वह भी सुरक्षित नहीं है । सीमा से खबर भेजी गई नई दिल्ली को कि दलाई लामा भारत में आ गये हैं, मगर वह खबर नई दिल्ली आने से से पहले ही पेकिंग पहुंच गई । कैसे पहुंच गई? क्या नई दिल्ली में से निकली । प्रधान मन्त्री कहते हैं, नई दिल्ली में से नहीं निकली । तो क्या सीमा पर से इसका रहस्योद्घाटन हुआ? तीसरी सम्भावना यह भी है कि सीमा से नई दिल्ली आने के बीच में जब वह ट्रांसमीटिर से भेजी जा रही थी तो उसे इंटरसैप्ट कर लिया गया और अगर इंटरसैप्ट किया गया तो इसका अर्थ यह है कि जो हमारा कोड है, वह जिनको मालूम नहीं

होना चाहिये, उनको मालूम है। उन्होंने उसको डी-कोडिफाई कर लिया। अब स्थिति ऐसी नहीं जैसे कि हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि यह तो बड़ा डिप्लोमेटिक, डेलिकेट सवाल है और इस सम्बन्ध में हम स्थगन प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव रद्द किया जा सकता है मगर इस खबर के रहस्योद्घाटन से हमारा जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है और हमारे जो रहस्य हैं उनको वह एक रहस्य के रूप में नहीं रख सका, यह बात जरूर प्रकट हो गई। अगर इस स्टेट सिक्योरिटी को आज हम नहीं रख सकते हैं तो संकट के समय क्या होगा, इसकी चिन्ता करते हुए दिल दहलने लगता है। मैं कोई आतंक की भावना पैदा नहीं करना चाहता और मैं समझता हूं कि अगर कोई संकट पैदा होगा तो सारा देश मिलकर उसका मुकाबला करेगा। यह बात अलग है कि मुटठी भर लोग विदेशियों का साथ दें, मगर सम्पूर्ण देश बाहरी आक्रमण का सामना करने के लिये एक व्यक्ति के रूप में खड़ा रहेगा। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हमारी सुरक्षा की व्यवस्था पक्की होनी चाहिये।

अनेक राज्य सरकारों की सीमायें, पाकिस्तान की सीमाओं के साथ लगी हुई हैं और वे सरकारें उन सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकतीं हैं क्योंकि उनके पास व्यक्ति नहीं हैं, पुलिस नहीं है, धन नही है। राजस्थान की सीमा असुरक्षित पड़ी है। आवश्यकता इस बात की है कि सीमाओं की रक्षा का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार को लेना चाहिये। अगर हम वहां सेना नहीं रख सकते हैं तो हम एक स्पेशल पुलिस कांस्टेबलरी भरती करें केन्द्र की ओर से जो सीमा की रक्षा करे। इससे देश में एक आत्मविश्वास की भावना पैदा होगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि सीमा पर रहने वाले लोगों में भी यह विश्वास पैदा हो कि किसी भी आक्रमण का हिम्मत के साथ सफलतापूर्वक मुकाबला किया जाएगा। इस वास्ते जरूरत इस बात की है कि इस सदन को विश्वास में लिया जाए कि भारत की सुरक्षा को जो नया खतरा पैदा हो गया है उसका मुकाबला करने में हम कहां तक समर्थ हैं। देश की जनता में मनोबल जगाने के लिए, इस सदन को विश्वास दिलाने के लिये इस बात की सबसे अधिक आवश्यकता है और मैं चाहता हूं कि देश का और सुरक्षा मन्त्रालय का ध्यान इस ओर जाये।

**प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—**

| मांग संख्या | कटौती प्रस्ताव संख्या | प्रस्तावक का नाम | कटौती का आधार | कटौती की राशि |
|---|---|---|---|---|
| ८ | १९१२ | श्री उ० चं० पटनायक | युद्ध-सामग्री कारखानों तथा प्रतिरक्षा के अन्य कारखानों में सामान बनाने के लिये विदेशी सार्थों के साथ ठेके। | राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये। |
| ८ | १९१३ | श्री उ० चं० पटनायक | सशस्त्र सेनाओं के उच्च पदों में हाल में की गई पदोन्नतियां | राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये। |
| ८ | १९१४ | श्री उ० चं० पटनायक | विदेशों में प्रतिरक्षा संबंधी सामान की खरीद की नीति | राशि का घटा कर १ रु० कर दी जाये। |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ८ | ११५ | श्री उ० चं० पटनायक | प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा सेवा और अन्तः सेवा संगठनों का संगठन | राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये। |
| ८ | १९१६ | श्री उ० चं० पटनायक | दीर्घ सेवा पद्धति को पुनः अपनाने का प्रस्ताव | राशि घटा कर १ रु० कर दी जाये। |
| ८ | ५१४ | श्री बाला साहेब सालुंके | युद्ध सामग्री कारखानों तथा डिपो में असन्तोषजनक कार्य | १०० रुपये |
| ८ | ५१५ | श्री बाला साहेब सालुंके | सशस्त्र सेनाओं के संगठन ढांचे में सुधार की आवश्यकता | १०० रुपये |
| ८ | १८०२ | श्री स० म० बनर्जी | भारतीय नौसेना गोदी कर्मचारी संघ, बम्बई को मान्यता | १०० रुपये |
| ८ | १८०३ | श्री स० म० बनर्जी | भूतपूर्व ई० टी० ई० की वरिष्ठता तथा स्थायीकरण के मामले में १–८–४९ से पहले की कुल सेवा की गणना। | १०० रुपये |
| ८ | १८०४ | श्री स० म० बनर्जी | प्रतिरक्षा स्थापनाओं के अस्पतालों का कार्य संचालन | १०० रुपये |
| ८ | १८०५ | श्री स० म० बनर्जी | प्रतिरक्षा स्थापनाओं में वैभागीय पदोन्नति समितियों का कार्य | १०० रुपये |
| ८ | १८०६ | श्री स० म० बनर्जी | प्रतिरक्षा स्थापनाओं में तीन वर्ष की सेवा के पश्चात् औद्योगिक तथा अनौद्योगिक कर्मचारियों को स्थायी बनाना | १०० रुपये |
| ८ | १८०७ | श्री स० म० बनर्जी | प्रतिरक्षा उत्पादन बोर्ड में मजदूरों के प्रतिनिधियों के सहयोग की आवश्यकता | १०० रुपये |
| ८ | १८०८ | श्री स० म० बनर्जी | युद्ध सामग्री कारखानों में असैनिक वस्तुओं का उत्पादन | १०० रुपये |
| ८ | १८०९ | श्री स० म० बनर्जी | प्रतिरक्षा स्थापनाओं में औद्योगिक तथा अनौद्योगिक कर्मचारियों के बीच भेदभाव हटाने की आवश्यकता | १०० रुपये |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ८ | १८१० | श्री स० म० बनर्जी | वायु सेना में असैनिक कर्मचारियों की वर्क्स समिति तथा वार्ता व्यवस्था का काम न करना | १०० रुपये |
| ८ | १८११ | श्री स० म० बनर्जी | विभिन्न स्तरों पर वार्ता व्यवस्था का कार्य | १०० रुपये |
| ८ | १८१२ | श्री स० म० बनर्जी | प्रतिरक्षा स्थापनाओं में औद्योगिक तथा अनौद्योगिक कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने की आवश्यकता | १०० रुपये |
| ८ | १८१३ | श्री स० म० बनर्जी | सेना के जवानों के लिए क्वार्टर बनाने की आवश्यकता | १०० रुपये |
| ८ | १८१४ | श्री स० म० बनर्जी | युद्ध सामग्री कारखानों का विस्तार करने की आवश्यकता | १०० रुपये |
| ८ | १८१५ | श्री स० म० बनर्जी | प्रतिरक्षा उत्पादन बोर्ड का कार्य | १०० रुपये |
| ८ | १८१६ | श्री स० म० बनर्जी | उत्पादन में युद्ध-सामग्री कारखानों, सेना वर्कशापों, प्राविधिक विकास स्थापनाओं तथा युद्ध-सामग्री डिपो में समन्वय की आवश्यकता | १०० रुपये |
| ८ | १८१७ | श्री स० म० बनर्जी | इंगलैण्ड से प्रतिरक्षा सामग्री की खरीददारी | १०० रुपये |
| ८ | १८१८ | श्री स० म० बनर्जी | विदेशों से गोला बारुद की खरीद-दारी | १०० रुपये |
| ८ | १८५० | श्री अरविन्द घोषाल | राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में प्रशिक्षण पर अधिक व्यय | १०० रुपये |
| ८ | १८५१ | श्री अरविन्द घोषाल | हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड के प्रबन्ध में मजदूरों द्वारा भाग लिया जाना | १०० रुपये |
| ८ | १८५२ | श्री अरविन्द घोषाल | हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड में प्रशिक्षण सुविधायें बढ़ाने की आवश्यकता | १०० रुपये |
| ८ | १८५३ | श्री अरविन्द घोषाल | हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड के मजदूरों का कुल पारिश्रमिक बढ़ाने की आवश्यकता | १०० रुपये |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ८ | १८५४ | श्री अरविन्द घोषाल | हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड में अच्छे गवेषणा विभाग की आवश्यकता | १०० रुपये |
| ८ | १८५५ | श्री अरविन्द घोषाल . | हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड में प्रयोगों पर व्यय के लिये कुछ राशि आवंटित करने की आवश्यकता | १०० रुपये |
| ८ | १८५६ | श्री अरविन्द घोषाल . | प्रतिरक्षा कारखानों में सुधरे हुए डिजाइनों, पुर्जों अथा मशीनों को बनाने वालों का प्रोत्साहन देने की आवश्यकता | १०० रुपये |
| ८ | १८५७ | श्री अरविन्द घोषाल. . | भारत इलैक्ट्रोनिस लिमिटेड के कार्य में सुधार | १०० रुपये |
| ८ | १८५८ | श्री अरविन्द घोषाल . | भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के नियंत्रणाधीन बेकार पड़ी भूमि के उपयोग की आवश्यकता | १०० रुपये |
| ८ | १८५९ | श्री अरविंद घोषाल . | युद्ध सामग्री कारखानों में असैनिक वस्तुओं का उत्पादन | १०० रुपये |
| ८ | १८६० | श्री अरविंद घोषाल . | युद्ध सामग्री कारखानों में काम न आने वाली मशीनों की अधिक प्रतिशतता | १०० रुपये |
| ८ | १८६७ | श्री उ० चं० पटनायक | एकीकृत प्रतिरक्षा नीति बनाने में असफलता | १०० रुपये |
| ८ | १८६८ | श्री उ० चं० पटनायक | सेना को कुशलतापूर्वक काम करने के लिये पर्याप्त उपकरण देने में असफलता | १०० रुपये |
| ८ | १८६९ | श्री उ० चं० पटनायक | तीनों सेवाओं में पर्याप्त रिजर्व रखने की आवश्यकता | १०० रुपये |
| ८ | १८७० | श्री उ० चं० पटनायक | सैनिक कर्मचारियों को आवश्यक सुविधायें देने की आवश्यकता | १०० रुपये |
| ८ | १८७१ | श्री उ० चं० पटनायक | सैनिकों के वेतनों में से यूनिट फन्ड के लिये अनिवार्यत: कटौती करने की अवांछनीयता | १०० रुपये |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ८ | १८७२ | श्री उ० चं० पटनायक | उपयुक्त जूनियर कमीशन्ड आफीसर्स को रेगुलर कमीशन्ड अफसर बनाने में असफलता | १०० रुपये |
| ८ | १८७३ | श्री उ० चं० पटनायक | प्रतिरक्षा सेवाओं तथा स्थापनाओं में नियुक्त असैनिकों की सेवा शर्तों को सुधारने की आवश्यकता | १०० रुपये |
| ८ | १८७४ | श्री उ० चं० पटनायक | तीनों सेवाओं की भरती, इंजीनियरिंग शिक्षा, चिकित्सा, आदि शाखाओं को एकीकृत करने में असफलता | १०० रुपये |
| ८ | १८७५ | श्री उ० चं० पटनायक | सैनिकों को पर्याप्त शिक्षा देने में असफलता | १०० रुपये |
| ८ | १८७६ | श्री उ० चं० पटनायक | सैनिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने में असफलता | १०० रुपये |
| ८ | १८७७ | श्री उ० चं० पटनायक | सेना के विवाहित कर्मचारियों को निवास स्थान दिलाने की आवश्यकता | १०० रुपये |
| ८ | १८७८ | श्री उ० चं० पटनायक | भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों का एकीकरण करने की आवश्यकता | १०० रुपये |
| ८ | १८७९ | श्री उ० चं० पटनायक | आई० एस० एस० ए० और यूनाइटेड सर्विसेज़ इंस्टीट्यूशन को आवश्यक रुपया देने की आवश्यकता | १०० रुपये |
| ८ | १८८० | श्री उ० चं० पटनायक | कार्यकुशलता बढ़ाने के बारे में सैनिकों द्वारा दिये जाने वाले सुझावों को प्रोत्साहित करना | १०० रुपये |
| ८ | १८८१ | श्री उ० चं० पटनायक | प्रतिरक्षा गवेषणा तथा विकास संगठन को सुविधायें देने में असफलता | १०० रुपये |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ८ | १८८२ | श्री उ० चं० पटनायक | सेना इंजीनियर सेवा के शांति-काल के कामों का पुनरीक्षण करने में असफलता | १०० रुपये |
| ८ | १८८३ | श्री उ० चं० पटनायक | आयुध सामग्री के निपटाने में गड़बड़ी | १०० रुपये |
| ८ | १८८४ | श्री उ० चं० पटनायक | प्रादेशिक सेनाओं का विस्तार करने में असफलता | १०० रुपये |
| ८ | १८८५ | श्री उ० चं० पटनायक | देश के युवकों को प्रशिक्षण देने के लिये योजना बनाने में असफलता | १०० रुपये |
| ८ | १८८६ | श्री उ० चं० पटनायक | होम गार्ड 'विलेज गार्ड', 'वोलन्टियर फ़ोर्स' राष्ट्रीय अनुशासन योजना आदि से सहयोग करने में असफलता | १०० रुपये |
| ८ | १८८७ | श्री उ० चं० पटनायक | लोक सहायक सेना के गठन तथा प्रशिक्षण में सुधार न कर सकना | १०० रुपये |
| ८ | १८८८ | श्री अरविंद घोषाल . | दिल्ली केन्द्रीय स्टोरों में मशीनों के पुर्जों का बरबाद होना | १०० रुपये |
| ८ | १८८९ | श्री अरविंद घोषाल . | खुले स्थान में रख कर मोटर गाड़ियों की बरबादी | १०० रुपये |
| ८ | १८९० | श्री अरविंद घोषाल . | केन्द्रीय स्टोर्स, दिल्ली में मोटर गाड़ियों के पुर्जों की जांच न करना | १०० रुपये |
| ८ | १८९१ | श्री अरविंद घोषाल . | युद्ध सामग्री कारखानों के कर्मचारियों में बहुत सारे ग्रेडों और स्केलों में कमी करने की आवश्यकता | १०० रुपये |
| ८ | १८९२ | श्री अरविंद घोषाल . | अम्बरनाथ की प्रोटो-टाइप मशीन टूल फैक्टरी में प्रशिक्षण योजना का विस्तार | १०० रुपये |
| ८ | १८९३ | श्री अरविंद घोषाल . | अम्बरनाथ की प्रोटो-टाइप मशीन टूल फैक्टरी में प्रवीण मजदूरों के वेतन | १०० रुपये |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
|---|---|---|---|---|
| ८ | १८९४ | श्री अरविंद घोषाल . | हिन्दुस्तान मशीन टूल फैक्टरी के कर्मचारियों के मजूरी ढांचे में सुधार की आवश्यकता | १०० रुपये |
| ८ | १८९५ | श्री अरविंद घोषाल . | हिन्दुस्तान मशीन टूल फैक्टरी में अपरेंन्टिसों के प्रशिक्षण के लिये अधिक पैसे लेना | १०० रुपये |
| ९ | १८९६ | श्री अरविंद घोषाल . | राष्ट्रीय छात्र दल को बढ़ाने की आवश्यकता | १०० रुपये |
| ९ | १८९७ | श्री अरविंद घोषाल . | राष्ट्रीय छात्र दल में उचित तथा नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता | १०० रुपये |
| ९ | १८९८ | श्री अरविंद घोषाल . | प्रादेशिक सेना को बढ़ाने की आवश्यकता | १०० रुपये |
| १० | १८९९ | श्री अरविंद घोषाल | नौवहन कैडेटों की भरती संबंधी नीति में उदारता | १०० रुपये |

†**श्री मानवेन्द्र शाह** (टिहरी गढ़वाल) : श्री उ० चं० पटनायक ने मित व्ययता के बारे में बताया कि प्रतिरक्षा विभाग में झूठी मितव्ययता दिखाई जा रही है । मैं झूठी मितव्ययता तो नहीं कहूंगा लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि प्रतिरक्षा व्यय में कोई मितव्ययता नहीं की गई है क्योंकि जिन कामों में मितव्ययता की गई है उन कामों की तो हमें कोई जरूरत ही नहीं थी ।

मेरा यही कहना है कि हमें आधुनिक हथियारों की व्यवस्था के सम्बन्ध में अवश्य कुछ करना चाहिये और इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि हमें हलकी स्वयंचालित राइफलें बनानी चाहियें । आण्विक हथियार बनाने के लिये तो बहुत समय की आवश्यकता है ।

मितव्ययता के बारे में मेरा अपना विचार है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय में जो कुछ मितव्ययता की जाये उस धन को प्रतिरक्षा मंत्रालय में ही लगाना चाहिये । मैं समझता हूं कि टेलीफोन, यात्रा भत्तों, फर्नीचर आदि में बहुत मितव्ययता की जा सकती है । एम० ई० एस०, आयुध-कारखानों में मितव्ययता की जा सकती है । और इस धन को प्रतिरक्षा के अन्य कामों में लगाया जा सकता है ।

मैं समझता हूं कि लोक-सहायक सेना पर बेकार धन बरबाद किया जा रहा है । सीमा की घटनाओं को देखते हुए हमें लोक सहायक सेना को सहायक सेना (आक्ज़ीलियरी कोर) में बदल देना चाहिये जो सेना के अधीन श्रम-सेना के रूप में काम करे ।

आय-व्ययक प्राक्कलनों के बारे में हमें बताया गया कि प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में हमें कुछ गोपनीयता रखनी होती है, इसलिये पूरे ब्यौरे नहीं बताये जा सकते हैं । परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि

†मूल अंग्रेजी में

इंगलैण्ड की संसद को सेना के बारे में भी भारत की संसद् से अधिक जानकारी दी जाती है और प्रतिरक्षा योजनाओं के बारे में सब कुछ बताया जाता है। तो मैं नहीं जानता कि हम को अधिक ब्योरे क्यों नहीं बताये जा सकते।

अन्त में, मैं क्वार्टरों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। विवाहित व्यक्तियों के लिये क्वार्टर बनाने की स्वीकृति दे दी गई है परन्तु फिर भी क्वार्टर नहीं बनाये गये हैं। मैं चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : सभा में आज प्रतिरक्षा मंत्रालय पर बहस के समय किसी माननीय सदस्य ने पदाधिकारियों की बात कही तथा किसी ने जवानों की। मुझे बड़ा खेद है कि जातिवाद के विभेदों के समान इन सेवाओं में भी जवान तथा पदाधिकारी का भेद किया जा रहा है। इस के अतिरिक्त मुझे इस का भी बड़ा खेद है कि गोलमालों का जिक्र किया गया। हमें प्रतिरक्षा मंत्रालय की मांगों पर इन सब बातों का जिक्र न कर के, उन के द्वारा किये गये पिछले वर्ष के कामों की आलोचना करनी चाहिये।

इन मांगों पर विचार करते समय एक प्रश्न मेरे सामने आता है और वह यह है कि क्या हम ने अपनी प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ा लिया है। उत्तर मिलता है कि यद्यपि हम प्रगति पथ पर हैं परन्तु उतनी तेजी से बढ़ नहीं रहे हैं जितनी तेजी से हमें बढ़ना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अब अपना भाषण जारी रखें।

**इस के पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, ९ अप्रैल, १९५९/१९ चैत्र १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

---

†मूल अंग्रेजी में

[बुधवार, ८ अप्रैल, १९५९
१८ चैत्र, १८८१ (शक)]


| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर | . . . | ५०२७—५५ |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| १७२१ | कटनी की गन फैक्टरी में गन विस्फोट . . | ५०२७—२९ |
| १७२२ | राजस्थान में उर्वरक कारखाना . . . | ५०२९—३१ |
| १७२३ | उत्पादकता परियोजनायें . | ५०३१ |
| १७२४ | अन्तर्राष्ट्रीय मैत्री संघ . | ५०३१—३३ |
| १७२५ | सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिक | ५०३४—३६ |
| १७२६ | स्टैण्डर्ड वैकुअम कम्पनी | ५०३६—३७ |
| १७२८ | शिशु दुग्ध खाद्य का आयात | ५०३७—३८ |
| १७२९ | कर्म समितियां | ५०३८—३९ |
| १७३० | भविष्य निधि में कपड़ा मिलों का अंशदान की बनी चक्रिकयां . | ५०४० |
| १७३१ | तार निर्माण . . . . . | ५०४०—४२ |
| १७३२ | छोटी सिंचाई परियोजनायें . . . | ५०४३ |
| १७३४ | 'एमेरी स्टोन मैनुफैक्चरिंग कम्पनी' की बनी चक्कियां . | ५०४४—४५ |
| १७३५ | भूतपूर्व राजाओं के लिये पारपत्र | ५०४५—४७ |
| १७३७ | फिजो का अमरीका जाना | ५०४८—४९ |
| १७३८ | झरिया की कोयला खानों को जल संभरण | ५०४९ |
| १७३९ | भारत-सिक्किम मार्ग . . | ५०५० |
| १७४१ | स्वीडन का व्यापार शिष्ट मंडल . . | ५०५१ |
| १७४२ | बांडुग देशों का आर्थिक एवं सहकारिता सम्मेलन . | ५०५१ |
| १७४३ | प्रयोगात्मक टेलिविज़न यूनिट . | ५०५२—५३ |
| **अल्प सूचना प्रश्न संख्या** | | |
| १९ | पुराना किला में विस्थापित व्यक्ति . | ५०५३—५५ |

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर | . . . | ५०५५—८२ |
| तारांकित प्रश्न संख्या | | |
| १७२७ | सरकारी क्षेत्र में धन विनियोग . . | ५०५५—५६ |
| १७३३ | बिजली के मीटरों का निर्माण . . | ५०५६ |
| १७३६ | भारत और चीन के बीच जानवरों का आदान-प्रदान . | ५०५६ |
| १७४० | पाकिस्तान के अधीन काश्मीरी क्षेत्र से विस्थापित व्यक्ति | ५०५६—५७ |
| १७४४ | एथर्टन वैस्ट मिल्स लिमिटेड, कानपुर | ५०५७ |
| १७४५ | केरल को रूसी सहायता | ५०५७—५८ |
| १७४६ | चाय गवेषणा संस्था . | ५०५८ |
| १७४७ | उड़ीसा में सीमेंट फैक्ट्री . | ५०५८ |
| १७४८ | दर्शन यंत्रों के कांच का कारखाना . . | ५०५९ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या | | |
| २८१५ | नमक का आवंटन . . | ५०५९—६१ |
| २८१६ | चीन के साथ व्यापार | ५०६१ |
| २८१७ | अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार . . | ५०६१ |
| २८१८ | उद्योगों के उत्पादन का लक्ष्य से आगे बढ़ जाना | ५०६१ |
| २८१९ | उद्योगों में उत्पादन . | ५०६२ |
| २८२० | सिलाई की मशीनों का आयात . | ५०६२ |
| २८२१ | बम्बई में कम्पनियां . | ५०६२ |
| २८२२ | दियासलाई का उत्पादन . | ५०६२—६३ |
| २८२३ | सक्षम पदाधिकारी . . . | ५०६३ |
| २८२४ | सक्षम पदाधिकारियों के निर्णयों के विरुद्ध अपील | ५०६३—६४ |
| २८२५ | अपीलीय पदाधिकारी . . | ५०६४—६५ |
| २८२६ | सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर | ५०६५ |
| २८२७ | दिल्ली में निष्काम्य सम्पत्ति की बिक्री | ५०६५ |
| २८२८ | नये उद्योग . . | ५०६५—६६ |
| २८२९ | श्रमिक अपीलें . | ५०६६ |
| २८३० | पंजाब में केन्द्रीय योजनायें . | ५०६६ |
| २८३१ | प्रबन्ध में श्रमिकों द्वारा भाग लिया जाना . . | ५०६६—६७ |

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|

प्रश्नो के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

| | | |
|---|---|---|
| २८३२ | बन्द हो चुकी मिलों से राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (प्राइ-वेट) लिमिटेड द्वारा ऋण | ५०६७ |
| २८३३ | उत्तर प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग . | ५०६७ |
| २८३४ | उड़ीसा में योजना प्रचार परियोजनायें | ५०६७–६८ |
| २८३५ | शिवराम्न् समिति | ५०६८ |
| २८३६ | सीमेंढ के कारखाने | ५०६९ |
| २८३७ | बिहार में शिक्षित बेरोजगार . | ५०६९ |
| २८३८ | एशियाई-अफ्रीकी वैधिक परामर्श समिति | ५०६९ |
| २८३९ | चार्टर्ड एकाउन्टेंट संस्था का अध्ययन दल | ५०७० |
| २८४० | भारतीय ऊनी कालीनों का निर्यात | ५०७० |
| २८४१ | मालदीव | ५०७१ |
| २८४२ | सीमा पर हमले . | ५०७१ |
| २८४३ | फोटो छापने और रोटरी की स्याहियां | ५०७१—७३ |
| २८४४ | टेपियोका का निर्यात . | ५०७३ |
| २८४५ | श्रमिक सहकारी संस्थायें . . | ५०७३ |
| २८४६ | मद्रास सरकार को पंचायती रेडियो सेट देना | ५०७३–७४ |
| २८४७ | मध्यम आय वर्ग आवास योजना | ५०७४ |
| २८४८ | रजा टैक्सटाइल्ज लिमिटेड, रामपुर | ५०७४ |
| २८४९ | राष्ट्रपति की इंडोनीशिया और मलाया की यात्रा | ५०७४–७५ |
| २८५० | समवायों में प्रबन्ध अभिकर्ता . | ५०७५ |
| २८५१ | कारों का निर्माण . . . | ५०७५ |
| २८५२ | मद्रास राज्य में औद्योगिक सहकारी संस्थायें . | ५०७६ |
| २८५३ | गोरखपुर श्रम संगठन . . | ५०७६ |
| २८५४ | भवानी सागर और मैसूर में कागज मिलें . . | ५०७७ |
| २८५५ | प्रलेखीय चलचित्रों की विदेशों में बिक्री . . . | ५०७७ |
| २८५६ | पंचकुई रोड और जनपथ, नई दिल्ली, के अस्थायी स्टाल-होल्डर (दुकानदार) . . . | ५०७८ |
| २८५७ | पाकिस्तान के लिये मूंगफली के बीज | ५०७८ |
| २८५८ | सींग से बनी वस्तुओं का निर्यात | ५०७८–७९ |

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या


| | | |
|---|---|---|
| २८५९ | निर्यात संवर्द्धन योजनायें | ५०७९ |
| २८६० | कच्चे माल का आयात | ५०७९—८० |
| २८६१ | निर्यात संवर्द्धन योजनायें | ५०८० |
| २८६२ | कपड़ा मिलें . | ५०८० |
| २८६३ | 'भारत १९५८' प्रदर्शनी | ५०८१ |
| २८६४ | प्रधान मंत्री की सहायता निधि . | ५०८१ |
| २८६५ | गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रैस, नासिक | ५०८१ |
| २८६६ | केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग . | ५०८२ |
| २८६७ | विदेशी चिड़िया घरों के लिये भारतीय पशु-पक्षी | ५०८२ |

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ५०८३


निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ की धारा ३८ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, १९५७ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ४ अप्रैल, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३९८ की एक प्रति ।

(२) हथकरघा उद्योग के लिये रंगों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १२ पर श्री वें० प० नायर द्वारा १० फरवरी, १९५९ को पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने वाले वक्तव्य की एक प्रति ।


अनुदानों की मांगें ५०८३—५१३५


खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा समाप्त हुई । मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुईं ।

प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

**गुरुवार, ९ अप्रैल, १९५९ / १९ चैत्र, १८८१ (शक) के लिये कार्यावलि—**

प्रतिरक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा तथा पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर भी चर्चा ।

---